

असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग ।। —खण्ड ३ — उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 471] No. 471]

₹1

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 2000/आषाढ़ 28, 1922

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 19, 2000/ASADHA 28, 1922

पर्यावरण और वन मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2000

का. आ. 670 (अ).—ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विश्यमन) नियम, 2000 का प्रारूप भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 69(अ), तारीख 25 जनवरी, 2000 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (iii) तारीख 25 जनवरी, 2000 में पृष्ठ 1—38 पर, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनुके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस वारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दो जाती हैं, पैतालिस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 26-01-2000 को जनता को उपलब्ध करा दो गई थीं;

क्षीर केन्द्रीय सरकार ने जनरू से उक्त प्रारूप नियमों को बायत प्राप्त आक्षेपों और मुझाबों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया है।

अतः अय केन्द्रीय सरकार, प्रयांवरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थी के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अधात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।
  - 2. परिभाषाएं. -- इन नियमां में जब तक संदर्भ से अन्यया अपेक्षित न हो. --
  - (क) "अधिनियम" से पदांबरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिष्रेत हैं:
  - (ख) ''प्राधिकारी'' से, अनुसूची ऽ के स्तम्भ (4) और स्तम्भ (6) में वर्णित कोई प्राधिकारी अभिप्रेत हैं:
  - (ग) ''आधार स्तर'' से ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ की वह भात्रा अभिप्रेत है जिसका अनुसूची 2 के स्तम्भ (3) और अनुसूची 3 में सूचीयद वर्ष या वर्षों के आसत में, यथास्थिति, उत्पादन या उपभोग किया गया है:

- (ङ) यथास्थिति, ''उत्पादन, विक्रय, आयात या नियात के परिकलित स्तर'' से ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ की मात्रा का अनुसूची 1 के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट उसके ओजोन अवक्षयकारी मात्रा के गुणज से अवधारित स्तर अभिप्रेत हैं;
- (च) ''उपभोग का परिकलित स्तर'' उत्पादन और आयात के परिकलित स्तरों को आपस में जोड़कर और निर्यात के परिकलित स्तर को उसमें से घटाकर अवधारित किया जाएगा;
- (छ) ''समृह'' से अनुसूची 1 के स्तम्भ (4) मे यथाविनिर्दिष्ट एक या अधिक ओजोन अवक्षयकारों पदार्थ का संग्रहण अभिप्रेत हैं:
- (ज) किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के संबंध में "विनिर्माण" के अन्तर्गत—
  - (i) विक्रय, वितरण या उपयोग करने की दृष्टि से किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के चनाने, उसमें परिवर्तन करने, परिसाधित करने, पंक करने, लेवल लगाने, सिम्मिश्रित करने या अन्यथा उपचारित करने या ग्रहण करने या कोई ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ जो विक्रय, वितरण या उपयोग के लिए हैं, की कोई प्रक्रिया या प्रक्रिया का भाग आता है किन्तु इसके अन्तर्गत फुडकर कारचार के सामान्य अनुक्रम में किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ को पुनः पंक करना या खंडित करना नहीं आता है: और
  - (ii) कोई ऐसी प्रक्रिया हैं जिसमें ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ से युक्त निर्मिति का सूत्रीकरण किया जाता है।
- (ञ) ''ओजोन अवक्षयकारों पदार्थ'' से अनुसूची 1 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारों पदार्थ अभिप्रेत हैं, चाहे वह स्वयं अस्तित्व में हो या किसी मिश्रण में हो, किन्तु इसमें ऐसा कोई पदार्थ या मिश्रण (सिम्मिश्रण) सिम्मिलित नहीं हैं जो ऐसे पदार्थ के परिवहन या भंडारण के लिए प्रयुक्त आधान से भिन्न विनिर्मित उत्पाद में हैं:
- (ञ) ''पक्षकारों'' से जब तक विषय में अन्यथा उपबंधित न हो. इस प्रोटोकाल के पक्षकार अभिप्रेत हैं:
- (ट) ंलदानपूर्व उपयोजन'' वे व्यवहार हैं, जिनका प्रत्यक्षत: निर्यात के सबंध में और उससे पूर्व उपयोजन, आयातक देश के फाइटा सेनेटरी या सेनेटरी अपेक्षाओं या निर्यातक देश की विद्वमान फाइटो सैनेटरी या सेनेटरी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है:
- (ठ) किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के संबंध में उत्पादन से किसी कच्ची सामग्री या फीड स्टाव्ह रसायनों से किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का विनिर्माण अभिप्रेत हैं किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है :—
  - (i) किसी ऐसे पदार्थ का विनिर्माण, जिसका उपभोग और संपूर्ण खपत (सूक्ष्म मात्रा के सिवाय) अन्य रसायनों के विनिर्माण में की जाती हैं: या
  - (॥) वे मात्राएं, जिनका उत्पादन अन्य रासायनिक पदार्थों के विनिर्माण में आनुपंगिक रूप से किया जाता है। या
  - (iii) मात्राएं, जिनका पुन: चक्रण या पुन: उपयोग किया जाता है; या
  - (iv) मात्राएं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिप्ट की जाने वाली प्रौद्योगिकियों द्वारा नप्ट कर दी जाती हैं।
- (ঙ) ''प्रोटीकाल'' से ऐसे पदार्थी पर, जो ओजोन परत का अवक्षयण करते हैं, 16 सितम्बर, 1987 को अंगीकृत मोन्ट्रीयल प्रोटोकाल अभिप्रेत हैं;
- (ढ) अनुसूची 1 के समूह 8 के ओजोन अवक्षयकारी पटार्थ की बाबत ''करन्तीन उपयोजन'' वे व्यवहार हैं, जो करन्तीन नाराकजीवीं के (जिसमें रोग भी हैं) प्रवेश, स्थापना और/या फैलने का निवारण करने अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट उनका नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए हैं;
- (ण) ''यरामद करना'' से सर्विसिंग के दौरान या व्ययन से पूर्व मशीनरी, उपस्कर या संरोधित जलयान से ओजोन अवक्षयकारी पदार्थी का संग्रहण और भंडारण अभिप्रेत हैं:
- (त) ''उपयोगी बनाने'' से बरामद किए गए ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का, किसी विनिर्दिष्ट निष्पादन स्तर तक प्रत्यावर्तित करने के लिए ऐसी रीति जैसे फिल्टर करने, सुखाने, आसवन करने औंछया रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पुनः प्रसंस्करण और उन्तत करना अभिप्रेत हैं।

4

- (2) "अनुसूची" से इस नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।
- 3. ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपभाग का विनियमन
- (1) कोई व्यक्ति, अनुसूची 5 के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का उत्पादन तब तक नहीं करेगा या कराएगा जब तक कि वह उक्त अनुसूची के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत न हो

परन्तु अनुसूची 2 के स्तम्भ (6) में विनिर्दिष्ट तारीख की प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि के लिए और उसके पश्चात् प्रत्येक बारह माह की अवधि मे कोई व्यक्ति उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट उत्पादन के उसके परिकलित आधार स्तर के तत्सम प्रतिशत से अधिक ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के किसी समृह का उत्पादन नहीं करेगा या उत्पादन नहीं कराएगा

परन्तु यह और कि भारत में ऐसे पदार्थों के टपभोग का परिकलित स्तर, आधार वर्षों में टपभोग के परिकलित स्तर के प्रतिशत के रूप में अनुसूची 2 के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगा।

- (2) कोई व्यक्ति 1 जनवरी, 2000 से 1 जनवरी, 2010 तक की अवधि के दौरान अनुसूची 1 के स्तम्भ (4) में समूह ! और मनुह III के रूप में विनिर्दिप्ट ओदोन अवक्षयकारी पदार्थी का अनुसूची 3 के स्तम्भ (4) में विनिर्दिप्ट मात्रा से अधिक उत्पादन नहीं करेगा या उत्पादन नहीं कराएगा।
  - आधार वर्ष में उपभोग के परिकलित स्तर के रूप में भारत में ऐसे पदार्थी के उपभोग का-परिकलित स्तर अनुपूर्वा के स्तम्भ (5) में विनिर्दिग्ट संख्या से अधिक नहीं होगा:
- (3) कोई व्यक्ति जिसने प्रोटोकाल के, जिसकी केन्द्रीय सरकार, अनुसूर्ण 1 के स्तम्भ (4) में समृह । और समृह ।। के रूप में विनिर्दिष्ट ओजीन अवक्षयकारी पदार्थी के उत्पादन में आनुक्रमिक कमी करने के लिए पक्षकार हैं, अनुन्छेद 10 और 10क के अनुसरण में बहुपक्षीय निधि से वित्तीय सहायता ली हैं, 1 जनवरी, 2000 में 1 जनवरी, 2010 तक प्रत्येक वर्ष, बहुपक्षीय निधि की कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित करार के अनुसार, अनुसूर्णी 1 के स्तम्भ (4) में समृह । और ।।। के रूप में विनिर्दिष्ट ओजीन अवक्षयकारी पदार्थी के उत्पादन को, अनुसूर्णी 3 के स्तम्भ (6) में दिए गए विनिर्दिष्ट प्रत्येक वर्ष के लिए स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट मात्राओं तक सीमित करेंगे। उपनियम (3) में निर्दिष्ट करार के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार सीएफर्सी के उत्पादन के लिए कोटा प्रणाली जैसी कार्यान्वयन रूपरेखा प्रस्तुत करेगा। ऐसी रूपरेखा के अननुपालन का परिणाम, करार में अधिक्रियत पारिणामिक शास्तियां होगा।
  - 4. ऐसे देशों को निर्यात या उनसे आयात का प्रतिषेध जो अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट नहीं है।

कोई व्यक्ति, इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का, ऐसे देशों से, न तो आयात करेगा और न आयात कराएगा और न तो नियात करेगा, और न नियात कराएगा, जो अनुसूर्चा 6 में विनिर्दिप्ट नहीं हैं।

- ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट देशों को निर्यात या उनसे आयात केवल अनुज्ञप्ति के अधीन ही किया जाएगा
- (1) कोई व्यक्ति अनुसूची 6 में विनिर्दिप्ट किसी देश से किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का तब तक न तो आयात करेगा और न आयात कराएगा अथवा न तो निर्यात करेगा और न तो निर्यात कराएगा जब तक कि वह प्राधिकारी द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं कर लेता है।
- (2) डपनियम !(1) के अधीन कोई अनुजापि तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि उक्त प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता हैं कि अनुजापित के मंजूर किए जाने से सुसंगत बारह माह की अविध में ओजोन अवक्षयकारी पदार्थी के उस समूह के (अनुसूची 1 के स्तम्भ (4) में दिए गए समूह ! और समूह !!! से भिन्न) उपभोग का परिकलित स्तर, आधार वर्षों में तत्समय परिकलित उपभोग के प्रतिशत के रूप में अनुसूची 2 । के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगा।
- (3) उप नियम I (1) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि उक्त प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि अनुज्ञप्ति के मंजूर किए जाने से अनुसूची 3 के स्तम्भ (6) में विनिर्दिप्ट सुसंगत बारह मास की अविध में अनुसूची I के स्तम्भ (4) में समृह I और समूह III में विहित ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उपभोग का परिकलित स्तर,आधार वर्षों में परिकलित उपभोग के प्रतिशत के रूप में उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगा।
- (4) ओजोन अवक्षयकारी पदार्थी के प्रत्येक समूह के लिए सम्पूर्ण भारत के लिए उपभोग का परिकलित आधार-स्तर और उत्पादन का परिकलित आधार-स्तर केन्द्रीय मरकार द्वारा अधिमृचित किया जाएगा।

- 6. ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के विक्रय का विनियमन
- (1) कोई व्यक्ति, स्वयं या उसके निमित किसी व्यक्ति द्वारा या कोई उद्यम अनुसूची 5 के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट तारीख के परचान् किसी आजोन अवक्षयकारी पदार्थ का विक्रय स्टाक या विक्रय के लिए प्रदर्शन या वितरण तय तक नहीं करेगा जय तक कि यह उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत न हो :

परन्तु कोई व्यक्ति या कोई उद्यम, अनुसूची 4 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिप्ट क्रियाकलापों के लिए उक्त अनुसूची [ के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का विक्रय तब तक नहीं करेगा जब तक कि उक्त क्रियाकलाप में लगे हुए व्यक्ति ने स्वयं को प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत न करा लिया हो और इन नियमों के अनुसार घोपणा न दे दो हो तथा ओजोन अवक्षयकारी पदार्थी का विक्रय करने वाले व्यक्ति ने घोपणा में दो गई रजिस्ट्रीकरण को विशिष्टियों का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के माथ अनुसूची 12 के भाग 2 में विनिर्दिप्ट प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन न कर लिया हो :

परन्तु यह और कि अनुसूची 4 के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् कोई व्यक्ति या कोई उद्यम, स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट अवक्षयकारी पदार्थों का उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलामें के लिए विक्रय, स्टाक, वितरण या प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही विक्रय, स्टाक, वितरण या प्रदर्शन कराएगा।

- (2) कोई व्यक्ति, स्वयं या उसके निमित्त किसी व्यक्ति द्वारा या कोई उद्यम किसी ऐसे व्यक्ति या उद्यम को, जिसने केन्द्रीय सरकार की यह जानकारी दी हैं कि वह या ऐसा उद्यम विनिर्माण में या अन्य क्रियाकलामों में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थी का, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या उद्यम द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात उपयोग नहीं करेगा, किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का विक्रय, स्टाक या विक्रय के लिए प्रदर्शन या वितरण नहीं करेगा।
- (3) केन्द्रीय सरकार उन व्यक्तियों, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों और ऐसी तारीखों की, जिनकी जानकारी उसे उपनियम । (2) के अधीन दी गई है, सूची अधिसृचित करेगी।
  - 7. ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के क्रय का विनियमन

कोई व्यक्ति,स्वयं या उसके निमित्त किसी व्यक्ति द्वारा या कोई उद्यमं, अनुसूची 4 के स्तम्भ (3)में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के लिए ऐसे ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का स्टाक करने के लिए या उपयोग करने के लिए किसी व्यक्ति से तब तक क्रय नहीं करेगा जब तक कि उसने अनुसूची 5 के स्तम्भ (5) के क्रम संख्यांक 4 में विनिर्दिष्ट समयाविध के भीतर ऐसे पदार्थों के विक्रेता को अनुसूची 12 के भाग 1 में विनिर्दिष्ट घोषणा न दे दी हो:

- 8. ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के उपयोग का विनियमन
  - (1) कोई व्यक्ति या उद्यम, अनुसूची 4 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिप्ट ऐसे किसी क्रियाकलाप में जिसमें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिप्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का उपयोग होता है, अनुसूची 5 के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् तब तक नहीं लगेगा जब तक कि वह उस अनूसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिप्ट प्राधिकारी के पास रिजम्ट्रीकृत नहीं हो जाता है।
  - (2) कोई व्यक्ति, अनुसूची 5 के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् अनुसूची 4 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे क्रियाकलाप को, जिसमें उस अनूसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थी का उपयोग होता है, तय तक नहीं करेगा जब तक उत्पादों पर उनमें अन्तर्विष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ उपदर्शित करने वाला लेवल न लगा हो।
  - (3) कोई व्यक्ति, अनुसूची 4 के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात्, उस अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट ऐसी किसी क्रियाकलाप को नहीं करेगा जिसमें स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का उपयोग होता है।
  - (4) कोई व्यक्ति, अनुसूची 4 के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट किसी क्रियाकलाप को, स्तम्भ (3) में वर्णित ओ.अ.प. के उपयोग को अनुपस्थिति उपदर्शित करने वाले लेबल का उपयोग किए विना नहीं करेगा।
  - (5) ऐसा व्यक्ति, जिसने ओजोन परत का अवक्षयण करने वाल पदार्थों पर मान्ट्रीयल प्रौटोकाल के, जिसकी केन्द्रीय सरकार अनुसूची 4 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिप्ट क्रियाकलापों में उपयोग किए जाने वाले, अनुसूची 2 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिप्ट ओजोन अवक्षयकारो पदार्थों को समाप्त करने के लिए, पक्षकार है, अनुच्छेद 10 और 10क के अनुसरण में बहुपक्षीय निधि से वित्तीय और तकनीकी सहायता ली है, स्वयं या उनकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या किसी उद्यम द्वारा संपरिवर्तन कार्य के पूरा होने की तारीख के या ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ तकनीकी से ओजोन गैर अवक्षयकारी पदार्थ तकनीक में परिवर्तन

को सौंपने के प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर करने की तारीख के परचात् अनुसूची 4 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट एंसा कोई क्रियाकलाप नहीं करेगा जिसमें अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का उपयोग होता है और उक्त तारीख को अनुसूची 5 के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास रजिस्टर की जाएगी।

- (6) ऐसा व्यक्ति या कोई उद्यम्, जिसने ओजोन परत का अवक्षयण करने वाले पदार्थों पर मान्ट्रायल प्रोटोकाल के अनुच्छेद 10 और 10क के अनुसार बहुपक्षीय निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त की है, अनुसूची 5 के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को एक शपथपत्र/घोपणा प्रस्तुत करेगा जिसमें यह कथन होगा कि ओ. डी. एस. तकनीक से गैर ओ डी एस तकनीक में संपरिवर्तन की प्रक्रिया पूरी होने के परिणामस्वरूप प्रतिस्थापित उपस्कर को नष्ट कर लिया है, खोल दिया है, अनुपयोगी बना दिया गया है और यह कि परियोजना के पूरा होने की तारीख के पश्चात् किसी सी एफ सी का उपयोग नहीं किया जाएगा और उक्त तारीख अनुसूची 5 के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारों के पास रिजस्टर की जाएगी।
- ओजोन अवश्यकारी पदार्थों में नए विनिधानों का प्रतिशोध—
  - (1) कोई व्यक्ति, अनुसूची 2 के स्तम्भ (7) और अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात्, किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के उत्पादन के लिए विनिर्माण की सुविधा की स्थापना या विस्तार नहीं करेगा अथवा स्थापना या विस्तार नहीं कराएगा।
  - (2) कोई व्यक्ति, अनुसूची 2 के स्तम्भ (8) और अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात्. ऐसे उत्पादों के विनिर्माण करने की दृष्टि से, जिसमें कोई ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ अन्तर्विष्ट हैं या वह उससे बना हैं, विनिर्माण की सुविधा की स्थापना या विस्तार नहीं करेगा अथवा स्थापना या विस्तार नहीं कराएगा।
  - (3) ऐसा व्यक्ति, जिसने ओजोन परत का अवक्षयण करने वाले पदार्थों पर मान्ट्रोयल प्रोटोकाल के, जिसकी केन्द्रीय सरकार अनुसूची 3 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट ऐसे ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों को, जिनका अनुसूची 2 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में उपयोग होता हैं, समाप्त करने के लिए, पक्षकार हैं, अनुच्छेद 10 और 10क के अनुसार बहुपक्षीय निधि से वित्तीय और तकनीको सहायता ली हैं, संपरिवर्तन के लिए परियोजना के अनुमोदन के और ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ तकनीको से गैर ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ तकनीको से गैर ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ तकनीको में संपरिवर्तन कार्य पृत्त होने को तारीख के पश्चात् किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के उत्पादन के लिए या ऐसे उत्पादों के, जो किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ से युक्त हैं अथवा उससे बनाए जाते हैं, विनिर्माण की दृष्टि से किसी विनिर्माण सुविधा की स्थापना या विस्तार नहीं करेगा अथवा उनकी स्थापना या विस्तार नहीं कराएगा।
- 10. ऐसे उत्पादों के आयात, निर्यात और विक्रय का विनियम जो ओजोन अवस्यकारी पदार्थों से बने हैं या जिसमें वह अन्तर्विष्ट है—
  - (1) कोई ष्यिक्त, अनुसूची 7 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट ऐसे किसी उत्पाद का आयात, जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों से बने हैं या जिसमें वह अनिर्विष्ट हैं उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् तब तक नहीं करेगा या नहीं कराएगा जब तक वह प्राधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त नहीं कर लेता :
    - परन्तु ऐसे उत्पादों पर, जिनमें ऐसे ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ अन्तर्विष्ट नहीं हैं, अनुसूची 7 के स्तम्भ (4) में विनिदिष्ट तारीख के पश्चात् उसका आयात अनुजात किए जाने से पहले इस प्रभाव का लेबल लगा होगा।
  - (2) कोई व्यक्ति या उद्यम, अनुसूची 7 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट किसी उत्पाद का निर्यात, उस अनुसूची के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् तब तक नहीं करेगा या कराएगा, जब तक ऐसे उत्पाद पर यह विनिर्दिष्ट करते हुए लेबल न लगा हो कि उत्पाद, उस अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों से, यथास्थिति, बनाया गया हं अथवा नहीं या जिसमें वह अन्तर्विष्ट है या नहीं है।
  - (3) कोई व्यक्ति, स्वयं या उसके निमित किसी अन्य व्यक्ति या उद्यम द्वारा, अनुसूची 4 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट ऐसं क्रियाकलाणें के पारिणामिक किसी उत्पाद का या सेवाओं को व्यवस्था का, जिसमें स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उस अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् विक्रय, स्टाक या विक्रय के लिए प्रदर्शन या वितरण नहीं करेगा।
- ओजोंन अवश्वयकारी पदार्थों के उपयोगी बनाने और नष्ट करने का विनियमन—
  - (1) कोई व्यक्ति, अनुसूची 5 के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट तारीख के परचात् किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ को तब तक उपयोगी नहीं बनाएगा या उपयोगी नहीं बनाने देगा जब तक कि वह उस अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास रिजस्ट्रीकृत न हो।

- (2) कोई व्यक्ति अनुसूची 5 के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् किसी आंजोन अवक्षयकारी को तय तक नष्ट नहीं करेगा या नष्ट नहीं कराएगा जब तक कि वह उस अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास रिजस्ट्रोकृत न हो :
- मंपाडिकों के विनिर्माण, आयात और निर्यात का विनियमनः—
  - (1) कोई व्यक्ति, अनुमूची 5 के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् संपीड़िश्रों का विनिर्माण, आयात या निर्यात तव तक नहीं करेगा जब तक कि वह उस अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रोकृत न हो।
- 13. रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण का रहकरण और ऐसे आदेशों के विरुद्ध अपील के लिए प्रक्रिया—
  - (1) इन नियमों के विभिन्न उपबन्धों के अधीन रिजस्ट्रोकरण के लिए प्रक्रिया और रिजस्ट्रोकरण की शर्ते वे होगी, जो अनुसूची 9 में ত্ৰিনিহিত ক্ৰী আई!
  - (2) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारों, यह समाधान नहीं होने पर कि रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया या रजिस्ट्रीकरण की शर्ती का पालन नहीं किया गया है, रजिस्टर नहीं करेगा।
  - (3) रजिस्ट्रीकरण प्रधिकारी, रजिस्ट्रीकरण को रह कर देगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण को किसी सर्द (सर्दों) का अदिक्रमण किया गया है।
  - (4) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, टपनियम (2) और टपनियम (3) के अधीन आदेश पारित करने के पूर्व संबंधित व्यक्ति की सुनन्नाई का अवसर देगा और आदेश लिखित रूप में होंगे।
  - ु(ऽ) रिजस्ट्रीकरण प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील अनुसूची 5 के स्तम्भ (6) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास ऐसे आदेश के संसूचित किए जाने के तीस दिन के भीतर होगी।
  - (6) राजस्ट्रीकरण, अनुसूची ९ में विनिद्धि अविध के लिए विधिमान्य होगा और उसका नवीकरण आवश्यक होगा।
  - (7) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रक्रिया और उसकी शर्ते वही होंगी जा रजिस्ट्रीकरण के लिए लागू हैं।
- 14. मानीटर करने और रिपोर्ट करने की अपेक्षाएं—
  - (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का उत्पादन आयात, निर्यात या विक्रय करता है, अनुसूची 10 के भाग 1 में विनिर्दिष्ट रीति से अभिलेख रखेगा और रिपोर्ट फाइल फरेगा।
  - (2) प्रत्येक व्यक्ति, जो अनुसूची 4 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में उपयोग के लिए किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का स्टाक करता है या उसका क्रय करता है, अनुसूची 10 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट रीति से अभिलेख रखेगा और रिपोर्ट फाइल करेगा।
  - (3) उत्यंक व्यक्ति, जिसने किसी अन्तरांष्ट्रीय संगठन से तकनंकी या वितीय सहायता या कोई वितीय सहायता प्राप्त की हो जिसमें केन्द्रीय सरकार से कोई रियायत या शुल्कों के संदाय से छूट सम्मिलित हैं, अनुसूची 10 के भाग 3 में विनिर्दिण्ट रोति से अभिलेख रखेगा और रिपोर्टे फाइल करेगा। ऐसे व्यक्तियों को सूची केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित को जाएगी।
  - (4) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के उपयोगी बनाने की सुविधा है, अनुसूची 10 के भाग 4 में विनिर्दिष्ट रीति से अभिलेख रखेगा और रिपोर्ट फाइल करेगा।
  - (5) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास किस्ते ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ को नष्ट करने को सुविधा है, अनुसूची 10 के भाग 5 में यिनिर्दिष्ट रोति में अभिलेख रखेगा और रिपोर्ट फाइल करेगा।
  - (6) प्रत्यंक ष्यक्ति, जा संपीड़ित्रों का बिनिर्माण, आयात, निर्यात या विक्रय करता है, अनुसूची 10 के भाग 6 में बिनिर्दिप्ट रीति में अभिलेख रखेगा और रिपोर्ट फाइल करेगा।
  - (7) उपरोक्त उपनियमों के अनुसार बनाए जा रहे अिलेख अनुसूची 10 के भाग 7 में बिनिर्दिप्ट रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 15. छुट-

इन नियमों को कोई चात अनुसूची ६ में विनिर्दिष्ट उपयोजनों या परिस्थितियों को लागू नहीं होगी।

अनुसूची-! [नियम 2 (इ.),(ढ), 3(2), (3) और 5(3) देखिए]

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थी की सूची

क्रम सं.		ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का रासायनिक सम्मिश्रण	समूह	ओजोन अवक्षयकारी विभव
	नाम ं	साम्पश्रण	<del> </del>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सी.एफ.सी.—11	ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथैन (सी एफ सीएल—3)	ſ,	1.0
Σ.	सी.एफ.सी.—.12	ं डाइक्लोरोडाइफ्लोरोपेर्थन (सी एफ <sub>़</sub> सीएल <sub>,</sub> )		1.0
3.	सी.एफ.सी.— र्गाउ	ट्राइक्लोरोट्राइफ्लोरोएथेन (स्त्रीं, एफ, सीएल,)	I	3.6
4.	सी.एफ.सी.—114	डाइक्लोरो टैट्राफ्लोरोथेन (सी एफ् सीएल्,)	I	1.0
5.	सी.एफ.सी.—115	क्लोरोपेन्टाक्लोरोएथेन (सी, एफ, सीएल)	1	0.6
6.	<b>हैं लोन—1211</b>	बरोमोक्लोरोडाइफ्लतरोमेथैन (सी एफ्रु वी आर सी एल)	> II	3.0
<b>7.</b>	हैलोन—1301	बरोमोट्राइफ्लोरोमेथैन (सी एफ्रुबी आर)	τι	10.0
8.	हैलोन—2402	हाइबरमोटैट्राफ्लोरोमेथैन (सी <sub>,</sub> एफ <sub>,</sub> वी आर <sub>,</sub> )	II	6.0
9.	स्ते.एफ.सी.—13	बलोरोट्राइफ्लतरोमेथैन (सी एफ सीएल)	111	1.6
10.	स्रो. एफ.स्रो.—111	पेन्टा <mark>बिलोरो</mark> फ्रतग्रेएथेन (सी <sub>,</sub> एफ सोएल <sub>,</sub> )	111	1.0
11.	सी.एफ.सी.—112	<b>टैट्राक्लोरोडाइफ्लो</b> रोमेथंन (सी <sub>,</sub> एफ <sub>,</sub> सीएल <sub>,</sub> )	m	1.
12.	स्ते.एफ.सी.—211	<b>है</b> पराक्लोरोफ्लोरोप्रोपेन (सी <sub>,</sub> एफ सीएल <sub>,</sub> )	<b>:::</b>	1
13.	स्रो.एफ.स्रो.—212	हैक्साक्लोरोडाइफ्लोराप्रापन (सी <mark>, एफ</mark> , सीएल,)	itt	-
14.	स्री.एफ.स्री.—213	पेन्टाक्लोरोट्राफ्ललोरोप्रोपेन (सी, एफ, सीएल,)	III	. 1
15.	स्रो.एफ.स्रो.—214	टैट्राक्लोरोटैट्राफ्लारोप्रोपन (सी, एफ, साएल,)	111	•

(PART			
	 	==	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	सी.एफ.सी.—215	ट्राइक्लोरोपेन्टाफ्लोरोप्रोपेन (स्ते, एफ्, सीएल्,)	III	1.0
17.	सी.एफ.सी.—216	ढाइक्लोग्रेहैक्साफ्लोग्रेप्रोपेन (सी, एफ, सीएल,)	TII .	1.0
18.	सी.एफ.सी.—217	क्लोग्रेहैप्टाफ्लोग्रेपोपेन (सी, एफ, सीएल)	Ш	1.0
19.	कार्बन टैट्राक्लोराइड	टैट्राक्लोरोपेथैन (सीसीएल् )	IV	1.1
20.	मेथिल क्लोरोफार्म	1, 1, 1—ट्राइक्लोरोएथेन (सी, एच, सीएल,)	V	0,1
21.	एच.सी.एफ.सी.—21	डाइक्लोरोफ्लोरोमेथॅन (सो एच एफ सोएल <sub>,</sub> )	VI	0.04
22.	एच.सी.एफ.सी.—22	क्लोरोडाइफ्लोरोमेथैन (स्र्त एच एफ्, सीएल्,)	VI	0.055
23.	एच.सो.एफ.सो.—31	क्लोरोफ्लोरोमेथेन (सो एच, एफ सोएल)	VI	0.02
24.	एच.सी.एफ.सी.—121	टैट्राक्लोरोफ्लोरोमेथॅन (सीं, एच एफ, सोएल,)	VI ·	0.04
25.	एच.सी.एफ.सी.—122	ट्राइक्लोरोडाइफ्लोरोएथैन (सो <sub>,</sub> एच एफ <sub>,</sub> सीएल,)	Vī	0.08
26.	एच.सो.एफ.सो.—123	2, 2 <b>-ड्राइक्लोरो</b> —1,1,1 ट्राइफ्लोरोएथैन (सो, <b>एच ए</b> फ, सीएल,)	VI	0.06
27.	एच.सी.एफ.सी.—123क	1.2 <b>डाइक्लोरों—1,1,2</b> ट्राइफ्लोरोएथैन (सी एच सी एल, सीएफ,)	VI	0.02
28.	एच, सी. एफ. सी. — 124	2 <b>—क्लोरो—</b> 1,1,1,2—ट्राइफ्लोरोएर्थन (सीं <mark>, एच एफ</mark> ् सीएल)	, VI	0.04
29.	एच.सी.एफ.सी.— 124क	2—क्लोरों—1,1,2, 2—ट्राइफ्लारोएधँन (सी एच एफ सीएल सी एफ्रु)	VI	0.022
30.	एच.सी.एफ.सी.—131	डाइक्लोरोफ्लोरोएधँन (सी <sub>,</sub> एच <sub>,</sub> एफ सीएल <sub>,</sub> )	VI	0.05
31.	एच.सी.एफ.सी.— 132	डाइक्लोरोडाइफ्लोरोएथैन (सी, एच, एफ, सोएल,)	VI	0.03
32.	एच.सी.एफ.सी.—133	क्लोराट्राइफ्लोरोएथैन (सी, एच, एफ, सीएल)	VI	0.00
33.	एच.सी.एफ.सी.— 141	डाइक्लोरोफ्लोरोएथैन (सी <sub>,</sub> एच, एफ सीएल <sub>,</sub> )	- VI	0.0
34.	एच.सी.एफ.सी.—141 ख	1, 1— <b>डाइक्लोरो</b> —1 फ्लोरोएथैन ( <i>स</i> र्ने <b>एच, सी</b> एफ सीएल,)	VI	0.1

[ ਮਾਸ fI—खण्ड 3(ii) ]		भारत का राजपत्र : असाधारण	9	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35.	एच.सी.एफ.सी.— 142	क्लोरोडाइफ्लोरोएथैन (सी, एच, एफ, रगेएल)	VT	0.07
<b>3</b> 6.	एच.सी.एफ.सी 142 ख	1—क्लोरो—1,1 डाइफ्लोरोएथैन (सी एच <sub>,</sub> सी एफ <sub>,</sub> सीएल)	VI	0.065
37.	एच.सी.एफ.सी.—151	क्लोरोफ्लोरोएथैन (सी <sub>,</sub> एच <sub>,</sub> एफ सीएल)	VI,	0.005
38.	एच.सी.एफ.सी.—221	हैक्साक्लोरोफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच एफ सीएल,)	M	0.07
39.	एच.सी.एफ.सी.—222	पेन्टाक्लोरोडाइफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच एफ, सीएल,)	M	0.09
40.	एच, सी. एफ. सी.—223	टेट्रा <b>रलोरोट्राइपलोरोप्रोपेन</b> (सी, एच एफ, सीएल,)	<b>L</b>	0.08
41.	एच. सी. एफ. सी.—224	ट्राइक्लोरोटैट्राफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच एफ, सीएल,)	VI.	0.09
42.	एच. सी. एफ. सी.—225	डाइक्लोरोपेन्यफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच एफ, सीएल,)	VI	0.07
43.	एच. सी. एफ. सी.—225सीए	1, 3—डाइक्लोरो—1, 2, 2, 3, 3— पेन्यफ्लोरोप्रोपेन (सी एफ, सीएफ, सी एच सीएल,)	M	0.025
44.	एच. सी. एफ. सी.—225 सीबी	1,3— <b>डाइक्लोरो</b> —1, 2, 2, 3, 3— पेन्टाफ्लोरोप्रोपेन (सो एफ, सी एल सी एफ, सी एच सीएल एफ)	VI	0.033
45.	एच. स्ती. एफ. सी.—226	बलोरोहेक्साफ्लोरोप्रोपेन (सो, एच एफ, सोएल)	17	0.10
46.	एच. सी. एफ. सी.—231	पेन्यक्लोरोफ्लोरोप्रोपेन (सी <sub>,</sub> एच <sub>,</sub> एफ सीएल <sub>,</sub> )	VI	0.09
47.	एच. सी. एफ. सी.—232	ट्राइ <b>क्लोरोडाइफ्लोरोप्रोपेन</b> ( <b>सी, एच, एफ,</b> सीएल <sub>,</sub> )	VI	C:10
48.	एच. स्ती. एफ. सी.—233	ट्राइ <b>क्लोरो</b> ट्राइफ्लोरोप्रोपेन ( <b>सी<sub>,</sub> एच</b> , एफ, सीएल,)	VI	0.23
49.	एच. सी. एफ. सी.—234	डाइक्लोग़ेटेट्राफ्लोगोप्रोंपेन (सी, एच, एफ, सीएल,)	VI	0.28
50.	एच. सी. एफ. सी.—235	क्लोरोपेन्टाफ्लोरोप्रोपेन ( <b>सी, एच</b> , एफ <sub>,</sub> सीएल)	VI	0.52
51.	एच, सी, एफ, सी,—241	टैट्राक्लोरोफ्लोरोप्रोपेन (सौ, एच, एफ सीएल)	VI	0.09

				PART II—SEC. 3 (i
1)	(2)	(3)	(4)	(5,
52.	एच. सी. एक. सी.—242	्ट्राइक्लोरोफ्लोरोप्रोपेन (सो, एच, एफ, सोएल,)	VI	0.13
3.	एच. सी. एफ. सी.—243	<b>ढाइक्लोरोट्राइफ्लोरोप्रोपेन</b> (सी, एच, एफ, सीएल <sub>,</sub> )	VI .	0.12
4.	एच. सॉ. एफ. सी.—244	बलोरोटैट्राफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ, सीएल)	VI	0.14
5.	एच. सॉ. एफ. सी.—251	ट्राइक्लोरोफ्लोरोप्रोपेन (सो, एच, एफ साएल,)	M	0.01
6.	एच. सी. एफ. सी.—252	'डाइक्लोरोडाइफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ, सीएल	M	0,04
7.	एच. सी. एफ. मी.—253	बलारोट्राइफ्लोरोप्रोपेन (सी <sub>,</sub> एच <sub>,</sub> एफ <sub>,</sub> सीएत	VI	0.03
6.	एच. सी. एफ. सी.—261	डाइक्लोरोफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ साएल,)	VI	0.02
9.	एच. सी. एफ. सी.—262	क्लोरोडाइफ्लोरोप्रोपेन (मी, एच, एफ, सीएल)	VI	0.02
0.	एच. सी. एफ. सी.—271	क्लोरोफ्लोरोप्रोपेन (मो, एच, एफ साएल)	\1	0.03
1.	वी. एफ. सी.—21बी2	डाइबरोमोफ्लोरा मेथेन (सी एच एफ यो आर्)	VII	1.00
2.	एच. बी. एफ. सी.—22बी1	बरोमोडाइफ्लोरोमेथैन (सी एच एफ <sub>,</sub> बी आर)	. 111	0.74
3.		चरोमोफ्लोरोमेथेन (स्री एच् एफ यो आर)	VII	0.73
. <b>.</b>	•	टेट्रायरोमोफ्लारोएथन (सी <sub>,</sub> एच एफ वी आर्)	VII	0.8
5.		ट्राइयरामोडाइफ्लोराएथन (सी, एच एफ, यी आर,)	VII	1.8
6.	एच. ची. एफ. सी 123वी2 एच. ची. एफ. मी 123एबी2	डाइबरोमोट्टाइफ्लोराएथन (सी <sub>,</sub> एच एफ वी आर <sub>,</sub> )	VII	1.6
7.	एच. बॉ. एफ. सी.—124वी1	<b>यरोमोटैट्रा</b> फ्लोरोएथॅन (सीं <mark>, एच</mark> एफ <sub>,</sub> वी आर)	VII	. 1.2
8.		ट्राइबरोमोफ्लोरोएथॅन (सी <sub>,</sub> एच, एफ वी आर,)	· VII	1.1
9.		डाइयरोमोडाइफ्लोरोएथन (सी, एच, एफ, यो आर.)	MI	1.9
70.		बरोमोट्राइफ्लोरोएर्थन (सी, एच, एफ, वी आर)	VII	1.6

(भाग ॥	—खण्ड 3(ii)}	भारत का राजपत्र : असाधारण	<u></u>	11
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
71.		डाइबरोमोफ्लोरोएर्थन (सी <sub>,</sub> एच <sub>,</sub> एफ बी आर्,)	VII	1.7
72.	एच. वो. एफ. सो.—124 <mark>बो</mark> ,	बरोमोडाइफ्लोरोएथैन (सी, एच, एफ, वी आर)	VII	1.1
73.	एच. वी. एफ. सो.—124वी,	बरोमोफ्लोरोएथैन (सो, एच, एफ वी आर)	VII	0.1
74.		हैक्साबरोमोफ्लोरोएथेन (सो एच एफ बो आर्)	VIII	1.5
75.		पेन्टाबरोमीडाइफ्लोरोप्रापन (सो, एच एफ, वी आर्)	VII	1.9
76.		टेट्रावरामोफ्लोरोप्रोपेन (सो, एच एफ, वी आर्)	, VII	1.8
77.		ट्राइबरोमोटैट्राफ्लोरोप्रोपन (सो, एच एफ, बो आर,)	VII	2.2
78.		डाइबरोमोपेन्टाफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच एफ, बी आर,)	VII	2.0
<b>7</b> 9.		बरोमोहंबसाफ्लोरोप्रोपेन (सो एच एफ् वो आर)	VII .	3.3
80.		पेन्टाबरोमोफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ बी आर्.)	VII	1.9
81.		टैट्राबरोमोडाइफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ, बी आर,)	IIV	2.1
S2.		ट्राइबरोमोट्राइफ्लोरोप्रोपेन (साँ, एच, एफ, वाँ आर,)	MI	5.6
83.		डाइबरोमोर्टट्राफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ, बी आर,)	MI	7.5
84.		वरोमोपेन्टाफ्लोरोप्रोपेन (साँ, एच, एफ, वी आर)	ורי	1,4
<b>8</b> 5.	. <b>'</b>	टेट्रावसेमोफ्लारोप्रोपेन (स्रो एच एफ वो आर)	VII	1.9
86.		ट्राइवरोमाडाइफ्लोरोप्रोपेन (स्रो, एच, एफ, वी आर,)	VII	3,1
87.		डाइबरोमोट्राइफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ, बी आर,)	VII	2.5
88.		बरोमोटेट्राफ्लोरोप्रोपेन (सी, एच, एफ, बी आर)	VII	<b>4.4</b>

.

[Part II—Sec. 3 (ii)	PAST	II—Sec.	3	(ii)
----------------------	------	---------	---	------

14		THE GAZETTE OF WASHINGTON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
89.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ट्टाइयरोमोफ्लोरोप्रोपेन	Vii	0.3
		(सीं एच् एफ यी आर्)		
90.		डाइयरोमोडाइफ्लोरोप्रोपेन	VII	1.0
•		(सी, एच, एफ, बी आर,)	•	
91.		बरोमोट्राइफ्लोरोप्रोपेन	VII	0.8
		(सी, एच, एफ, वी आर)		
92.		डाइबरोमोफ्लोरोप्रोपेन	VII	4.4
		(सी, एच, एफ वी आर,)		
93.		<b>यरोमोडाइफ्लोरोप्रोपे</b> न	VII	0.8
		(सी, एच, एफ, यी आर)		
94.		<b>यरोमोफ्लोरोप्रो</b> पेन	VII	0.7
		(सी एच एफ वी आर)		
95.		मिथायल बरोमाइड	VII	0.6
		(सी एच् वी आर)		

अनुतूची 2 [नियम 2 (ग), 3(1), 5(2) और 9 देखिए] ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के समूह के उत्पादन और उपभोग का विनियमन

क्रम सं.	ओजोन अवसयकारी पदार्थी के समूह का नाम	आधारिक स्तर से संबंधित वर्ष	सम्पूर्ण समूह का बारह मास की अवधि में आधारिक स्तर की प्रतिशतता के रूप में अधिकतम अनुज्ञेय उत्पादन
(1)	(2)	(3)	(4)
1क	II	1995—1997	110
ख	II	1995—1997	60
ग	II	1995 <b>—199</b> 7	0
2क	IV	1998-2000	25
ਧ	IV	1998-2000	0
उक	V	1998—2000	1105
ত্ত	V	1998—2000	80
η	V	1998—2000	40
घ	V	1998-2000	0
<b>4क</b>	VI	2015 1-2016	1105
ख	VI	2015	0 .
5	VII	0	0
6क	VIII	1995—1998	110
দ্ৰ	VIII	1995—1 <b>99</b> 8	80
1]	VIII	19951998	0

<sup>°</sup>अनुसूची १ के हाइझेक्लोगे फ्लुओगे कार्बीनों (समृह 6 के अधीन क्षो<del>जोन क्षवक्षयकारी पदार्च) के ठत्पादन और ठपभोग के लिए</del> निर्धारण वर्ष।

个 सभी समूह 6 पदार्थों के लिए 2015 अधारिक स्तर है।

संपूर्ण समूह के लिए आथारिक वर्षों का परिकलित उपभोग प्रतिशतता के रूप में बारह मास की अवधि के लिए अधिकतम अनुद्रेय उपभोग	स्तप्प (4) और स्तम्प (5) मे संबंधित तारीख	ओजोन अवस्यकारी पदार्थों के उत्पादक को क्षमताओं के सृजन पर पाबंदी	ओजोन अवशयकारी पदार्थों से बने या उनमें युक्त उत्पादों के विनिर्माण के लिए नई क्षमताओं के सृजन पर पावदों
5	6	7	8
100	1-1-2002	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत होंगे	वह तारीख जव यह नियम प्रवृत्त होंगे
50	1-1-2005	_	_
0	1-1-2010	_	
15	1-1-2005**	<del></del>	. <del></del>
15	1-1-2010	-	-
750	1-1-2003		. <del>-</del>
70	1-1-2005	_	_
30	1-1-2010	-	<del></del>
0 4	1-1-2015	-	
100	1-1-2016	<del>-</del>	-
o	1-1-2040*	_	_
100	12002		-
so	12005		_
e	1-1-2015	-	1-1-2015

<sup>\*</sup> अनुसूची 1 के हाइड्रोक्लोरो फ्लुओरो कार्बोनों (समृह 6 के अधीन ओजोन अवक्षयकारों पदार्थ) के उत्पादन और उपभोग के लिए निर्धारण वर्ष।

<sup>🕶</sup> संपव आवश्यक उपभोग छूट 🖮 साध।

अनुसूची 3 {नियम २ (ग.), 3(2), (3), 5(3), 9(1) और २ देखें}

अनुसूची 1 के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट ओजोन अवश्यकारी पदार्थों के समूह I और समूह III के उत्पादन और रुपभोग का विनियमन

	ओजोन अवसयकारी पदार्यों के समृह का नाम	आधास्ति स्तर* से सर्वेधत वर्ष	समूह (संपूर्व रूप से) के लिए बारह मास को किसा अविध में अधिकतम अनुद्रेय उत्पादन (मि.ट.)	संपूर्ण समृह के लिए आधारिक वर्षों में परिकलित स्तर के उपभाग की प्रतिशतता के रूप में वारह मास की कियां अवधि में अधिकतम अनुज्ञंय उपभाग	स्तंभ 4 और 5 से संबंधित तारोख	ओजोन अवसयकारी पदार्यों के उत्पादन की समताओं के सृजन पर पायदा	ओजोन भ्यक्षयकारी भदार्थों से युक्त या उनसे बनाए गए उत्पादों के विनिर्माण को नई क्षमताओं के स्वान पर पाबदी
1	2	3	4	5	ć	7	8
1	1 . Ш	1995-97 1998-2000	20,706	90%	31-12-2000	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत होंगे	वह ताग़ेख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे
2	1 10	1995-97 1998-2000	18,824 —	83%	31-12-2001	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत होंग	वह तारीख जब यह नियम <b>प्रवृत्त होंगे</b>
3	1 III	1995~ <b>97</b> 1998- <b>200</b> 0	16.941 —	75%	31-12-2002	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे
4	1 <b>II</b>	1995-97 1998-2000	15,058	66%	31-12-2003	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे	वह तारोख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे
5	1 III	1995-97 1998-2000	13.176 —	58%	31-12-2004	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत होंगे	वह तारोख जब यह नियम प्रवृत्त होंगे
6	1 !!!	1 <del>9</del> 95-97	11,294	50%	31-12-2005	वह तारीख जब यह नियन पत्रत होंगे	वह तारीख जब यह तियम पतृत होंगे
7	1 []]	1995-97 1998-2000	7,342 —	334	31-12-2006	बह तारोख जब यह नियम प्रवृत होंग	वह तारीख जब यह नियम प्रवृत होंगे
8	1 III	1995-97 1998-2000	3,389	15%	31-12-2007	बह तारोख जय यह नियम प्रवृत होंगे	वह तारीख जय यह नियम प्रवृत होंगे
9	. 1 111	1995-97 1998-2000	2,259	10%	31-12-2008	वह तारांख जय यह नियम प्रवृत्त होंगे	वह तारीख जय यह नियम प्रवृत्त होंगे
10	1 III	1995-97 1998-2000	1.130	10%	31-12-2009	वह तारोख जय यह नियम प्रवृत होंगे	यह तारीख जर्च यह नियम प्रवृत होंगे
- 11	1 III *	1995-97 1 <b>99</b> 8-2000			1-12-2010 के पश्चात्	यह तारीख जब यह नियम प्रयुत्त होंगे	यह ताग़िख दय यह । नियम प्रवृत्त होंगे

<sup>\*</sup>किसी ऐसे क्लोरो फ्लोरो कार्यन उत्पादन/उपभोग के सिवाय, जिसके लिए पक्षकार, भारत में आवश्यक उपयोगों को पूरा करने के लिए सहभत हुए हैं।

## अनुसूची 4

(ਜਿਸਸ e(1), 7, 8(1), (2), (3), (4) और (5), 9(3), 10(3) देखें }

# आंजोन अवक्षयकारी पदार्थी के उपभोग का अंतिम उपयोग के आधार पर विनियमन

क्रम सं	क्रियाकलापों का नाम	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के समूह का नाम	केज आउट तारीख *
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	एयरोसोल उत्पादों या टावोकृत डिस्पेन्सरों (औपधीय उद्देश्यों के लिए मोटरर्ड होस इनहेलर के अलावा) का विनिर्माण	समृह ।	1-1-2003
2.	फेन उत्पादों के लिए फेलाइओल का विनिर्माण	समृह !	1-1-2003
3.	केन उत्पादों घरेलू रिफ़्रज़रेटरों के केन भाग सहित का विनिर्माण	समृह ।	1-1-2003
4.	अग्निशनको या अग्निशनक यंत्रों का विनिर्माण	समूह 🏻	1-1-2001**
5.	गतिशोल वातानुकूलन यंत्रों का विनिर्माण और आटोमोबाइल उद्योग पर प्रभार	समूह ।	1-1-2003
6.	अन्य प्रशांतन और वातानुकूलन उत्पादों (संपीडित्रों के अलावा) का विनिर्माण	समूह ।	1-1-2003
7.	विभिन्न उत्पादों का वितिर्माण	समृह I, III, IV और V	1-1-2010
8.	अग्निशमकों और अग्निशमक यंत्रों की सर्विसिंग	समूह ॥	1-2010**
9.	आपधीय उद्देश्यों के लिए मीटरर्ड डोस इनहेलर्स का विनिर्माण	समूह ।	1-1-2010
10.	विभिन्न उत्पादों का विनिर्माण	समूह VI	1-1-2040
11.	पोल लदान पूर्व या करतीन के सिवाय मिथायल बोमाइड का उपयोग	समूह VII	1-12-2015

<sup>ै</sup> ऐसे ष्यक्ति या उद्यम के लिए जिसने गैर ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ तकनीक में परिवर्तन के लिए या गैर ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ तकनीक के साथ नई क्षमता की स्थापना या विस्तार के लिए विजीय सहायता प्राप्त की है, फेज आउट तारीख वह तारीख होगी जो परिवर्तन परियोजना के पूर्ण होने की है या अनुसूची 4 के स्तंभ (4) में दी गई है, इनमें से जो भी पूर्णतर हो।

# अनुसूची ऽ

[तियम २(७३), ३(1), 6(1), 7, 8(1), (2),(5), और (6), 11(1), (2), 12(1), 13(5) देखिए]

प्राधिकारी, उनके कार्यो और उनके रजिस्ट्रीकरण को अंतिम तारीख की सृन्त्री

# भाग-। अनुसूर्वा 1 के समूह VIII से भिन्न ओजोन अवक्षयकारी पदार्थी के लिए

क्रम्सं.	नियम सं.	कार्य	प्राधिकारी का नाम	रजिस्ट्रीकरण की अतिम तारीख	अपोल प्राधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)	·(4)	(5)	(6)
1.	3 (1)		पर्यावरण और वन मंत्रालय का ऐसा अधिकारी जो उपसचिव के पद से नीचे का न हो	इन नियमों के प्रारंभ के तोन मास पश्चात्	राचिव पर्यावरण और वन मंत्रालय
2.	3,4,5,10 (1),(10),(2)	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थी और ओजोन अवक्षयकारी पदार्थी		_	_

(1) (2)	(3) 2	(4)	(5)	(8)
	से युक्त या बनाय गये उत्पादों के आयात/ नियांत को अनुज्ञप्ति		."	
3. 6(1)	ओजोन अवक्षयकारी/ पदार्थी के व्यापारियों/ व्योहारियों/थोक विक्रेताओं/विक्रेताओं का रजिस्ट्राकरण	(i) यदि ओजोन अव- क्षयकारी पदार्थ का उत्पादन भारत में हे रहा हैं, तो विशिष्ट उत्पादक का ऐसा अधिकारी जो प्रवंधक के पद से नीचे का न हो	इन नियमों के प्रारंभ के एक वर्ष पश्चात्	पर्यावरण और वन मंत्रालय का ऐसा अधिकारी जो उप- सचिव के पद से नीचे का न हो
		(ii) यदि ओजोन अव- श्रवकारी पदार्थ का आवात हो रहा हैं तो विशिष्ट आयातकर्ता का ऐसा अधिकारी जो प्रवंधक के पद से नीचे का न हो		
4. 8 (1)	अनुसूची 4 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में संलग्न ष्यक्तियों/ उद्यमों (जिनका पूंजी विनिधान का रजिस्ट्रीकरण 1 करोड़ से कम हो)	लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के अधीन लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत अपनी-अपनी अधिकारिता वाले लघु उद्योग सेवाएं	इन नियमों के प्रारंभ के एक वर्ष पश्चात्	पयांवरण और वन मंत्रालय का ऐसा अधिकारी जो उप सचिव के पद से नीचे का न हो
	अनुसूची 4 के स्तंभ (2) में क्रियाकलाणें में संलग्न व्यक्तियों/ उधमों का राज- स्ट्रीकरण (जिनका पूंजी विनिधान 1 करोड़ से अधिक है।)	संस्थान के कार्यालयों का प्रभारी अधिकारी पर्यावरण और वन मंत्रालय का ऐसा अधिकारी जो उप सचिव के पट से नीचे का न हो	इन नियमों के प्रारंभ के एक वर्ष पश्चात्	प्रयावरण ऑर वत मंत्रात्त्व का संस्थि
5. 11(1)	आजान अवक्षयकारी पदार्थी का पुनर्दाया करने को सुविधा रखने वाले ष्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण	लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के अधीन लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत अपनी-अपनी अधिकारिता वाले लघु उद्योग सेवाएं संस्थान के कार्यालयों का प्रभारी अधिकारी।	इन नियमों के प्रारंभ के एक वर्ष पश्चात्	पयांवरण और वन मंत्रालय का ऐसा अधिकारी जो उपसचिव के पद से नीचे का न हो

( ध्या ((—	खण्ड 3(ii)}		भारत ब्ह्न राजपत्र : अलाह		
(1)	(2)	(3)	(4)	:57	(6)
č.	11 (2)	आजान अवश्वयकारा पदार्थी को नप्ट करने की सुविधा रखने वाले व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण	तानु उद्योग, कृष्टि और ग्रामीण उद्योग मंत्रात्तव के अधीन लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत अपनी-अपनी अधिकारिता वाले लघु उद्योग सेवाएं संस्थान के बार्यालयों का प्रभारी अधिकारी।	इन नियमों के प्रारंभ के एक वर के पहचात्	भवीयक और वन मंत्रालय का ऐसा अधिकारी जो उपसन्तिव के पद से नीचे का द हो
	12	संपांडित्रों के विनिमांताओं, आयातकर्ताओं और नियांतकर्ताओं (जिनका पूंजी विनिधान 1 करोड़ रु. से कम हो) का रजिस्ट्रीकरण	लयु उद्योग, कृषि आँर ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के अधीन अपनी-अपनी अधिकारिता वाले लघु उद्योग सेवाएं संस्थान के कार्यालयों का प्रभारी अधिकारी।	इन नियमों के प्रारंभ के एक बर्य के परचात्	पर्यावरण और वर मंत्रालय का ऐसा अधिकारी जो उपसचिव के पद से नीचे का न हो
	and the second s	संपोडित्रों के विनिर्माताओं, आयातकर्तओं और निर्यातकर्ताओं (जिनका पूंजी विनिधान 1 करेड़ रु. से अधिक हैं) का रजिस्ट्रोकरण	पर्यावरण और वन मंत्रालय का ऐसा अधिकारी जो उपसचिव से कम रैंक का न हो	इन नियमों के प्रारंभ के एक वर्ष के पश्चात्	सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय
		भाग-11 अनुसूची 1 वे	k समूह-VIII ओजोन अवध	ायकारी पदार्थों के लिए	
न्नान सं.	नियन सं.	कार्य	प्राधिकारी का नाम	रजिस्ट्रोकरण की अंतिम तारीख	अपील प्राधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<b>(6)</b>
1	3 (1) 6 (1) 8 (1) 11 (1)	रजिस्ट्रीकरण	कोटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) में यथा- विनिर्दिग्ट	कोटनाशी अधिनियम. 1968 ( 1968 का 46 ) में यथाविनिटिंग्ट	कोटनाशी अधिनियम. 1968 ( 1968 का 46) में यथाविनिदिप्ट

	अपूर्वी-6	······································	(2)
	- स्थिम ३. ६५ ३ ५ त्रोग्रास्		ऋस्तिक
मार्नाटः	यत प्रोटोकाल, 1987 में यश्चकर देशों की सूची	29.	<b>प्यूर्श</b>
	कर्म कर के किया निर्माण के किया है। जन्म विकास कर के किया निर्माण के किया किया के किया के किया के	30.	<b>सद्यरम</b> े ं
		31.	डोमोनिक:
ानाट्रयल प्र एवं के का	गेटोकोल के अनुच्छेद 5 के पैए 1 के अधन कार्य कार्ने । में वर्गीकृत पक्षकारों की मुख्ते	32.	डोमीनिकन गणराज्य
		33.	इक्वेडर
ं क्रम सं.	তৈর আম	34.	নির
(1)	(2)	35.	एस सातवाडोर
ī	अल्बंधियः	3e.	इधिओपिया
2.	ं अन्त्रंगुआ और यसबुड.	37.	सिन <u>ी</u>
3.	अर्जन्द्रोनः	38	पंबोन
÷.	वहानस	3÷.	रमस्थित्रः
5.		48.	विभोरितया
		41.	यन
ć. -	यंगला देश -	42.	प्रेनस्य
7.	यारवादोस	43.	युआएमला
8.	वेलिज	44.	गु आनिया
9.	<b>येनिय</b> ्राहरू	45.	गुआवा
10.	यो <u>ल्लिय</u> ।	46.	<b>सेनहुरस</b> ् ु
11.	बोर्यानम् और हर्जेगीवना	47.	भारत
12.	वात्सवानः	45.	इन्होनेशिया
13.	ग्राजी <b>ल</b>	49.	इस्लामी गणराज्य इसम
14.	वुरुदी टारमलम	<b>50.</b>	ज <b>म</b> इका जार्डन
15.	च्रमर्तना कार्या	51. 52	बाडिय बोबिया
io.	्रवृत्यस्यः - वृत्यस्यः	7- \$3.	्रिक्षाच्याः विक्रोयात्री
17.		54	कोरियः लोकनेत्रात्सकः गणराज्य
see a company	मध्य अप्रतिकान गणराज्य	\$\$.	कोरिया गणराज्य
		56.	<u> कुर्यत</u>
	esta esta esta esta esta esta esta esta	57.	्र लायो सोवतंत्रं क्रिक गणराज्य
	य <b>चित्रमे</b> (१५५) - १५५ - १५	58.	संयक्त
		<b>5</b> 9.	तंसोधो
22:	कोल <del>स्</del> यिया ।	60.	अरब जमहारिया लोबिया
23.	कोषांशस	61.	मङगास्कर
24.	वर् <u>ग</u> मो	62.	मालावी
25.	वर्रेफी लीकतंत्रात्मक गणसम्ब	63.	मलेशिय <u>ा</u>
26.	कोस्टा संबद्ध	64.	मालदीय
27.	कोट आइयरी	<b>65</b> .	माली

(1)	(2)	(1) (2)	
46.	मान्य		
67.	नारिशानिया		÷.
68.	मारिशस	१११. युगान्डा	• ,
69.	मैक्सिको	112. संयुक्त अरब अमीरात	
70.	मोलडोवा	115. उरूवे	is Ag
71.	मोनोलिया	114. बेनेजुएला	
72.	मोर <del>बद्</del> ये	115. यसन	
73.	<b>मो</b> जाम्बिक	। १६. वियतनाम	
74.	म्यामार	भार. युगोस्लाविया	
75.	नामोविया	118. जाम्बियः	
76.	नेपल	119 जिम्बावने	
77.	निकारागुआ	भाग—2	_
78.	नाइजर	मानट्रियल प्रोटोकाल के अनुच्छेद 5 के पैरा 1 के अधीन अ	स्थाई
79:	ओरन	रूप से कार्य करने वाले के रूप में वर्गीकृत पक्षकारी की स	<u>ृचा</u>
se.	नाइजॉरिया	(1) (2)	
81.	पाकिस्तान	१. अत्वानिया	
82.	पनामा "	2. डजीबॉटी	
83.	पमुञा न्यू गुआनिया	<ol> <li>मिक्रोनेशिया परिसंघोद राज्य</li> </ol>	
\$4.	সামেন	4. लोबोया	
85.	पेरू	s. मार्गल द्वीप समूह	
86.	फिलीपीन्स	6. सुरीनम	
87.	कतर	७. दोंगा	
88.	रूपानिया	8. <b>ব্ৰাল্</b>	
<b>89</b> .	सेंट किट्स तथा नेविस	०. उन्तर् १. <b>यानु</b> आदु	
, <b>9</b> 0.	सेंट लूसिया	3. 413√113 <b>417</b> —3	
91.	सेंट विन्सेर एण्ड दी ग्रेनाडाइन्स	मानट्रियल प्रोटोकाल के अनुच्छेद 2 के अधीन वर्गीकृत पक्ष	कारों
92.	सामोआ साउदो अरब	की सूर्यो	
93. 94.	साउदा अरब सेनेनल		
77. 95.	्रभागाः - संशलस	(1) (2)	
75. 96.	- संस्थान सिंगानुर	1. आस्ट्रेलिया 2. आस्ट्रिया	
97.	सलो <del>देनिया</del>	2. आस्ट्रया 3. अजरनाइंजान	
98.	सोतोमन द्रीप	4. बेलारूस	
00	दक्षिण अफ्रीका	5. इंस्जियम	
100.	श्री लंका	6. बस्तो दारू सालम	
101,	सुडान	७. बुल्गारिया	
102.	ऱ्याजिलॅण्ड	8. क् <b>नाडा</b> ्रं यूक्त क्रिक्ट प्राप्त	
103.	सीरियन अरब गणराज्य	9. र्चक गणराज्य	
104.	तंजानिया संयुक्त गणराज्य	10. डेनमार्क	
105.	थाइलॅंग्ड	11. इक्किटोरियल गुजानिया	
106.	भूतपूर्व मेसेडोनिया यूगोरलाक गणराज्य	12. एस्टोनिया	
107.	टोगों	13 फिनलैण्ड	
105.	तिनांदाद और टोबागो	14 फ्रांस	
109.	र्यूनीशिया	15. जोर्जिया	
	L'Eusenin	16. जर्पनी	

20

THE	GAZETTE	OF	INDIA	:	
-----	---------	----	-------	---	--

444			
(1)	(2)	(1)	(2)
17.	<u>ਅੰ</u> ਸ਼ਿ	32.	पोलैंग्ड
18.	हंगरी	33.	पुतंगाल
19.	आइसलंण्ड	34	रूसी परिसंघ
20.	आयरलेण्ड	35.	सलोवाकिया
21.	इन्ररायल	36.	स्पेन
22.	<sub>२</sub> टली	37.	स्वीडन
23.	नापान	38.	स्वीटनातेण्ड
24.	लातवियः	39.	तजानिस्तान
25.	लांब्टेन्टोन	40.	तुर्कमानिस्तान
26.	लिथुआनिया	41.	युक्ते.न
27.	लक्जमवर्ग	42.	यूनाइटिड किंगडम
28.	<b>मोनाको</b>	43.	यू. एस. ए. (संयुक्त राज्य अमरीका)
29.	नीदरलैण्डस	44.	उज्येक्स्तान
30.	<b>ऱ्यूजीलैण्ड</b> ्य क्षा १८ 🍂 🛒 १८५५ स्ट		
31.	ાં <del>નાર્</del> વેયુર્તિ કરી છે. તે પ્રાપ્ત કર્યો હતા છે. જે મા	45.	भूगोपियन समुदाय

अनुसूची—7 [नियम 10 (1), (2) देखें]

र्थों से यक्त उत्पादों के आयात और निर्यात का विनियमन

क्रम, सं. -	उत्पाद का नाम	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के समृह का नाम	वह तारीख जिसको आयात का विनियमन प्रभावी होता है	षह ताग्रेख जिसको निर्यात का विनियमन प्रभावी होता है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मोटर गाड़ी और टूक वाता	नुकूलन समूह-।	इन नियमों के प्रवृत्त होने	इन नियमों के प्रवृत्त होने
	इकाइयां (चाहे वह यान मे	· ;	कं छह मास पश्चात्	के छह मास पश्चात्.
	सम्मिलित की गई हैं या न			_
2.	घरेलू और वाणिज्यिक प्रश		— उपरोक्त—	—उपराक्त—
	**	तानुकूलन/ताप पंप उपस्कर् समूह-VI		
1.50	ं <b>टटाहर्र</b> ण			
	प्रशीतित			•
	—हिमीकरण यंत्र			
	— निराद्यायगरक			
	— जल शीतल यंत्र			**
	—हिम यंत्र			
	—वातानुकृतन और ताप	पंप इकाइया		
	— संपीडित्र	3.1.2	—उपराक्त—	- उपगुंक्त-
3.	गअरोसाल उत्पाद सिवाए	औपधीय समूह-।	<b>V</b> (() ()	
	्राप्योमाल 	संस्टम समूह-II	— उपराक्त—	—उपराक्त—
4.	ं सुवाह्य आंग्नशमक यंत्र/ि - सिलिण्डर	area again		
,	ासालण्डर - विद्युत रोधी पट्ट, प्रपट्ट अं	ोर नलिका समृह-।	- उपराक्त-	— उपराक्त—
5.	ावधुत सचा पृष्ट, प्रपष्ट ज - आवरण	**		
6.	पर्व-बहुलक पूर्व-बहुलक	समूह-।	— उपरोक्त—	— उपरोक्त—
Ο.	A	सगूर-٧١	•	

टिप्पण :-- 1. अनुक्रम 2, स्तम्भ 2 के उत्पादों में जिसमें उन उत्पादों के विद्युत रोधी पदार्थ भी अंतर्विष्ट हैं।

<sup>2.</sup> ऊपर उल्लिखित सभी उत्पाद यदि व्यक्तिगत या गृहस्थी के चीजवस्तु के लिए या ऐसी अवाणिण्यिक परिस्थितियाँ में, जिन्हें, सामान्यतः सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है, परेपण में परिवहन किए जाते हैं। इस अनुसूची के कार्यक्षेत्र से प्रदर्शित है।

# अनुसूची-8 (नियम 15 देखिए)

छूट

- (i) अनुसूची 1 के समूह 8 के अन्तर्गत आने वाले ओजोन अवस्त्रयकारों पदार्थ करन्तीन और पोतलदान पूर्व उपयोजनों में मिथाएल बोम्बाइड का उपयोग।
- (ii) ओजोन अवसयकारी पदार्थ, जिनका उपयोग निम्नलिखित शर्कों के अधीन रहते हुए प्रयोगशाला में या विश्लेपणीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है;
- (क) प्रयोगशाला उपयोगों में उपस्कर अंश शोधन भी हैं, जैसे वित्तायक निष्कर्पणों, तनुकारकों या रासायनिक विश्लेपण जैनिक अनुसंधान बाहकों, रासायनिक प्रतिक्रियाओं, अक्रिय विलायकों के लिए एक बाहक के रूप में या प्रयोगशाला रसायन और अन्य निर्णायक विज्नेयणात्मक तथा प्रयोगशाला प्रयोजनों के लिए उपयोग करना:
- (ख) ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ निम्नलिखित शुद्धियों के अनुरूप विनिर्मित होने चाहिए :—

र्म टी सी (रीजेंट ग्रेड)		99.5
1. 1. 1-ट्रि <del>क्त</del> ांरोंदन		99.0
स्ते एक सी-11		99.5
र्ह्य एक सी-13		99.5
स्नें एफ सी-12		99.5
र्कः एफ सी-113		99.5
रूं एफ सी- 114		99.5
ठत्न्य जल/क्वथनांक	∙पी> 20 सेंटीप्रेड	99.5
<b>अन्य जल/क्वथनांक</b>	पीर 20 सेंटीग्रेड	99.0
	•	

- (ग) इन शुद्ध ओजोन अवस्थयकारी पदार्थों को तदुपरि ज्ञिनमाताओं, अभिकर्ताओं या वितरकों द्वारा अन्य रसायनों के साथ जिलाया जा सकेगा जैसा कि प्रयोगशाला और विश्लेषणात्मक ठपयोगों के लिए रुदिजन्य हो।
- (घ) इन उच्च शुद्धता वाले ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों और कोजोन अवक्षयकारी पदार्थों वाले मिश्रणों का प्रदाय केवल पुनः बंद किए जाने वाले आधानों या तीन लीटर या दस मिलीलीटर से छोटे उच्च दाब वाले सिलण्डरों में या कांच के छोटे एम्प्यूलों में किया जाएगा जिन च्य स्पष्टतया लिखा होगा कि यह प्रयोगशाला उपयोग और विश्लेषणात्मक इयोजनों के लिए निबंधित है तथा यह भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि उपयोग की गई या अधिशेष ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों को यदि व्यवहार्य हो तो संग्रहीत या पुनर्चक्रित किया जाना चाहिए। ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का पुनर्चक्रण यदि व्यवहार्य न हो तो उसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए।
- ••आवश्यक उपयोग पेनल द्वारा प्रमाणित आवश्यक उपयोग को छोड़कर।

- (iii) अनुसूची 1, समूह 4 के ओजोन अवसयकारी पदार्थों का आयात, नियंव और उत्पादन, यदि ऐसा आयात और उत्पादन अनुसूची 1 के सन्ह ! में विनिर्दिष्ट ओजोन अवसयकारी एटार्थों के विनिर्माण में उपयोग के लिए हैं तो यह खपत की एरिभाषा में सिम्मिलित नहीं है।
- (iv) किसी बरामद किए गए या उपयोगी बनाए गए ओजोन अवसकारी पदार्थ का आयात और निर्यात, खपत की परिभाषा में सम्मिलित नहीं हैं।
- (v) ऐसे उत्पादों के जिन्हें कम से कम एक वर्ष तक उपयोग किया गया है वाजिञ्चेतर विक्रय को नियम 10 का उपनियम (1) लागू नहीं होता।
- (vi) त्यंकहित में ऐसा कोई नियम जिसे केंद्रीय सरकार का विनिर्दिष्ट अनुमादन प्राप्त हैं।
- (vii) अनुसूची 1 के समूह 2 पदार्थों का रक्षावायुयान, युद्ध टैंक और विमानन उद्योगों जैसे आवश्यक क्रिटिकल उपयोजन के लिए उपयोग, आवश्यक उपयोग पेनल द्वारा प्रमाणित किया जाना।

# अनुसूची १

[नियम 13 ( 1 ), 18 ( 6 ) देखें ]

#### भाग-1

# रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया

- 1. नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन ओजोन अवक्षयकारों पदार्थों के उत्पादकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अनुसूची 11 के प्ररूप 9 में किया जाएगा।
- 2. नियम 6(1) के अधीन ओबोन अवसयकारी पदार्थों के विक्रेषाओं के रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अनुस्ची 11 के प्ररूप 10 में किया जाएगा।
- 3. नियम 8(1) के अधीन व्यक्तियों के रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अनुसूची 11 के प्ररूप 11 में किया जाएगा।
- 4. नियम 11(1) के अधीन ओजोन अवक्षयकारों पदार्थों का पुनरुद्धार करने वाले व्यक्तियों के रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अनुसूर्वी 11 के प्ररूप 14 में किया जाएगा।
- 5. नियम 11(2) के अधीन ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों को नष्ट करने वाले व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अनुसूची 11 के प्ररूप 14 में किया जाएगा।
- 6. संपीड़कों का विनिर्माण करने, आयात करने या निर्यात करने वाले व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के अनुसूची 11 के प्ररूप 13 में किया जाएगा।
- 7. रिजस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ऐसे व्यक्तियों को जारी किया जाएगा जो इन नियमों के अनुसार रिजस्ट्रीकृत हुए हैं।
- रजिस्ट्रोकरण प्रमाणपत्र में निम्नलिखित जानकारी अंतर्विष्ट होगी :—
  - (क) रजिस्ट्रोकरण प्राधिकारी का नाम

- (ख) रजिस्टोकरण सं.
- (ग) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में अंतर्विष्ट जानकारी (अनुलग्नकों के सिवाय)
- (घ) रजिस्ट्रोकरण प्राधिकारों के हस्ताक्षर और मुद्रा भाग-2

### रजिस्ट्रीकरण/नवीकरण की शर्तें

- 1. "रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" "रिजस्ट्रीकृत कार्यालयों" में रखा जाएगा, और अनुरोध किए जाने पर, किसी युक्तियुक्त समय पर संबद्ध प्राधिकरण के किसी अधिकारी को, जो भारत सरकार के अनुभाग अधिकारी से अन्यून पंक्ति का न हो या नियम 6 के उपनियम (1) के अधीन रिजस्ट्रीकरण को बाबत संबद्ध उत्पादन उद्यम में किसी सहायक प्रबंधक को प्रस्तुत किया जाएगा।
- 2. यदि रजिस्ट्रीकृत किया जाने <mark>याला व्यक्ति इन नियमों</mark> का उल्लंघन करता है तो रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाएण या ऐसा रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य नहीं रह जाएगा।
- 3. उपनियम 6 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण अनुसूची 5 के स्तंभ (4) में वर्णित प्राधिकारी के व्यक्तिण्यक विनिश्चय के अध्यधीन होगा ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों की नावत ऐसे रजिस्ट्रोकरण के सिवाय जो अनुसूची 1 के समूह ह में विनिर्दिण्ट है।
- 4. सामान्यत: ऊपर पैरा 2 के उपबंध में किसो बात के होते हुए भी रजिस्ट्रीकरण का तब तक नवीकरण नहीं किया जाएना जब तक कि आवेदक इन नियमों के अधीन बताई गई सभी अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है।
- 5. इन नियमों के अधीन रिकस्ट्रोकरण की विधिमान्यता रिकट्रीकरण की तारीख से 18 सास की अवधि के स्वर्ण होगी। इसका नवीकरण इसके रिकट्रिशन/नवीकरण की तारीख से 12 सास के परचार् किसी भी समय किया जा संकेणा। यह नवीकरण जो 18 मास के लिए विधिमान्य होगा।

### अनुसूर्चा 10

[ नियम 14 ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ), ( 5 ), ( 6 ) और ( 7 ) देखें ]

#### भाग-1

अ. अधिलेखों का रखा जाना

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थी के उत्पादन के संबंध में अभिलेख।

- (1) निम्नलिखित प्रत्येक उत्पादन संयंत्र की बायत तारीख सहित अभिलेख और संबंधित दस्तावेज—
- (क) उत्पादित किए गए ओजोन अवक्षकारी पटार्थ की वास्तविक मात्रा;
- (छ) पुनर्भरण स्टाक के रूप में प्रयुक्त प्रत्येक ओजोन अवक्षयकारों पदार्थ की वास्तविक मात्रा; और
  - (ग) नीचे 2 (ख) और 2 (ग) में विनिर्दिप्ट जानकारी।

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थी के विक्रय और विक्रय के लिए प्रस्ताव के संबंध में अभिलेख।

- (2) निम्नतिर्वित की बाबत तारीख सहित ऑर मंत्रीधट कार्वेड-—
- (क) क्रय किए गए प्रत्येक ओजोन अवक्षयकारी पटायं की कास्त्रविक मात्रा;
- (ख) भारत के भीतर विक्रय किए गए प्रत्येक आंजान अवश्यकारो पदार्थ की वास्तविकनामः; प्रत्येक लदान के प्राप्तकर्ता का नाम और पता और वह प्रयोजन जिसके लिए प्राप्तकर्ता द्वारा ओंजोन अवश्यकारों पदार्थ क्रय किया गया था। इन प्रयोजनों के लिए निम्निट्टिंग को बनाए रखा जाएगा;
  - (i) ऐरोसॉल का विनिर्माण
  - (ii) फेम उत्पदों का विनिर्माण
  - (iii) अग्निशमकों का विनिर्माण और अग्निशनकों तथा अग्निशनन प्रणाली
  - (iv) चालित शहानकुलकों का विनिर्माण
  - (v) अन्य प्रशंतन और मातानुकूलन उत्पादों का विजिन्नीय
  - (२४) विलायक उपदोग
  - (vii) छूट प्राप्त उपयोग
  - (viii) विक्रम
  - (ix) अन्य (कृपया विनिदिष्ट करें)

आजोन अवश्वयक्तरी पदार्थी के आयात के संबंध में अभिलेख

(3) अनुसूची 11 के यथास्थिति प्ररूप 3 या प्ररूप 4 के प्रत्येक स्तंभ को बाबत अंतर्विष्ट जानकारी के संबंध में तारीख सहित अभिलेख और संबंधित इस्तावेज।

# ओजोन अवश्वपकारी पदार्थी के निर्यात के संबंध में अभिलेख

(4) अनुसूर्वा 11 के यथास्थित प्ररूप 5 या प्ररूप 6 के प्रत्येक स्तंभ की बाबत अंतर्षिप्ट जानकारी के संबंध में तारीख सहित अभिलेख और संबंधित प्रसावेज।

संपीड़ित्र के वितिमांग, आयत और निर्यात की बाबत अभिलेख और संबंधित दस्तावज

(5) अनुसूर्यः 11 के यथास्थिति प्ररूप 12 या 13 के प्रत्येक स्तम्भ को बाबत-अन्तविष्ट जानकारी के संबंध में तारीख सहित अभिलेख और संबंधित दस्तावेज।

> अनुसूची 11 के प्ररूप 12 में प्राप्तिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा आ. प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट

- (1) अनुसूचा 11 प्ररूप 1 के अनुसार ओजोन अवसयकारी पदार्थों के उत्पादन संबंधी रिपोर्ट।
- (2) अनुसूची 11 के प्ररूप 2 के अनुसार ओजीन अवसयकारी पदार्थों के आयाद संबंधी रिपोर्ट।
- (3) अनुसूची 41 के प्ररूप 3 के अनुसार ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के निर्यात संबंधी रिपोर्ट।
- (4) अनुसूची 11 के प्ररूप 4 के अनुसार ओजोप अवसयकारी पदार्थों के विक्रय संबंधी रिपोर्ट।

(5) कपर क्रम संख्यांक 1 से 3 में बर्णित रिपोर्ट पर्यावरण और वन मंत्रत्य को परतुत्र को जाएंगो। कपर क्रम संख्यांक 4 में वर्णित रिपोर्ट अनुसूचों 5 के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट रिजस्ट्रॉकरण प्राधिकारी को प्रस्तुत को जाएंगी। को रिपोर्ट के संकलित पाठ को प्रस्तुत करेगा। सम्यक् रूप से इस्ताखरित रिपोर्ट भी ऐसे प्राधिकारी द्वारा समपठनीय प्रति कलायी के रूप में अनुरोध किए जाने पर पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएंगी।

#### धाग-॥

#### अ. अभिलेखों का रखा जाना

अनुसूर्चा 4 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलामें में उपयोग के लिए ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के क्रय के संबंध में अभिलेख।

- (1) निर्नातलखित के तारीख सहित ऑपलेख-
- (क) किसी भारतीय प्रदायकर्ता से क्रय किए गए प्रत्येक ओखेन अवसदकारी की वास्तविक मात्रा और भारतीय प्रदायकर्ता का नाम तथा परा।
- (ख) प्रत्येक संयंत्र और प्रत्येक क्रियाकताय के लिए पृथक रूप से उपयोग किए गए प्रत्येक ओज़ोन अवसयकारों फ्टार्थ की वास्तविक मात्रा।

### आ. प्रस्तुत किए जाने वाला अभिलेख

- (1) अनुसूची 1 के प्ररूप 5 के अनुसार ओजान अवसयकारी पदार्थ के क्रय संबंधी रिपोर्ट।
- (2) ये रिपोर्ट अनुसूची 5 के स्वम्म (4) में विनिर्दिण्ट संबद्ध रिजस्ट्रोकरण प्राधिकारों को प्रस्तुत की वाएंगो, जो रिपोर्ट के संकलित पाठ को पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा। अनुरोध किए जाने पर ध्यक्तिगत रिपोर्ट भी ऐसे प्राधिकारों द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी।

#### પાંગ-!!!

### अ. अधितेखं! का गढ़ा जाना

टत्पादों के नितिमाण में उपयोग के लिये प्रायदाग्राही क्रेपियों द्वारा गैर-ओजोन अवसयकारी पदार्थों के क्रय के संबंध में अभिलेख—

निर्म्मानस्थित को यायत तारीख सहित अभिलेख और संबंधित दस्तावेज :—

- (1) क्रय किये प्रत्येक गैर-ओज़ेन अवध्यकारी पदार्थ की वास्तविक मात्रा ऑर प्रदायकर्ता का नाम और पता।
- (2) प्रत्येक मंग्रंत्र और प्रत्येक विनिर्माणकारी मंक्रिया के लिये प्रत्येक विनिर्माणकारी संक्रिया में उपयोग किये गये प्रत्येक गर-ओंजोन अवक्षयकारी पदार्थ की वास्तविक मात्रा।

#### आ. प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट

- (1) अनुसूची 1 के प्ररूप 6 के अनुसार फायदाग्राही अपनी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थी के उपयोग के संबंध में रिपोर्ट।
- (2) ये रिपोर्टे अनुसूची 5 के स्तंभ 4 में विनिर्दिए संबद्ध रिजस्ट्रोकरण ग्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी जो रिपोर्ट के संकलित पाठ को, पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा। ऐसे प्राधिकारी

द्वात क्टंब्समस रिपोर्ट के भी अनुरोध किये जाने पर पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत को कायेगी।

#### MII-IV

#### अ अधिलेखों का रखा जाना

दुनरद्वार के संबंध में अभिलेख

निम्नलिखित को बाबत तारीख सहित अभिलेख और संबंधित इस्तार्थः—

- (क) प्राप्त किये गये प्रत्येक ओओन अवस्थयकारी पदार्थ की वास्तांक मात्रा, उस व्यक्ति या कंपनी का नाम और पता जिससे ओओन अवस्थयकारी पदार्थ प्राप्त हुए हैं और यदि वह स्थल जिस पर ओंडेंन अवस्थकारी पदार्थों का पुनरुद्वार किया गया है, भिन्न है तो उस न नाम और पटा।
- छ) पुनुरद्वा क्रिये गये प्रत्येक ओखोन अवश्वयकारी पदार्थ क्री प्रव्यविक पाण

### आ. रिपोटों को प्रस्तुत किया जाना

- (1) अनुसूर्य 1 के प्ररूप 7 के अनुसार ओजोन अवस्थयकारी पटार्ट के प्रहार के संबंध में रिकंट !
- (2) यह निनेटं अनुमूखं 5 के स्तंभ (4) में विनिर्दिप्ट रिजल्लेकरण प्राधिकारों के माध्यम से पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुर को जायगा।

#### भाग-V

### अ. अभिलेखों का रखा जाना

विनाश के सन्बन्ध में रिपोर्ट

(1) निर्जालीयव के संबंध में वारील सहिव अभितेल :

नियोजन सुविधा विनास की क्षमता के आधार पर विनास किये गए उन्यंक ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ की वास्तंविक मात्रा।

### आ. रिपोर्टी का प्रस्तुत किया जाना

- (1) अनुसूत्री 1 के प्ररूप ३ के अनुसार आंकीन अवस्थकारी पटार्ट के विनाश के संबंध में रिकेट।
- (2) ये रिनेर्टे अनुमूची 5 के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट संबद्ध र्राजन्द्रेकरण प्राधिकारी के माध्यम से पर्यावरण और मंत्रालय को प्रस्तुत को जयंगी।

#### भाग-४४

# अ. अभिलेखां का रखा जाना

संपीड़कों के विक्तिमांण, आयत ऑर नियांत के संबंध में रिकेट

अनुसूची 1 के प्ररूप 12 के प्रत्येक स्तंभ की बावत जानकारी कर्न नारीख सहित अभिलेख और दस्तावेज।

### आ. रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना

(1) अनुमूत्री 1 के प्ररूप 12 के अनुसार संपाड़कों के विक्रम उंग विनिर्माण, अधात, निर्यात और विक्रय किये गये संपाड़कों में प्रान्थकों के उपक्रेम के संबंध में रिपोर्ट। (2) यं रिपोर्ट अनुसूची 5 के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट संबद्ध रिजस्ट्रोकरण प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी, जो रिपोर्ट के संकलित पाठ को पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा। अनुरोध किये जाने पर व्यक्तिगत रिपोर्ट भी ऐसे प्राधिकारी द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजी जाएंगी।

#### भाग-VII

# अभिलेखों का प्रस्तुत किया जाना

नियम 13 को अपेक्षाओं के अनुसरण में रखे जा रहे अभिलेख, अनुसूची 5 के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रोकरण प्राधिकारी के किसां अधिकारों, जो भारत सरकार के अनुभाग अधिकारों से नीने की पंक्ति का न हो द्वारा अनुरोध किए जाने पर किसी युक्तियुक्त समय पर निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेंगे। वधापि, अनुसूची I में के समूह 8 में विनिर्दिष्ट ओजोन अवस्थकारों पदार्थ के सिवाय किसी स्थानीय उत्पादित ओजोन अवस्थकारों पदार्थ के विक्रय में लगे व्यक्ति अभिलेखों को, किसी युक्तियुक्त समय पर संबद्ध उत्पादन उद्यम के किसी अधिकारी द्वारा जो सहायक प्रबंधक से नीचे को पंक्ति का न हो, या किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुभाग अधिकारों से नीचे को पंक्ति का न हो, या किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुभाग अधिकारों से नीचे को पंक्ति का न हो, अनुरोध किए जाने पर निरोक्षण के लिये उपलब्ध करायेगा।

अनुसूची—! प्ररूप—1 पष्ट—1

### ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादन पर रिपोर्ट

रिपोर्ट की आवृत्ति : वार्षिक

रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख : वर्ष के अन्त के 30 दिनों के भीतर

कंपनी का नाम		रिपोर्ट की अवधि	जनवर <u>ी</u> ———		ग्चर, 2000———	
ओजोन अवक्षकारी पदार्थी के समृह का	ओजोन अवसयकारी पदार्थों का नाम	सभी उपयोगों के लिये उत्पादित कुल	भारत के अन्दर छूट प्राप्त उपयोगों के लिये उत्यादित परिमाण *3		और भाग-॥ में	
नाम	81	परिमाण *2	भारत के अन्दर दाना भंडार के लिये उत्सादित परिभाष	भारत के अन्दर छूट प्राप्त अन्य उपयोगों के लिये उत्पादित परिमाण	सूचीबद देशों की पूर्ति के लिये उत्पादित परिमाण	
समूह।	सी एफ, सी एल 3 (सी एफ सी 11) सी एफ सी (12) (सी एफ सी-12)					
	सी, एफ सी एल, (सी एफ सी-114) सी, एफ, सी एल (सी एफ सी-115)					
	<del>दु</del> .ल		5.			
13		प्रस्ता— 1 पृ	ত—2	:		
ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के समृह का	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का नाम 1	सभी उपयोगों के लिये उत्पादित कुल	भारत के अन्दर तिये उत्पादित प	छूट प्राप्त उपयोगों के रिमाण *3	अनुसूची ६ के भाग-। और भाग-॥ में	
नाम	141 44 111 T	परिमाण 2	भारत के अन्दर टाना भंडार के लिये उन्दर्शादत परिभाग	भारत के अन्दर छूट प्राप्त अन्य उपयेःगों के लिये उत्पादित परिमाण	सूचीयद्व देशों की पृति के त्तिये उत्पादित परिमाण	
समृह् ॥	साँ एफ बी आर साँ एल (हंलोन-1211) मी एफ, बी आर (हेलोन-1301) सी, एफ, बी आर,					
	(हलान-2402) 					

सपृह ॥	सी एफ, सी एल (सी एफ सी-13)		·		
	कुल		•		
समृह IV	सी सी एल (कार्बन टेक्सक्लोग्रईड)	4			
स <b>न्</b> ह V	सी, एच, सी एन, (भेथाई क्लोराफार्म	)			
	1. 1. 1-(ट्राइक्लोरोइधेन	ল)	*		
		प्ररूप—1 पृ	ত—3		
ओजोन अवसयकारी पदार्थों के समृह का	· ओजोन अवक्षयकारी पटार्थी का नाम*1	सभी उपयोगों के लिये उत्पादित कुल	भारत के अन्दर लिये उत्पादित पी	छूट प्राप्त उपयोगों के रेमाण *3	अनुसूची 6 के भाग-। और भाग-।। मे
नाम	કેલું જાત જાત કર <b>ા</b>	परिमाण 2	भारत के अन्दर दाना भंडार के	भारत के अन्दर छूट प्राप्त अन्य	सूचीबद्ध देशों की पृर्ति के लिये उत्पादित परिभाग
			लिये उत्पादित परिमाण	उपयोगों के लिये उत्पदित परिमाण	18(4)
1	2	3	.1		5
स्मूहः ॥	मां एच एफ सां एल (एच सां एफ सां-21) सांएचएफ, सां एल (एच सां एफ सां-22) सांएच, एफसी एल (एच सां एफ सां-31) मां, एच एफ, सां एल, (एच सां एफ सां-123) सां, एच एफ, सां एल (एच सां एफ सां-124)				
	सी, एच एफ, सीएल (एच सी एफ मी-133) चीएच सीएफ एल, (एच मी एफ मी-141 ए मीएच मीएफ, मीएल (एच सी एफ मी-142 ए सी, एच एफ, सी, एल (एच सी एफ सी-225) मी एफ, मी एफ —्मी एच मी एल				
	( एच्यांएफसी-225 म क की एक भी एवं की	)			
	एक एव भी एक एफ (एच सी एक सी-225 म	<b>u</b> )			

#### प्ररूप—1 पृष्ठ—4

ओजोन अवसयकारी पदार्थों के समृह का	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थी का नाम*1	सभी उपयोगों के लिये उत्पादित कुल	भारत के अन्द लिये उत्पादित	अनुसूची ६ के भाग-। और भाग-॥ में		
नाम		परिमाण *2	भारत के अन्दर भारत के अन्दर दाना भंडार के भूट प्राप्त अन्य लिये उत्पादित उपयोगों के लिये श्रीसाण उत्पादित परिमाण		स्वीबद्ध देशों की पूर्ति के लिये उत्पादित परिमाण	
1 .	2	3		\$		c
समूह VII	एच बी एफ सी, एस		3			
समूह Ⅷ	मेथाएल वृरोमाइड			भारत के अन्दर और		4 : 1,
	(सी एच बी आर)			तियांट के लिए कर व	1न	
	•			और बेट परिवहन-पू	i	
				उपयोजनीं के निपंड	*संक	
				न्यु संगाएल युगेमाइड	क्तं	
				जुल मात्रा हम्लाक्षर <b>*</b>	• भूद्रा	
				महित		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	प्ररूप—1 पृष	5—5			
त्यापन :—		•				

सत्यापन :	
मॅमुपुत्र श्रीमत्य	निष्टा से यह सत्यापित करता हूं कि रूपर दी गई जानकारी
और उपाबन्ध तथा इसके साथ मंलान निवरणी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्व	तर के अनुसार सही तथा पूर्ण है। 🧪 💮
में आगे यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दो गई जानकार्ग में	·····की हैंसियत में पस्तुत तथा सत्यापित कर गर। हूं तथा में
ऐसा करने में सक्षम हूं।	
ការាំធ	

ै अ हा राजाध्यः .

मुद्रा माहित

- 1. ओजान अवसयकारी पटार्थी को पूर्ण मूर्चा के नियं कृपयः अनुगृची । देखें।
- 🔭 िता करीती के कुल उत्पादन दें। पर्यावरण और यह मंत्रातय नियम 2 में दो गई परिभाग के अनुमार आकृत्वक करीतिया करण र
- \*3. कृपया नियम 2 (ट) देखें तथा भारत के भीतर दाल भेटार के रूप में उपयोग किया गया कुल परिमाण और नियम 16 के अधीत स्थानीय उत्पादन के लिए एट प्राप्त परिभाग हैं।
- \*4. उपरोक्त प्ररूप मत्यापन प्रभाग सहित व्यक्ति की व्यक्त में स्थित स्थित हाम या उसके द्वारा संव्यक रूप के प्रांपिकृत व्यक्ति हाम : हिन्दू अविभक्त कृदुम्य की दणा में कर्ता द्वारा : भागीदाने गर्भ की दणा में प्रयंभ भागीदार द्वारा; कंपनी की दणा में, विद्याप मार्थ द्वारा इसकी और से मम्यक् रूप में प्रांधिकृत व्यक्ति द्वारा अंग्र अन्य किसी भी दणा में नाम्यार संनालन के लिए जिस्मेदार व्यक्ति द्वारा प्रकारण्य होगा।

प्रसम्बन्धः - पुष्ट- ।

ओंजोन अवश्रयकारी फ्टार्थों के आयात के आंकड़े

finid ar largia d'unique

1. 11. 12. 12. 12. 14. 14.	
रिपोर्ध जन्म बन्समें भी अंतिम ता. : तीन महीने समाप्त होने मः तास दिन के भीतर	
नंपनी का नाम	रिपोर्ट को अर्थाध
ऑजांन अयाध्यक्तमो चलाली स्ट च्या १ .	

क्राम सं क्रा		आदेश सं. और लटान का दिल सं. तारीख और तारीख		मधी उपयोगों के लिये आयातित कुल परिमाण			निम्नलिखित उपयोगों के लिए नये ओजो अवस्रवकारी पदार्थों का शायातित परिमाण		
				नए	*2 पुनः प्राप्त	*3 पुनः दावा	दाना भंडार	छूट प्राप्त उपयोग	
1		2	3	۲.	5	. 6	7	8	
**	कुल			<u></u>	·				
एफ ओ वं	.मूल्य	एफ ओ बी मूल रु	य आयत अनुज्ञप्ति सं. और तारोख	बह देश अग्यत वि गया		क्रेता का नाम ा	ा और लदाई व	न्न पत्तन वितरण का पत्तन	
ė		10	11	12		13	154	1 35	
			हुल						
							ैं इन्दाक्षर मुद्दा सहित		

#### प्ररूप-2-पृष्ठ-2

सत्या	पन :
	मैंस्पिनिष्ठा से यह सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी और
ठपान	न्ध तथा इसके साथ संलग्न विवरणी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही तथा पूर्ण है।
तथाः-	में और आगे यह घोषणा करता हूं कि यह आवेदन करने किस की हैसियत से कर रहा हूं और में यह आवेदन करने किस किस की किस की एक फोटो/अनुप्रमाणित प्रति यहां संलग्न है इसे सत्यापित करने में सक्षम हूं।
स्थान	
खरीर	<u> </u>
	्य हस्सार्थरः ।

टिप्पण :

\*1. एक प्ररूप केवल एक ओलोन अवक्षयकारी पदार्थ के लिये ही प्रयुक्त करें। पृथक आजान अवक्षयकारी पदार्थ के लिये पथक प्ररूप प्रयोग करें। सभी ओलोन अवक्षयकारी पदार्थ की पूर्ण सूची के लिये कृपया अनुसूची । देखें।

मुद्रा सहित

- \*2. ''प्रत्युद्धरण'' मर्शानरी, उपम्कर, कटेनमेंट पात्र आदि से सर्विसिंग के दौरान या निपटान से पहले आंजान अवक्षयकारी पटाय का संग्रहण और भंडारण।
- \*3. प्रनरुद्धार—छनना, शुष्कत, आमवन ऑर रामायनिक उपचारों जैसी क्रिया-विधियों द्वारा प्रत्युद्धरित ओजान अवक्षयकारी पदार्थ का पदार्थ के विनिर्दिप्ट मानक कार्यों तक पुन: प्राप्त करने के लिये उन्हें पुन: प्रसंस्करण और समुन्नल करना। इसमें बहुधा केन्द्रीय प्रसुविधा पर ''आफ साइड'' प्रसंस्करण अन्तवंलित हैं।
- "4. "पुनरुद्धार" उपरोक्त प्ररूप सत्यापन प्रभाग सहित व्यक्टि को दशा में स्वयं व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा सम्यक् रूप सं प्राधिकृत व्यक्ति द्वास : हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब को दशा में कर्ता द्वारा भागीदारी फर्म की दशा में प्रबंध भागीदार द्वारा, कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड द्वारा इसकी ओर से सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा और अन्य किसी भी दशा में कारवार संचालन के लिये जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरबद्ध होगा।

# परूप-3--पृष्ठ-1

# ओजोन अबस्यकारी पदार्थों के निर्यात पर रिपोर्ट

रिपोर्ट को आयृति : त्रेमासिक

				हान सम	गप्त होने के वीस दिन के	भावर		रिपोर्ट को अवधि :
	कंपनी का नाम							।(पाट का अवाद :
	ओजोन अवक्षय	रकारी पदार्थी व	तनाम रै1			******		
					(मीटरिक टन में)			
क्रम सं.	वीजक सं. तारीख		न का विल सं. और तारीख	सभी	उपयोगों के लिये निर्यातित कुल परिमाण			लिए नये ओजोन निर्दातित परिमाप
				नए	*2 पुन: प्राप्त और	*3 करंतीन तथ	राना भंडार	छूट प्राप्त उपयोग
					पुन: दावा	पोतः परिवहन		
						पूर्व उपयोजन		
1	2		3	4	5	ó	7	8
					-			
					-			
	<del>ু</del> ল	<del></del>						
								·
एफ ओ	ने एक्स हि	फ ओ वी मृत्य	निर्यात अनु	जिप्ति	वह देश जिसे र	वरोददार का नाम	लदाई व	न पत्तन वितरण का
एक आ	या,नूरप ए र	•	सं. और त	•		और पता		पत्तन
	•		•		गया	e e jako e		
9		10	11.		12	13	14	15
			:					
								<del></del>
	9	চল				<del></del>	°4 हस्ताक्षर	
							मुदा महित	
		\$1. •	14 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15				•	
				•	प्ररूप-३, पृष्ठ-2			
सत्यापन	•			_			चा भेगर मत	प्रित काता है कि ऊ
	ដុំ		गुपु	র হা "	 २ कोरी कर्जीका स्वयस्त्री	सत्यानः और विश्वास के	ठा स पर सर अनुसार सही त	था पूर्ण है।
दी गई र	नानकारी और उ	पावन्ध तथा इस	क साथ सलान	विवरण	र्गी मेरी सर्वोत्तम जानकारी रो में		की हैसियत से '	प्रस्तत तथा सत्यापित व
	में आगे यह ध	योपणा करता हू	कि ऊपर दी गई	जानक	ारा म			
रहा हू त	ाथा में ऐसा कर	•			•			
		e e e e e	*			$v = \delta_{1} - \nu / 2 \varepsilon$	*4हरताक्षर	
					. 1 - 4 - 4 - 4		मुद्रा सहित	. * .
. 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							

टिप्पण :--

- 1. एक प्ररूप केवल एक ही अंग्रेजोन अवश्यकारी पदार्थ के लिये प्रयुक्त करें। पृथक ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के लिये पृथक प्ररूप करें। हभी ओजीन अवक्षयकारी पदार्थी की पूर्व हुनी के लिए कृपया अनुसूची 1 देखें।
- 2. ''प्रत्युद्धरण'' मशोनरी, उपस्कर कन्टेनमेंट पात्र आदि से सर्विसिंग के दौरान या व्ययन से पहले आंजोन अवक्षयकारी पदार्थी का संग्रहण और भंडारण।
  - 'पुनरुद्वार' छनना, शुष्कत, आसवन और रासायनिक उपचारों जैसी क्रिया-विधियों के द्वारा प्रत्यद्वरित ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के विनिर्दिष्ट मानक कार्यों तक पुन: प्राप्त करने के लिये पुन: प्रसंस्करण और समन्नत करना। इसमें बहुधा केन्द्रीय प्रसुविधा पर ''आफ साईड'' प्रसंस्करण अन्तंवितत है।
- \*3. केवल मेथाएल वरोमाइड के लिये।
- \*4. उपरोक्त प्ररूप सत्यापन प्रभाग सहित व्यप्टि को दशा में स्वयं ध्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा सम्यक् रूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा : हिन्दू अविभक्त कुटम्ब की दशा में कर्ता द्वारा, भागीदारों फर्म की दशा में प्रबंध भागीदार द्वारा, कंपनी की दशा में, निदेशक बोर्ड द्वारा इसकी ओर से सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा और अन्य किसी भी दशा में कारबार संचालन के लिये जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरबद्ध होगा।

# त्ररूप-४, पृष्ठ-१ ओजोन अवश्रयकारी पदार्थी के विक्रय पर रिपोर्ट

रिपोर्ट को आवृत्ति : प्रैमासिक रिपोर्ट जमा करने को अंतिम तारीख : तीन महीने समाप्त होने के 30 दिन के भीतर कंपनों का नाम

### धाग-क (मोटरिक टन में)

ब्र.म सं.	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का नाम	ओजोन अवसयकारा पदार्थ का परिमान				स्थानत: खरोदा गया ओजोन अवक्षयकारी	ऐसे भारतीय पूर्तिकार जिससे ओजोन अवक्षयकारी
		उत्पादित	*1 आयातित	ै2 पुन: दावा	ैं3 निर्यातित	पदार्थ का परिमाण	पदार्थ स्थानत: खरीदा गया का नाम और पता
					٤.,		
				. *			
				-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	क ओजोन अवसयबारी दार्थ का दुरत					·	
				प्ररूप-4,	पृष्ठ-2		
				ધાય-	ख		
	•			(माटारेक	टन में)		
क्रम सं.	ओजोन अवसयकारी पटार्थ का नाम	अव	वसयकारां पदा		खरीदार व अवक्षयक	ते बेचा गया ओजोन गरी पदार्थ का परिमाण	खरीदार का नाम और पता
		न्न <u>ा</u>	वंचा गया				
		·	· · · · · ·			. (	
		······································	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		<del>दु</del> .ल	3				

हस्ताक्षर \*s मुद्रा सहित

### प्रतय-४, प्रका-३

			। सं यह सत्यापित करता हूं कि ऊ
दी गई जानकारी और उपाबन्ध तथा उसके साथ	संलग्न विवरणी मेरी सर्वोत्तम	जानकारी और विश्वास के अ	नुसार सही तथा पूर्ण है।
में आगे यह घोषणा करता हूं कि ऊपर	दो गई जानकारी में		हिसियत से प्रस्तुत तथा सत्यापित व
रहा हूं तथा मैं ऐसा करने में राक्षम हूं।			
			<b>*</b> S
स्थातः			इस्ताक्षर
तारांख		: मु	द्रा संटित
टिपरण :			
1. पूरी रिपोर्ट प्ररूप 2 के अनुसार	प्रस्तुत करें।		
°2. पूरी रिपोर्ट प्ररूप 7 के अनुसार	प्रस्तुत करें।		
<ol> <li>पूरी रिपोर्ट प्ररूप 3 के अनुसार</li> </ol>	प्रस्तुत करें।		
'व. प्रस्तावि <mark>त हैं</mark> ।			
<ul><li>(i) ए अग्रेसोल का थिनिर्माण ( मीटर्ड छोस इन्हेलर्स को छो</li></ul>		(ii) फोम टत्पादों का 1	वितिम <u>ां</u> ण
(iii) अग्निशमकों <b>और अ</b> ग्निशम	क प्रणालियों का विनिर्माण	(iv) चल पातानुकूलकों	का विनिर्माण
(v) अन्य प्रशीतन <b>तथा या</b> तानुकूर छोड्कर) का यिनिर्माण	लक उत्पादों (संपीड़कों को	(vi) विलायक उपयोग	
(vii) उन्मुबित उपयोग		(viii) विक्रय करना	
(ix) अग्निशमकों और अग्निशमव	क प्रणालियों की सर्विसिंग	(🛪) औषधीय प्रयोजनों	के लिये मीटर्ड होस इन्हेलर्स
(xi) सपाइकों का विनिर्माण		(xii) अन्य-विनिर्दिष्ट व	
•	प्ररूप-4, पृष्ठ-4		
°5. उपरोक्त प्ररूप सत्यापन प्रभाग सहित छ			<b>हुप में प्राधिकत व्यक्ति द्वा</b> रा : हिन्द
अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा,			
ओर से सन्यक् रूप से प्राधिकृत ष्यक्ति	द्वारा और अन्य किसी भी दश	। में कारवार संचातन के लिए	रे जिप्मेदार व्यक्ति द्वारा हम्नाक्षरवद
होसा ।			
होगा। ोंत. पृथक ओओन अवस्वकारी पदार्थ के हि	नए पृथक प्ररूप प्रयोग करें।		•
	नए पृथक प्रकृप प्रयोग करें। प्रकृप-5		
	प्ररूप-5	ने खरीद पर रिपोर्ट	
<ol> <li>पृथक ओओन अवस्वयकारी पदार्थ के लि</li> </ol>	प्ररूप-5	ने खरीद पर रिपोर्ट	
6. पृथक आंओन अबक्षयकारी पदार्थ के लि प्रयोग द्वारा समाप्त करने के आधार पर रिपोर्ट की आयृति : वार्षिक	प्ररूप-5		र भीतर
76. पृथक आंजोन अवस्वयकारी पदार्थ के लि प्रयोग द्वारा सम्माप्त करने के आधार पर रिपोर्ट की आयृत्ति : वार्षिक जमा करने व	प्ररूप-5 ओजोन अवक्षयकारी पदार्थी क	वर्ष को समाप्ति के 30 दिन वे	
76. पृथक आंजोन अवस्वयकारी पदार्थ के लि प्रयोग द्वारा सम्माप्त करने के आधार पर रिपोर्ट की आयृत्ति : वार्षिक जमा करने व	प्ररूप-5 ओजोन अवसयकारो पदार्थों क की अंतिम तारीख : कलैण्डर व	वर्ष को समाप्ति के 30 दिन वे	
76. पृथक आंजोन अवस्वयकारी पदार्थ के लि प्रयोग द्वारा सम्माप्त करने के आधार पर रिपोर्ट की आयृत्ति : वार्षिक जमा करने व	प्ररूप-5 ओजोन अवसयकारो पदार्थों क र्का अंतिम तारीख : कलैण्डर व 	वर्ष को समाप्ति के 30 दिन वे अविधि : जनवरो * * * * * *	
76. पृथक आंजोन अवस्तयकारी पदार्थ के हि प्रयोग द्वारा समाप्त करने के आधार पर रिपोर्ट की आयृत्ति : वार्षिक जमा करने ब कंपनी का नाम * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	प्ररूप-5 ओजोन अवक्षयकारो पदार्थों क की अंतिम तारीख : कलैण्डर र •••••• रिपोर्ट की भाग-या	वर्ष को समाप्ति के 30 दिन वे अविधि : जनवरो * * * * * *	ासे दिमंबर, •
76. पृथक आंजोन अवस्वयकारी पदार्थ के लि प्रयोग द्वारा समाप्त करने के आधार पर रिपोर्ट की आयृत्ति : यार्षिक जमा करने व कंपनी का नाम	प्ररूप-5 ओजोन अवक्षयकारो पदार्थों कं की अंतिम तारीख : कलैण्डर र रिपोर्ट की भाग-य (भीटरिक टन में)	वर्ष को समाप्ति के 30 दिन वे अविधि : जनवरी * * * * * * •	
76. पृथक आंजोन अवस्वयकारी पदार्थ के लि प्रयोग द्वारा समाप्त करने के आधार पर रिपोर्ट की आयृत्ति : वार्षिक जमा करने व कपनी का नाम	प्ररूप-5 ओजोन अवक्षयकारो पदार्थों कं की अंतिम तारीख : कलैण्डर र '''' रिपोर्ट की भाग-य (भीटरिक टन में) क्षयकारी पदार्थ का परिमाण	वर्ष को समाप्ति के 30 दिन वे अविधि : जनवरी · · · · · · ) स्थानत: खरीदा गया	्से दिनंबर, • ऐसे भारतीय पूर्तिकार
76. पृथक आंजोन अवस्वयकारी पदार्थ के लि प्रयोग द्वारा समाप्त करने के आधार पर प्र रिपोर्ट की आयृत्ति : वार्षिक जमा करने व कंपनी का नाम	प्ररूप-5 ओजोन अवक्षयकारो पदार्थों कं की अंतिम तारीख : कलैण्डर र '''' रिपोर्ट की भाग-य (भीटरिक टन में) क्षयकारी पदार्थ का परिमाण	वर्ष को समाप्ति के 30 दिन वे अयिथि : जनवरी • • • • • • ) स्थानत: खरीदा गया ओजोन अवक्षयकारी	ेसे दिसंबर, • ऐसे भारतीय पूर्तिकार का नाम और पता
76. पृथक आंजोन अवस्वयकारी पदार्थ के लि प्रयोग द्वारा समाप्त करने के आधार पर प्र रिपोर्ट की आयृत्ति : वार्षिक जमा करने व कंपनी का नाम	प्ररूप-5 ओजोन अवक्षयकारो पदार्थों क की अंतिम तारीख : कलैण्डर क प्राथ-क (भीटरिक टन में) क्षयकारी पदार्थ का परिमाण	वर्ष को समाप्ति के 30 दिन वे अयिथि : जनवरी • • • • • • ) स्थानत: खरीदा गया ओजोन अवक्षयकारी	्से दिसंचर,  ऐसे भारतीय पूर्तिकार का नाम और पता जिसमें ओंजीन अयहायकारो
76. पृथक आंजोन अवस्वयकारी पदार्थ के लि प्रयोग द्वारा समाप्त करने के आधार पर प्र रिपोर्ट की आयृत्ति : वार्षिक जमा करने व कंपनी का नाम	प्ररूप-5 ओजोन अवक्षयकारो पदार्थों क की अंतिम तारीख : कलैण्डर क प्राथ-क (भीटरिक टन में) क्षयकारी पदार्थ का परिमाण	वर्ष को समाप्ति के 30 दिन वे अयिथि : जनवरी • • • • • • ) स्थानत: खरीदा गया ओजोन अवक्षयकारी	्से दिसंचर,  ऐसे भारतीय पूर्तिकार का नाम और पता जिसमें ओंजीन अयहायकारो

प्ररूप-ऽ.	पृष्ठ-2
भाग-	- रत्र
(भीटरिक	टन में

9.ri	ओजांन अवसयकारी	(भोटरिकः ऐसे उद्यम/फर्म का नाम और	*3	उपयोग में लाये गये ओजोन
ri.	पदार्थ का नाम	पता जहां ओजोन अयक्षयकारी पदार्थ उपयोग में लावे गये	ैवह उँदेश्य-3 जिसके लिये आंजोन अवक्षयकारों पदार्थ उपयोग में लाये गये	अवसयकारी पदार्थ का परिणाम
	,			
		<b>वु</b> .त्द		
				4
				हरताक्षर
	30			नुज्ञ संह्ति
	<i>.</i> .			
स्याप	ੌ			
	<b>ૡ૽</b>		सुपुत्र	و المراجع المر
स्यनि	प्तता सं यह सत्यापित चरता ह	कि ऊपर दी गई जातकारी और इसरे	र मलान उपायथ और विवरण न	त ज्ञान आरावश्वास स सहा आर
क्तं 😤				

में आगे यह घोषणा बहता है कि ऊपर दी गई जानकारी में ..... की हैसियत में प्रस्तुत और सत्यापित कर रहा हूं और यह कि में एमा करने के लिए मक्षम हूं।

म्भाव .....

हस्ताक्षर \* 4 (भुदा सहित)

वार्याच ..... टिप्पम :

प्ररूप 2 के अनुसार पूर्ण रिपोर्ट भेजी काती हैं।

- °2. प्ररूप 7 के अनुसार पूर्ण रिपॉट भेजी जानी है।
  - \*३. प्रस्कावित ै :—
    - वायुक्तिल्यों एरोगालय का वितिमांत औषधीय प्रयोजनों के लिए (मीटरो डोज इनहेलमें को खोड़कर)
  - (💖) फोम उत्सदीं का वितिसीय
  - (xiv) अनिकासकों और ऑक्क्शमन प्रकालयों का विनिर्माण
  - (১১) यत कतातुकृतको का वितिमाण
  - (xvi) अन्य प्रशांतनों और चातानुकृतन उत्पाद (मर्पाइकों को छोड़कर) का निनिर्माण
  - (xvii) विकासक उपयोग
- (vciii) उत्पृतिक उपयोग
- (🗚) विक्रम करना
- (XX) अस्तिज्ञामको या अस्तिशमा प्रणालियो को संवित्रिंग
- (XXI) औप भीय प्रयोजनों के लिए मीट्रमें डाज इनटेलर्स
- (xxii) संपीड्झों का वितिनाण
- (xxiii) अन्य, विवर्दिए करे।

\*4. उपरांक्त प्ररूप जिसके अंतर्गत सल्यापन भाग भी है किसी व्यप्टि की दशा में स्वयं उस व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति द्वारा; हिंदू अविभक्त कुटुम्य की दशा में कर्ना द्वारा: किसी भागीदारी फर्म की दशा में प्रबंध भागीदारी द्वारा; किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड द्वारा, इसकी और से सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और किसी अन्य दशा में कारबार के संचालन के लिए उत्तरटायां या उसके भारमाधक किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

#### प्ररूप-6

# फायदाग्राही कम्पनियों द्वारा गैर-ओजोन अबक्षयकारी पदार्थों के उपभोग पर रिपोर्ट \* '

रिपोर्ट की आषृत्ति :	· ·	3	प्रतिवर्ष			
भेजने के लिए अंतिम र	गरीख :		कलैण्डर वर्ष की स	गाप्ति के 60 दिन के	भीतर	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
रिपोर्ट की कालायधि:		And the state of t	जनवरी-दिसंबर 20	•••••		
कंपनी का नाम 🗥 🖰						(मोर्टाक टन में)
सं. कापता क रि	ति पदार्थों के साथ प्रयुक्त निर्माण मक्रियाओं शयव	रिवर्तन से पूर्व आंजोन अय- धारी पदार्च का यदि लागू हो)	संपरिवर्तन से पूर्व 12 मास की अवधि में प्रयुक्त ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ की पात्रा	भयोजन जिसके लिए गैर-ओजोन अबक्षयकारी पदार्थ उपयोग में लाया जाता हैं (यदि लागू हो)	बाते गैर अयक्षय-	रिपोर्ट अवधि के दौरान प्रयुक्त गैर- । ओजोन अवक्षय- कारी पटार्थ की माप्रा
			योग			
						" हम्नाक्षा (मुद्रा सहित)
			रूप 6, पृष्ठ 2			<del></del> .
से यह सत्यापित करता में आगे यह रहा हूं और यह कि मैं स्थान तारांख	हूं कि ऊपर दो गई जानव धोयणा करता हूँ कि ऊपर ऐसा करने के लिए सक्षम रिपोर्ट ऐसी सभी कंपनियों	कारी और इससे र ंदी गई जानकारी । हं।	संतरन उपानध आर में	विवरण मर् ज्ञान आ	क्षा हासयत म प्रस्तुत	* ' हन्नासः (मुद्रा सक्ति)
	रिपोर्ट ऐसी सभा कपनियो	द्वारा भंजा जाना	हा जिसक नामान	44 6(2) 11 111		•
गए हैं।	ं र्गियत हैं :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
(i)	एरोसाल्स का विनिर्माण फोम उत्पादों का विनिम् अग्निशामकों और अग्नि	तंण नशमन प्रणालियों		डांज इनहेलर्स को छ	ग्रेडकर)	
(iv) (v)	चल यातानुकूलकों का अन्य प्रशांतनों और बात विलायक उपयोग।	विनिमांण तनुकूलन उत्पाद	(संपीड़कों को छोड़	कर) का विनिर्माण		
(vi) (vii) (viii)	उन्मुक्ति प्रयोग। अग्निशामको या अग्नि		का सर्विसिंग।			
(ix)	संपोड़कों का वितिमांण अन्य वित्तिदेख करे।	11				

3. उपरोक्त प्ररूप जिसके अन्तगंत सत्यापन भाग भी है किसी व्यप्टि की दशा में स्वयं उस व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति द्वारा हिंदू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा किसी भागीदारी फर्म की दशा में प्रबंध भागीदार द्वारा : किसी कंपनी की दशा में इस निमित्त निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा; और किसी अन्य दशा में कारवार के संचालन के लिए उत्तरदायी या उसके भारताध्यक लिए। व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

#### प्ररूप-7

# ओजोन अवक्षयकारी पदार्थी के पुनरुद्वार पर रिपोर्ट

रिपोर्ट की आवृत्ति : प्रतिवर्ष

भेजने के लिए अंतिम तारोख : कलैण्डर वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के भीतर

कंपनी का नाम ..... रिपोर्ट को अवधि : जनवरी-दिसंबर, 20

(मेरिक टन में)

क्रम सं.	ओजोन अयक्षयकारी पदार्थों के नाम <sup>*1</sup>	पुन: प्राप्त ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ की मात्रा*²	उस कम्पनी/स्थल का नाम जिससे ओजोन अवक्षय- कारी पदार्थ की पुन: प्राप्ति हुई थी	पुनरुद्वारित <sup>•</sup> ओजोन अवक्षयकारों पदार्थ को मात्रा	स्थल का नाम और पता जिस पर ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का पुनहट्वार किया था।
	योग				
				,	र्च हस्ताक्षर मुद्रा सहित

#### प्ररूप-7 पृष्ठ 2

सत्यापन

में आगे यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी में · · · · · · · · · · · की हैसियत से प्रस्तुत और सत्यापित कर रहा हूं और यह कि मैं ऐसा करने के लिए सक्षम हूं।

इस्ताक्षर \*\*

मुद्रा सहित

तारांख

#### टिप्पण :

- 1. कृपया सभा ओन्होन अवक्षयकारी पदार्थी की सूची के लिए अनुसूची-। देखिए।
- "2. ''पुनः प्राप्ति'' मशीनरी उपस्कर संरोधन वाहिकाओं कन्टेनमेंट पम्प से ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का तिविसिंग के दौरान या निस्तारण से पृष संग्रहण और संवयन।
- "3 ''पुनरुद्वार'' फिल्टरकारी, शुष्का, आसवन और रासायनिक उपचार जैसी क्रिया विधि के माध्यम से काम करने के किसी विनिर्दिण्ट स्तर तक उस पदार्थ का प्रत्यावर्तन करने के लिए किसी पुनरुद्वार ओजोन अवयक्षकारी पदार्थ का पुन:प्रसंस्करण और उन्नथम यदि केन्द्रीय प्रसंस्करण सुविधा में ''आफ साइड'' प्रसंस्करण बार-बार होता है।
- \*4. उपरोक्त प्ररूप जिससे अंतर्गत सत्यापन भाग भी है किसी व्यप्टि की दशा में स्वयं उस व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति द्वारा: हिंदू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा, भागोदारी फर्म की दशा में प्रबंध भागोदारी द्वारा; कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड द्वारा; इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और किसी अन्य दशा में कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी या उसके भारसाधक किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

	THE GAZETTE OF INDIA.	EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 3 (ii)
	प्ररूप-8	. •	
<b>ল</b>	ट किए गए ओजांन अवक्षयकारी पर	दार्थों की मात्रा पर रिपोर्ट	
रिपोर्ट को आवृति :	प्रतिवर्ष		
रिपोर्ट भेजने के लिए अंतिम तारीख :	कलैण्डर वर्ष व	र्ग समाप्ति के 30 दिन के भीतर	
रिपोर्ट की अवधि :	•	( 20	
कंपनी का नाम ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '			•
•	(मॅट्रिक टन में)		
ओजोन अवक्षयकारी पदार्थी के समूह क	त्राम ओजोन अवक्ष	यकारी पदार्थों के नाम	नष्ट की गई मात्राएं*
,			हस्ताक्षरः "
		,	मुद्रा सहि
	सत्यापन		371 1110
<del>*</del>			
से यह सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी ग	3.7	भीर विकास भी जान और विकंक	' ' ' ' ' सत्यतिष्ट तम्मे सम्बन्धः
में आगे यह घोषणा करना है है	के कपर दी गई जानकारी में ' ' ' ' '	मार ।पषरण पर ज्ञान आर ।पश्चा	संस सहा आर पूर्ण हैं। <del>'८</del>
कर रहा हूं और यह कि मैं ऐसा करने के	क्षा क्षाच्या है। क्षित क्षाच्या है।	का ह	शसयत सं प्रस्तुत आर सत्याप
	with many the		
			हस्ताक्षर '
स्थान । । । । । । । । । । । ।			मुद्रा सहि
सार्यक प्राप्त का विकास का वित	1		
टिप्पण :	• •		
ी. नष्ट का गई मात्रा नियाजित सु	विधा की नाशकरण दक्षता के आधार पर	र संगणित की जानी चाहिए।	
72. उपरोक्त प्ररूप जिसके अंतर्गत	सत्पापन भाग भी है किसी व्यप्टि की दश	। में स्वयं उस व्यक्ति चा उसके हा	य सम्यक् रूप से प्राधिकृत को
व्यक्ति द्वारा ; हिंदू अविभक्त र	हुदुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा; किसी भाग	ोदारी फर्म दशा में प्रबंध भागीदार	द्वारा; किसी कंपनी की दशा
गा उर्जा असमान करिया है से निमित्त	सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति हा	त और किसी अन्य दशा में कारबा	र के संचालन के लिए उत्तरदाय
या उसका भारसाधका किसा छ	क्ति द्वारा एस्ताक्षरित किया जाना चाहिए		
	प्ररूप १, पृष्ठ-1		_
आजान अवक्षर	कारी पदार्थ उत्पादन करने वाले उर	उमा क रजिस्ट्रीकरण के लिए	प्ररूप,
	[नियम 3 (1)]		
ा. उग्रम या नाम :	_		
2. रिजस्ट्राकृत कार्यालय का	ता (तहसील, जिला, राज्य सहित) :		
<ol> <li>कारखानों की विशिष्टियां :</li> </ol>		•	
रुम भूगेजोन अवक्षयकारी	कारखाना का पता जहां ओजोन	निगमन या <b>रजिस</b> े उरण	वाणिज्यिक उत्पादन के
तं. पदार्थ का नाम *1	अवक्षयकारी पदार्थ का उत्पादन	की रातित	प्रारंभ की तारीख
	किया जाता है (तहसील जिला,		•
	राज्य सहित)		
,			
1,			

- 4. उद्यम के व्यवसाय गृह/समूह का नाम :
- कृषया प्रबंध निरोशक या मुख्य अधिशासक का नाम दिखिए :

#### प्ररूप १-- पृष्ठ 2

	6.	कृपया उद्यम के अंतिम तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट, संपरीक्षित तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा की प्रत्येक की एक-एक प्रति
संलग्न करें।		

आवेटक के हरताशर \*2

मुद्रा सहित

-	_	 i

मै सत्यनिष्ठ	ा से	यह	सत्यापित
करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी और इससे संलग्न उपाबंध और वितरण मेरे ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण हैं।			

में आगे यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी में ......की हैसियत से प्रस्तुत और सत्यापित कर रहा हूं।

स्थान .....

मुद्रा सहित

तारीख .....

हस्ताक्षर \*2

टिप्पण :

- 1. कृपया सभी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थी की सूची के लिए अनुसूची-1 देंखिए ।
- \*2. उपरोक्त प्रारूप जिसके अन्तर्गत सत्यापन भाग भी है किसी ष्यष्टि की दशा में स्वयं उस ष्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई ष्यक्ति द्वारा; हिन्दू अविभक्त कुटुम्य की दशा में कर्ता द्वारा; किसी भागीदारी फर्म की दशा में उपबंध भागीदार द्वारा; किसी कम्पनी की दशा में निदेश बोर्ड द्वारा; इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी ष्यक्ति द्वारा किसी अन्य दशा में कारबार के संवालन के लिए उत्तरदायी या उसके भारसाधक किसी ष्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

प्ररूप 10--पृष्ठ 1

ओजांन अवक्षयकारी पदार्थ विक्रय करने वाले उद्यमों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप

[नियम 6 (1)]

- 1. फर्म का नाम:
- 2. रिजस्ट्रीकृत कार्यालय का पता (तहसील, जिला, राज्य सहित) :
- 3. रजिस्ट्रीकरण की तारीख़ आंर उस अधिनियम का नाम जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है। (ऐसे रजिस्ट्रीकरण की एक प्रति संलग्न भी जाए)
- विक्रय स्थान की थिशिष्टियां :

क्रम सं.	ओजोन अवसयकारी पदार्थ का नाम 1	विक्रय स्थान का पता	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के विक्रच के आरंभ की तारीख	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के उत्पादक/आयातकर्ता का नाम ीर पता जिससे पिछले बारह म
				दीसन् । त अवधायकारी सा ६ - भारती

# प्ररूप 10-- पृष्ठ 2

- 5. स्वत्वाधारी या मुख्य कार्यपालक का नाम:
- 6. कृपया अंतिम आय-कर निर्धारण आदेश की अंतिम प्रति संलग्न करें :

अध्यर्थों के हस्ताक्षर

मुद्रा सहित "

#### सत्यापन

में घोषणा करता हूं कि ऊपर क्रम 1 में वर्णित उद्यम/फर्म ने किसी अन्य रिजस्ट्रोकरण प्राधिकारों को ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम 6 के उपनियम (1) के अधीन रिजस्ट्रोकरण के लिए आवेदन नहीं किया है।

में .... सुपुत्र .... सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी और उपानंध तथा इससे संलग्न विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है।

में यह भी घोषणा करता हूं कि में .... की हैसियत से और यह कि में ऐसा करने के लिए सक्षम हूं। यह घोषणा कर रहा हूं और इसे सत्यापित कर रहा हूं।

स्थान ः ' ः ः

\*\* हस्ताक्षर • • • •

तारीखः • • •

मुद्रा सहित

त्रिष्यम

- 1) कृपया सभी ओजोन अवक्षयकाकारी पटार्थी की सूची के लिए अनुभूकी १ देखें
- \*2. उपरोक्त प्ररूप जिसके अंतर्गत मत्यापन भाग भी है किसी व्यक्ति को दशा में ख़बं व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक्त रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा; हिन्दू अविभयत कुटुम्च की दशा में, कर्ता द्वारा; किसी भागीदारी फर्म की दशा में, प्रबंध भागीदार द्वारा; किसी कंपनी की दशा में, निदेशक बोर्ड द्वारा; इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, और किसी अन्य दशा में कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी या उसके भारमाधक किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

### प्ररूप 11-पृष्ट ।

अनुसूची 3 के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट क्रियाकला**पों में ओजीन** अयक्षयकारी पदार्थी को उपयोग करने चाले उद्यमों के रिजस्ट्रीकरण के लिए प्रकार

#### [नियम 8 (1)]

#### भाग अ

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उपयोग करने वाले उत्पादों के विनिर्माताओं के संबंध में क्रियाकलाप

- 1. उद्यम का नाम :
- 2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता (तहमाल, जिला राज्य सिहत)
- कारवानां को विशिष्टियां :

का पता,	का नाम	राजिस्ट्रा-	उत्पादन
जहां ओजोन अवक्षयकारी पटार्थी के उपयोग करके उत्पादन किए जाते हैं (तहमील, जिला, राज्य सहित)	जिनका वितिमाण किया जा रहा है * '	करण को ताराख	आरंभ करने को तारीख

2.

.

4

- इस व्यवसायी गृह/समृह का नाम जिससे उद्यम संबंध रखना है:
- कृषया प्रेषंध निदंशक या मुख्य कार्यपालक का नाम निक्तं

अनुगुची- 10

प्रध्यः ११ – इन्छ २

 कृपया उद्यम की आंतम वार्षिक रिपोर्ट, संपर्रोक्षित तुलनपत्र आर लाभ-हानि लेखा प्रत्येक की एक प्रति संलग्न करें—

आवेदक के हस्ताक्षर \*1

मुद्रा सहित

सत्यापन

में घोषणा करता हूं कि ऊपर क्रम 1 में वर्णित उद्यम/फर्म ने ओजोन अवक्षयकारों पदार्थ (विनियमन ऑर नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम 6 के उपनियम (1) के अधीन किसी अन्य रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारों को रजिस्ट्रोकरण के लिए आवेदन नहीं किया है।

में · · · · · सुपुत्र · · · · सत्यानिष्ठा से संलग्न यह सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी और इससे उपावंध और विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं।

में यह भी घोषणा करता हूं कि में · · · · · की हंसियत से और यह कि मैं ऐसा करने के लिए सक्षम हूं। यह घोषणा कर रहा हूँ और इसे सत्यापित कर रहा हूं।

•?-हस्ताक्षर

मुद्रा सहित

टिप्पण :

उत्पाद जिसमें निम्नलिखित में से एक सिम्मिलत होगा :

- (i) एरोसोल (औपधियों के प्रयोजन के लिए मीटर्ड डोज इनहेलर्स के सिवाय); (ii) फीम उत्पाद; (iii) अग्निशमक या अग्निशमक पद्धति; (iv) चालित वातानुकूलन; (v) अन्य प्रशीतन और वातानुकूलन उत्पाद (संपीद्धकों के सिवाय); (vi) वे उत्पाद जहां ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ विलायक रूप में उपयोग किए जाते हैं (vii) औपधियों के प्रयोजन के लिए मीटर्ड डोज इनहेलर्स।
- उपरोक्त प्ररूप जिसके अंतर्गत सत्यापन भाग भी है किसी च्यप्टि की दशा में स्वयं व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, हिन्दू अविभक्त, कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा, किसी भागीदारी फर्म की दशा में प्रयंध भागीदार द्वारा, किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और किसी अन्य दशा में कारवार के संचालन के लिए उत्तरदायी या उसके भारसाधक किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

प्ररूप 11-पृप्ठ 2

भाग आ

अग्निशामको या अग्निशमक पद्धति की सर्विसिंग करने के संबंध में
क्रियाकलाप

- 1. उद्यम/फर्म का नाम :
- रिजस्ट्रीकृत कार्यालय का नाम : (तहसील, जिला और राज्य सहित)

 रिलस्ट्रीकरण को तारीख और उस अधिनियम का नाम जिसके अधीन इतिस्ट्रीकरण किया गया है

> (रजिस्ट्रोकरण की एक प्रांत संलग्न की जाए)

4. सर्विसिंग अग्निशमक:

हां/नहीं

सर्विसिन अग्निशमक पदितियां:

हां/नहीं

- 6. सर्विसिंग स्थान का पता :
- सर्विसिंग क्रियाकलापों के आरंभ की तारीख:
- स्वत्वधारी/मुख्य कार्यपालक समिति
   का नाम :
- कृपया उधन को अंतिन कार्पिक रिपोर्ट, संपरीक्षित तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा या आय-कर निधारण आदेश प्रत्येक की एक प्रति संलान करें।

आवेदक का हस्ताक्षर

मुद्रा सहित

सत्यापन

में घोषणा करता हूं कि ऊपर क्रम 1 में वर्णित उद्यम/फर्म ने ओजोन अवक्षयकारों (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम 6 के उपनियम (1) के अधीन किसी अन्य प्राधिकारों को रिजस्ट्रोकरण के लिए आवेदन नहीं किया है।

र्म .....सुपुत्र ....सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी और उपावंध तथा इससे संलग्न विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है।

मं यह भी घोषणा करता हूं कि में "की हैं तियत से घोषणा ऑर इसे सत्यापित कर रहा हूं और यह कि में ऐसा करने के लिए सक्षम हूं।

-สเข็อ.....

\*' हस्ताक्षर

....

मुद्रा सहित

टिप्पन :

\*1. उपरोक्त प्ररूप जिसके अन्तर्गत सत्यापन भाग भी है किसी व्यादि की दशा में स्वयं व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा, किसी भागादारी फर्म की दशा में प्रबंध भागीदार द्वारा, किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और किसी अन्य दशा में कारवार के संचालन के लिए उत्तरदायों या उसके भारसाधक किसी व्यक्ति द्वारा हम्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

#### प्ररूप--- 12

### संपीडिकों के विनिर्माण, आयात, निर्यात और विकय पर रिपोर्ट

रिपोर्ट की आवृत्ति :

तिमाही

रिपोर्ट को भेजने के लिए अंतिम तारीख

ब्रिमाही की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर

कम्पनी का नाम """"रियोर्ट की अवधि

	संपीडिक का आकार	डल्पादित	संपीडिक की सं. आपातिव	निर्याप्तित	भारत में विक्रीत संपीड़कों की सं.	श्चारतीय क्रेता का नाम और पता	कम्पनी के परिस	की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9

योग

\*1 हस्ताक्षर

मुद्रा सहित

#### ग्रह्मप—12 पुष्ठ—2

सरकापन

मं सत्यनिन्छ। सं यह सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी और उससे संलग्न उपावंध और विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण हैं। मं आगे घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मैं कि आर सत्यापित कर रहा हूं और यह कि मैं ऐसा करने के लिए सक्षम हूं।

1 हस्ताक्षर

मुद्रा सहित

स्थान .....

टिणाण

\*1. उपरोक्त प्ररूप जिसके अंतर्गत सत्यापन भाग भी है किसी व्यप्टि की दशा में स्वयं उस व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति द्वारा, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा, िकसी भागोदारी फर्म की दशा में प्रबंध भागोदार द्वारा, िकसी कम्पनी की दशा में इस निमित्त निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और किसी अन्य दशा में कारवार के संवालन के लिए उत्तरदायी या उसके भारसाधक किसी व्यक्ति द्वारा हम्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

### प्ररूप-13 पृष्ठ-1

## संपीडिकों के विनिर्माता, आयातकर्तां या निर्यातकर्ता उद्यमों के रिजस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप

(	नियम	1	2)

- 1. उद्यम/फर्म का नाम :
- 2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का नाम (तहसील, जिला, राज्य सहित) :
- 3. संपोडित्र विनिमाता कारखानों की विशिष्टियां

(विनिर्माताओं के लिए) :		
क्रम संपीडित्र बनाने वाले उस कारखाने का पता	निगमन या रजिस्ट्रीकरण की तारीछ	वाणिण्यिक उत्पादन के प्रारंभ की तारीख
सं. जहां पर संपीड़ित्र का उत्पादन किया		
जाता है (तहसील, जिला, राज्य सहित)	•	
1 2	3	4
1.		
2.		
<ol> <li>आयातों के संबंध में विशिष्टियां:</li> </ol>		
(आयातकर्ताओं के लिए)		
म. सं. उन कम्पनियों का पता जहां से अ	नायात किया जाता है	आयातों के आरंभ की तारीख
1 2		3
1.		
2.		
	प्ररूप—13 पृष्ठ—2	•
S. विक्रय स्थान की विशिष्टियां :		•
(निर्यातकत्तांओं और/या च्यापारियों :		
यः लिए)	•	
U.H. firem remii wa wan	िक्या के आरंध की मारीस	नियांत के आरंभ की तारीख

3

ਸਂ. 1

2

1. 2:

- 6. उग्रम से मंत्रंधित व्यवसाय गृह/समूह का नाम
- 7. कृपया प्रयंथ निदेशक या मुख्य अधिशासक या नाम लिखिए
- 8. कृपया उद्यम/कर्म की अंतिम वार्षिक रिपोर्ट, संपरीक्षित तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लंखा या आयकर निर्धारण आदेश की प्रलंगक की एक प्रति संलग्न करें।

आवेदक के हरताशर मुद्रा सहित

		THE GAZETTE OF	INDIA: EXTRAORDINAR	Y [PART II—SEC. 3 (ii)
सत्यापन				•
	में घोपणा करता हूं कि	कपर क्रम 1 में उल्लिम्डत उद्यम/प	<b>हमें ने ओजोन अवसयकारों पदार्थ (</b>	विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000
के नियम	। 6 के उप्रतियम (1) के	अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी	ो अन्य रजिस्ट्रोकरण प्राधिकारी को	आवेदन नहीं किया है।
	ងី		स्पत्र	सत्यनिष्ठा रे
यह सत्य	।।पित करता हं कि ऊपर	दी गई जानकारी और उससे संलग्न	उपाबंध और विवरण मेरे ज्ञान और	विश्वास से सही और पूर्ण हैं।
	में आगे घोषणा करता	हूं कि ऊपर दी गई जनकारी मैं		····की हैसियत से प्रस्तुत
और सत		ह कि मैं ऐसा करने के लिए सक्षम		
				हस्ताक्षर
				मुद्रा सहित
स्थानः''				
		प्ररूप-	– 13 पृष्ठ — 3	
टिपग्र				
•1	. उपरोक्त प्ररूप जिसके	अंतर्गत सत्यापा भाग भी है व्यप्टि की	ी दशा में स्वयं उस व्यक्ति या उसके	द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यकि
	टारा हिन्द-अविभक्त	कटम्ब की दशा में कर्ता द्वारा, किस	ते भागोदारी फर्म की दशा में प्रबंध '	भागोदार द्वारा, किसी कृ <u>म्पनी को दशी</u>
	निदेशक बोर्ड द्वारा इस	निभित्त सम्यक्ष रूप से प्राधिकृत किर	ती व्यक्ति द्वारा और किसी अन्य दशा	में कारबार के संचालन के लिए उत्तरदार
	या उसके <b>भारसाधक</b> ि	कसी च्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया	जाना चाहिए।	36 Pe 7 7
		प्रस	तप—14	
	ओजोन	अवक्षयकारी पदार्थ पुनसद्वार/न	शिन उद्यमों के रिजस्ट्रीकरण ి	के लिये प्ररूप
	ओजोन	अवक्षयकारी पदार्थ पुनसद्धार/न (ि	ाशन उद्यमों के रजिस्ट्रीकरण ** तयम 11)	के लिये प्ररूप
1.				के लिये प्ररूप
	. उद्यम का नाम :	्र <sub>ा वि</sub> ्रा		के लिये प्ररूप
	. उद्यम का नाम : . रजिस्ट्रीकृत कार्यालयः	का पत		के लिये प्ररूप
2.	. उद्यम का नाम : . रजिस्ट्रीकृत कार्यालयः (तहसील, जिला, राज्य	का पत स्रामित) :		के लिये प्ररूप
3.	. उद्यम का नाम : . रजिस्ट्रीकृत कार्यालयः (तहसील, जिला, राज्य . कारखानों की विशिष्टि	का पत स्रसाति): या	नयग 11)	
2. 3. क्रम.	. उद्यम का नाम : . रजिस्ट्रीकृत कार्यालयः (तहसील, जिला, राज्य . कारखानीं की विशिष्टि . ओजोन अवक्षयकारी	का पत य समित) : यां जहां ओजोन अवसयकारी	नियम 11) निगमन या रजिस्ट्रोकरण को	वाणिज्यिक पुनरुद्वार नप्ट करने के
2. 3. क्रम.	. उद्यम का नाम : . रजिस्ट्रीकृत कार्यालयः (तहसील, जिला, राज्य . कारखानीं की विशिष्टि . ओजोन अवक्षयकारी	का पत य सांकि : यां जहां ओजोन अवसयकारी पदार्थ का पुनहद्वा√नाश किया	नयग 11)	
2. 3. क्रम.	. उद्यम का नाम : . रजिस्ट्रीकृत कार्यालयः (तहसील, जिला, राज्य . कारखानीं की विशिष्टि . ओजोन अवक्षयकारी	का पत प्रसाति : यां जहां ओजोन अवसयकारी पदार्थ का पुनरद्वार/नाश किया जा रहा है उस कारखाने का	नियम 11) निगमन या रजिस्ट्रोकरण को	वाणिज्यिक पुनरुद्वार नप्ट करने के
2. 3. क्रम.	. उद्यम का नाम : . रजिस्ट्रीकृत कार्यालयः (तहसील, जिला, राज्य . कारखानीं की विशिष्टि . ओजोन अवक्षयकारी	का पत र सिंग्त) : यां जहां ओजोन अवसयकारी पदार्थ का पुनहद्वार/नाश किया जा रहा है उस कारखाने का पुता (तहसील, जिला, राज्य	नियम 11) निगमन या रजिस्ट्रोकरण को	वाणिज्यिक पुनरुद्वार नप्ट करने के
2. 3. क्रम.	. उद्यम का नाम : . रजिस्ट्रीकृत कार्यालयः (तहसील, जिला, राज्य . कारखानीं की विशिष्टि . ओजोन अवक्षयकारी	का पत प्रसाति : यां जहां ओजोन अवसयकारी पदार्थ का पुनरद्वार/नाश किया जा रहा है उस कारखाने का	नियम 11) निगमन या रजिस्ट्रोकरण को	वाणिज्यिक पुनरुद्वार नप्ट करने के
2. 3. क्रम.	. उद्यम का नाम : . रिजस्ट्रीकृत कार्यालयः (तहसील, जिला, राज्य कारखानीं की विशिष्टि . ओजोन अवक्षयकारी . पदार्थं * का नाम	का पत र सिंग्त) : यां जहां ओजोन अवसयकारी पदार्थ का पुनहद्वार/नाश किया जा रहा है उस कारखाने का पुता (तहसील, जिला, राज्य	नियम 11) निगमन या रजिस्ट्रोकरण को	वाणिज्यिक पुनरुद्वार नप्ट करने के
2. 3. क्रम, सं.	. उद्यम का नाम : . रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : . (तहसील, जिला, राज्य कारखानों की विशिष्टि . ओजोन अवक्षयकारों . पदार्थ * का नाम	का पत र सिंग्त) : यां जहां ओजोन अवसयकारी पदार्थ का पुनहद्वार/नाश किया जा रहा है उस कारखाने का पुता (तहसील, जिला, राज्य	नियम 11) निगमन या रजिस्ट्रोकरण को	वाणिज्यिक पुनरुद्वार नप्ट करने के
2. 3. 第中、 说。	. उद्यम का नाम : . रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : . (तहसील, जिला, राज्य कारखानों की विशिष्टि . ओजोन अवक्षयकारों . पदार्थ * का नाम	का पत र सिंग्त) : यां जहां ओजोन अवसयकारी पदार्थ का पुनहद्वार/नाश किया जा रहा है उस कारखाने का पुता (तहसील, जिला, राज्य	नियम 11) निगमन या रजिस्ट्रोकरण को	वाणिज्यिक पुनरुद्वार नप्ट करने के
2. 3. 第4. 说.	. उद्यम का नाम : . रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : . (तहसील, जिला, राज्य कारखानी की विशिष्टि . ओजोन अवक्षयकारी . पदार्थ * का नाम	का पत र सिंग्त) : यां जहां ओजोन अवसयकारी पदार्थ का पुनहद्वार/नाश किया जा रहा है उस कारखाने का पुता (तहसील, जिला, राज्य	नियम 11) निगमन या रजिस्ट्रोकरण को	वाणिज्यिक पुनरुद्वार नप्ट करने के

गृह/ग्रुप का नाम :

- 5. कृपया प्रबंध निदेशक या मुख्य अधिशासक का नाम लिखए।
- 6. कृपया उद्यम की अंतिम वार्षिक रिपोर्ट संपरीक्षित तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा की प्रत्येक की एक प्रति संलग्न कीजिये।

• 1	आवेदक के हस्ताक्षर	
	मुद्रा सहित	

<b>4</b>	सुपुत्र		मत्यांनप्टा सं र
तत्वा <b>पित भारता हूँ</b> कि ऊपर दी ग	गई जानकारी और उससे संलग्न उपाबंध और विवरण मेरे ज्ञान अ	ार विश्वास से सा	ते और पूर्ण हैं।
<b>मैं आने घोषणा</b> करता <b>ग्रीर सम्बन्धित कर रहा हूँ</b> और या	हैं कि ऊपर दो गई जानकारी में ह कि मैं ऐसा करने के लिए सक्षम है।		····· को है। हायत में प्रस्तुः
		ी हा	<u>বাং</u> য
•		T	द्रा सहित
थान			
ारोखः			
:प्पंग.:			
°1. <b>उपरोक्त</b> प्ररूप जिसके व कोई ध्यक्ति द्वारा, हिन्दू-	भंतर्गत सत्यापन भाग भी हैं किसी व्यप्टि को दशा में स्वयं उस व्यक्ति अविभक्त कुटुम्ब को दशा में कर्ता द्वारा, किसी भागोदारी फर्म की ारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और वि	दशा में प्रबंध भाग	ांदार द्वारा, कियां कम्पनी कं
°1. उपसेषक प्ररूप जिसके व कोई व्यक्ति द्वारा, हिन्दू- दक्त में निदेशक बोर्ड द्व	नंतर्गत सत्यापन भाग भी हैं किसी व्यप्टि को दशा में स्वयं उस व्यक्ति अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा, किसी भागोदारी फर्म की तरा इस निमिन्न सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और वि साथक किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।	दशा में प्रबंध भाग	ांदार द्वारा, कियां कम्पनी कं
°1. उपसेषक प्ररूप जिसके व कोई व्यक्ति द्वारा, हिन्दू- दक्त में निदेशक बोर्ड द्व उत्तरकारी क उसके भार	अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा, किसी भागोदारी फर्म की ारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और वि	दशा में प्रबंध भाग	ांदार द्वारा, कियां कम्पनी कं
*1. उपलेखा प्ररूप जिसके अ कोई व्यक्ति द्वारा, हिन्दू- दक्त में निदेशक बोर्ड द उत्तरदायी या उसके भार *2. कृपका पुनहद्वार और ना	अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा, किसी भागोदारी फर्म की तरा इस निमिन्न सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और वि साधक किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।	दशा में प्रबंध भाग	ांदार द्वारा, कियां कम्पनी कं
*1. उपलेखा प्ररूप जिसके अ कोई व्यक्ति द्वारा, हिन्दू- दक्त में निदेशक बोर्ड द उत्तरदायी या उसके भार *2. कृपका पुनहद्वार और ना	अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा, किसी भागीदारी फर्म की तर इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और वि साधक किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। शन के लिए पृथक प्ररूप का उपयोग करें।	दशा में प्रबंध भाग	ांदार द्वारा, कियां कम्पनी कं
*1. उपलेखा प्ररूप जिसके अ कोई व्यक्ति द्वारा, हिन्दू- दक्त में निदेशक बोर्ड द उत्तरदायी या उसके भार *2. कृपका पुनहद्वार और ना	अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा, किसी भागीदारी फर्म की तर इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और वि साधक किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। शन के लिए पृथक प्ररूप का उपयोग करें। इसयंकारी पदार्थों की सूची के लिए अनुसूची 1 देखिए।	दशा में प्रबंध भाग	ांदार द्वारा, कियां कम्पनी कं
*1. उपलेखा प्ररूप जिसके अ कोई व्यक्ति द्वारा, हिन्दू- दक्त में निदेशक बोर्ड द उत्तरदायी या उसके भार *2. कृपका पुनहद्वार और ना	अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा, किसी भागीदारी फर्म की तर इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और वि साधक किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। शन के लिए पृथक प्ररूप का उपयोग करें। वक्षयंकारी पदार्थों की सूची के लिए अनुसूची 1 देखिए। अनुसूची 12	दशा में प्रबंध भाग	ांदार द्वारा, कियां कम्पनी कं
*1. उपलेखा प्ररूप जिसके अ कोई व्यक्ति द्वारा, हिन्दू- दक्त में निदेशक बोर्ड द उत्तरदायी या उसके भार *2. कृपका पुनहद्वार और ना	अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा, किसी भागादारी फर्म की गरा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और कि साधक किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। शन के लिए पृथक प्ररूप का उपयोग करें। शक्षयंकारी पदार्थों की सूची के लिए अनुसूची 1 देखिए। अनुसूची 12 (नियम 6 (1), 7 देखिए)	दशा में प्रबंध भाग	ांदार द्वारा, कियां कम्पनी कं
*1. उपरोक्त प्ररूप जिसके अवर्दे व्यक्ति हता, हिन्दू- दक्त में निदेशक बोर्ड ह उत्तरदायी या उसके भार *2. कृपया पुनरुद्धार और ना *3. कृपया सभी ओओन अव	अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा, किसी भागीदारी फर्म की तर इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और वि साधक किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। शन के लिए पृथक प्ररूप का उपयोग करें। उसयंकारी पदार्थों की सूची के लिए अनुसूची 1 देखिए। अनुसूची 12 (नियम 6 (1), 7 देखिए) भाग—।	दशा में प्रबंध भाग	ांदार द्वारा, कियां कम्पनी कं
*1. उपरोक्त प्ररूप जिसके अवर्दे व्यक्ति हता, हिन्दू- दक्त में निदेशक बोर्ड ह उत्तरदायी या उसके भार *2. कृपया पुनरुद्धार और ना *3. कृपया सभी ओओन अव	अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा, किसी भागीदारी फर्म की तर इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और वि साधक किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। शन के लिए पृथक प्ररूप का उपयोग करें। असर्यकारी पदार्थों की सूची के लिए अनुसूची 1 देखिए। अनुसूची 12 (नियम 6 (1), 7 देखिए) भाग—।	दशा में प्रबंध भाग	ांदार द्वारा, कियां कम्पनी कं
*1. उपरोक्त प्ररूप जिसके अ कोई व्यक्ति द्वारा, हिन्दू- दक्ष में निदेशक योर्ड द उसदायों यां उसके भार *2. कृपया पुनस्द्वार और ना *3. कृपया सभी ओओन अव 1. ओजोन अवक्षयकारी पद	अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता द्वारा, किसी भागीदारी फर्म की तर इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और विसाधक किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।  शन के लिए पृथक प्ररूप का उपयोग करें। असर्यकारी पदार्थों की सूची के लिए अनुसूची 1 देखिए। अनुसूची 12 (नियम 6 (1), 7 देखिए) भाग—। अंतिम उपयोग घोषणा	दशा में प्रबंध भाग	ांदार द्वारा, कियां कम्पनी कं

E. allalia and Hauld adia at Millian trade in an inches

प्राप्तिकतां का नाम : पतां :

फैब्य नं० :

टेलिफोन नं० :

- 3. रजिस्ट्रीकरण सं.
- रजिस्ट्रोकरण प्राधिकारी का नाम और पता :

<ol> <li>ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ</li> </ol>	किस प्रयोजन °1 के लिये ओजोन	क्रय किये गये ओज़ोन अवसयकारी पदार्थ
का नाम	अवक्षयकारी पदार्थ क्रय किया जाता है	को मात्रा कि. ग्रा
		<b>कि.</b> ग्रा
		3.6.336
6. क्या क्रेता ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ की ब	तबत लागू भारतीय विधि के अधीन किसी अपर	तथं के लिए कभा दापासद्ध ठहराया गया है।
	*3 3	नहाँ नोजोन अवक्षयकारी पदार्थ के क्रेता के हस्ताक्षर मुद्रा सहित
संलग्न विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और		
में यह और घोषणा करता है कि में	की हैंसियत से यह घोषणा कर	र रहा हूँ और इसे सत्यापित कर रहा हूँ और यह
कि में ऐसा करन के लिए सक्षम हूँ।		
्रे स्थान		ैं 3. हस्ताक्षर 🗥 🖖
तारीख		मुदा सहित
टिप्पण :		
• १ प्रस्तावित है : (i) एरोसोल (औपधीय प्रयोजन के लिए मं	ीटर्ड डोज इन्हेलर के सिवाय) का विनिर्माण	
ं (ii) भाँम उत्पादों का विनिर्माण		
(iii) अग्निशामक और अग्निशमक पद्धतियों	का विनिर्माण	

(iv) चालित वातानुकुलन का विनिर्माण

- ( ) अन्य प्रशातिन और बातानुकूलन उत्पादों का विनिर्माण (संपीडित्रों को छोड़कर)
- (vi) विलायक उपयोग
- (vii) उन्मुवित उपयोग
- (viii) विक्रय
- (ix) अग्निशामकों या अग्निशमक पद्धितयों को सर्विसिंग (समूह 2 ओडीएस के लिए लाग्)
- (x) औपधाय प्रयोजन के लिए मीटर्ड डोज इन्हेलर्स का विनिर्माण
- यंपीडिय का विनिमाण
- (NII) अन्य-विनिदंग्ट करें (सर्विसिंग को छोड़ कर)
- ै 2. एमें ओजोन अवसयकारी पदार्थी की मात्रा के लिए एक पृथक प्ररूप का उपयोग कों जिसके लिए केन्द्रीय सरकार ने इन नियमों से छूट प्रदान की है।
- 3. उपरोक्त प्ररूप जिसके अन्तर्गत सत्यापन भाग भी है किसी व्यप्टि की दशा में स्वयं व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी र्ट्यांक्त द्वारा, हिन्दू अविभक्त कुटुम्य की दशा में कर्ता द्वारा, किसी भागीदारी फर्म की दशा में प्रवंध भागीदार द्वारा, किसी कंपनी की दशा में निदंशक बोर्ड द्वारा इस निमित्त सम्युक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और किसी अन्य दशा में कारवार के संचालन के लिए उत्तरदायाँ या उसके भारसाधक किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

#### भाग--॥

एसा कोई व्यक्ति जो ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का क्रय कर रहा है ऊपर भाग। में विनिर्दिष्ट घोपणा के साथ ऐसे ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के विक्रेता क समक्ष नियम 8(1) के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा। ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति किसी कंपनी की दशा में कंपनी सचिव या कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक द्वारा, किसी भागीदारी फर्म की दशा में प्रवंध भागीदार द्वारा और किसी अन्य दशा में पब्लिक नोटरा या किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये। ऐसा व्यक्ति जो ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का विक्रय कर रहा है वह ऊपर भाग । में विनिर्दिप्ट घोषणा के क्रम संख्यांक 2, 3 ऑर 4 में दो गई विशिष्टि ों का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वर्णित तत्स्थानी विशिष्टियों के साथ सत्यापित करेगा। 🦠

[फा. सं. 16(1)/96—ओ सी] अशांक कुन्द्रा, विशेष सचिव

### MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2000

S.O. 670(E).—Whereas the draft Ozone Depleting Substances (Regulation) Rules, 2000 were published, under the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 69(E), dated, the 25th January, 2000, in the Gazette of India, Extra-ordinaty, Part II, section3, sub-section(ii) at pages 39-96 on the same date, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on 26.01.2000;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6,8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby makes the following rules for regulating ozone depleting substances, namely:-

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions In these rules unless the context otherwise requires,-
  - (a) "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);
  - (b) "authority" means an authority mentioned in columns (4) and (6) of Schedule V;

- (c) "base level' means the quantity of ozone depleting substance produced or consumed, as the case may be, in the year or average of the years listed in column (3) of Schedule II and Schedule III;
- (d) "consumption" with respect to any ozone depleting substance means the amount of that substance produced in India in addition to the amount imported, less the amount experted;
- (e) "calculated level of production, sale, import or export", as the case may be, means level determined by multiplying quantity of the ozone depleting substance by its ozone depleting potential specified in column (5) of Schedule I;
- (f) "calculated level of consumption" shall be determined by adding together calculated levels of production and imports and subtracting calculated level of exports;
- (g) "Group" means collection of one or more ozone depleting substances as specified in column (4) of Schedule 1;
- (h) "manufacture" in relation to any ozone depleting substance includes-
  - (i) any process or part of a process for making, altering, finishing, packing, labelling, blending or otherwise treating or any ozone depleting substance with a view to sell, distribute or use but does not include the repacking or breaking up of any ozone depleting substance in the ordinary course of retail business; and
  - (ii) any process in which a preparation containing ozone depleting substance is formulated;
- (i) "ozone depleting substance" means the ozone depleting substances specified in column (2) of Schedule I, whether existing by itself or in a mixture, excluding any such substance or mixture (blend) which is in a manufactured product other than a container used for the transportation or storage of such substance;
- (j) "parties" means, unless the text otherwise indicates, parties to the protocol;

- (k) "pre-shipment applications" are those treatments applied directly preceding and in relation to export, to meet the phytosanitary or sanitary requirements of the importing country or existing phytosanitary or sanitary requirements of the exporting country;
- (l) "production" in relation to any ozone depleting substance means the manufacture of an ozone depleting substance from any raw material or feedstock chemicals, but does not include-
  - (i) the manufacture of a substance that is used and entirely consumed (except for trace quantity) in the manufacture of other chemicals; or
  - (ii) quantities which are produced incidentally in the manufacture of other chemical substances; or
  - (iii) quantities which are recycled or reused; or
  - (iv) quantities which are destroyed by technologies to be specified by the Central Government;
- (m) "protocol" means the Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer, adopted on 16th September 1987;
- (n) "quarantine applications", with respect to Group VIII of Schedule I ozone depleting substance, are treatments to prevent the introduction, establishment and or spread of quarantine pests (including diseases), or to ensure their control as specified by the Central Government;
- (o) "recovery" means collection and storage of ozone depleting substances from machinery, equipment, or containment vessel during servicing or prior to disposal;
- (p) "reclamation" means reprocessing and upgrading of a recovered ozone depleting substance through such methods as filtering, drying, distillation and, or chemical treatment in order to restore the substance to a specified standard of performance.
- (q) "schedule" means a schedule annexed to these rules.

3. Regulation of production and consumption of ozone depleting substances.- (1) No person shall produce or cause to produce any ozone depleting substance after the date specified in column (5) of Schedule V unless he is registered with the authority specified in column (4) of that Schedule:

Provided that for the twelve month period commencing on the date specified in column (6) of Schedule II, and in each twelve month period thereafter, no person shall produce or cause to be produced any group of ozone depleting substances in excess of the corresponding percentage of his calculated base level of production specified in column (4) of that Schedule:

Provided further that calculated level of consumption of such substances in India shall, as a percentage of calculated level of consumption in base years does not exceed the number specified in column (5) of Schedule II.

- (2) No person shall produce or cause to produce ozone depleting substances specified as Group I and Group III in column (4) of Schedule I during the period from 1, August, 2000 to 1st January, 2010 in excess of the quantity specified in column (4) of Schedule III and the calculated level of consumption of such substances in India shall as a percentage of calculated level of consumption in base year does not exceed the number specified in column (5) of that Schedule.
- (3) A person having received financial assistance from the Multilateral Fund in accordance with article 10 and 10 A of the protocol to which the Central Government is a party for gradual reduction of production of ozone depleting substances specified as Group I and Group III in column (4) of Schedule I shall, limit the production of ozone depleting substances as specified in Group I and Group III in column (4) of Schedule I in each year from 1st August, 2000 to January 1, 2010 to quantities specified in column (4) for each year given in column (6) of Schedule III as per the agreement approved, by the Executive Committee of the Multilateral Fund.
- (4) In order to implement the agreement, referred to in sub-rule (3), the Central Government shall introduce implementation modalities, such as, quota system for producing Chloroflurocarbons and the non-compliance with such modalities shall result in consequential penalties laid out in the agreement.

- 4. Prohibition on export to or import from countries not specified in Schedule VI.- No person shall import or cause to import from or export or cause to export to any country not specified in Schedule VI any ozone depleting substance after the commencement of these rules.
- 5. Ozone depleting substances are to be exported to or imported from countries specified in Schedule VI under a licence.- (1) No person shall import or cause to import from or export or cause to export to, any country specified in Schedule VI, any ozone depleting substance unless he obtains a licence issued by the authority.
- (2) No licence shall be issued under sub-rule (1) unless the said authority is satisfied that the grant of licence shall not cause calculated level of consumption of that group of ozone depleting substances (except Group I and Group III given in column (4) of schedule I in the relevant twelve month period, as a percentage of corresponding calculated consumption in base years, to exceed the number specified in column (5) of Schedule II.
- (3) No licence shall be issued under sub rule (1) unless the said authority is satisfied that the grant of licence shall not cause calculated level of consumption of ozone depleting substance given in Group 1 and III in column (4) of Schedule I in the relevant twelve months period as specified in column (6) of Schedule III, as a percentage of calculated consumption in base years to exceed the number specified in column (5) of that Schedule.
- (4) The calculated base level of consumption and the calculated base level of production for India as a whole for each group of ozone depleting substances shall be notified by the Central Government.
- 6. Regulation of the sale of ozone depleting substances.— (1)No person shall either himself or by any other person on his behalf or enterprise sell, stock or exhibit for sale or distribute any ozone depleting substance after the date specified in column (5) of Schedule V unless he is registered with the authority specified in column (4) of that Schedule

Provided that no person or enterprise shall sell ozone depleting substances specified in column (3) of Schedule IV for activities specified in column (2) of that Schedule unless the person engaged in that activity has got himself registered with the authority and has given a declaration in accordance with these rules and the person selling ozone depleting substances has verified particulars of the registration given in the declaration with the certificate of registration as per procedure specified in Part II of Schedule XII:

Provided further that after the date specified in column (4) of Schedule IV, no person or enterprise shall sell, stock, distribute or exhibit or cause to be sold, stocked, distributed or exhibited ozone depleting substances specified in column (3) for activities specified in column (2) of that Schedule.

- (2) No person shall either himself or by any person on his behalf, or enterprise sell, stock or exhibit for sale or distribute any ozone depleting substance to any person or enterprise who has informed the Central Government that he or that enterprise shall not use the specified ozone depleting substances in manufacturing or other activities after the date specified by such person or as the case may be, the enterprise.
- (3) The Central Government shall notify the list of persons, ozone depleting substances and dates informed to it under sub-rule (2).
- 7. Regulation on the purchase of ozone depleting substances.- No person shall either himself or by any person on his behalf or enterprise, purchase ozone depleting substances specified in column (3) of Schedule IV from any person for making stock or for using such ozone depleting substances for activities specified in column (2) of that Schedule unless he has given the declaration specified in Part I of Schedule XII to the seller of such substances within the time period specified in Serial number 4 of column (5) of Schedule V.
  - 8. Regulation on the use of ozone depleting substance.
    (1)No person or enterprise shall engage in any activity specified in column (2) of Schedule IV that uses ozone depleting substances specified in column (3) of that Schedule after the date specified in column (5) of Schedule V unless he is registered with the authority specified in column (4) of that Schedule.
  - (2) No person shall engage in any activity specified in column (2) of Schedule IV using ozone depleting substances specified in column (3) of that Schedule after the date specified in column (5) of Schedule V unless the products are labelled to indicate the ozone depleting substance they contain.
  - (3) No person shall engage in any activity specified in column (2) of Schedule IV using ozone depleting substances specified in column (3) after the date specified in column (4) of that Schedule

- (4) No person shall engage in any activity specified in column (2) of Schedule IV without using label indicating absence of use of ozone depleting substance mentioned in column (3) after the date specified in column (4) of that Schedule.
- (5) A person, having received financial and technical assistance from the Multilateral Fund in accordance with the Article 10 and 10 A of the Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer, to which the Central Government is a Party for phasing out of ozone depleting substances specified in column (2) of Schedule II used in activities specified in column (2) of Schedule IV, either himself or by any person on his behalf or through any enterprise, shall not engage in such activity as specified in column (2) of Schedule IV using ozone depleting substances specified in column (3) of the Schedule, after the date of completion of the conversion work or signing of the Handing Over Protocol, or the submission of the completion report to change from ozone depleting substance technology to non ozone depleting substance technology and the said date be registered with the authority specified in column (4) of the Schedule V.
- (6) Any person or enterprise having received, financial assistance from the Multilateral Fund in accordance with the Article 10 and 10 A of the Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer shall submit an affidavit or declaration with the authority specified in column (4) of Schedule V stating that replaced equipment, resulted from completion of conversion process from ozone depleting substance technology to non ozone depleting substance technology, have been destroyed, dismantled, rendered unusable and that no ozone depleting substance should be used after the date of the completion of project and the said date be registered with the authority specified in the column (4) of the Schedule V
- 9. Prohibition on new investments with ozone depleting substances.— (1) No person shall establish or expand or cause to establish or expand any manufacturing facility for production of any ozone depleting substance after the date specified in column (7) of Schedule II and III.
- (2) No person shall establish or expand or cause to establish or expand any manufacturing facility, with a view to manufacturing products which contain, or are made with, any ozone depleting substance after the date specified in column (8) of Schedule II & III.

- (3) A person having received financial and technical assistance from the Multilateral Fund in accordance with the Article 10 and 10A of the Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer for phasing out of ozone depleting substances specified in column (2) of Schedule II used in activities specified in column (2) of Schedule IV to which the Central Government is a Party, shall not establish or expand or cause to establish or expand the manufacturing facility for production of any ozone depleting substance or with a view to manufacturing products which contain or are made with any ozone depleting substances after the approval of the project for conversion and date of completion of the conversion work from the ozone depleting substance technology to non ozone depleting substance technology.
- 10. Regulation of import, export and sale of products made with or containing ozone depleting substances.—(1) No person shall import or cause to import any product specified in column (2) of Schedule VII which are made with or contain ozone depleting substances specified in column (3) after the date specified in column (4) of that Schedule unless he obtains a license issued by the authority:

Provided that such products which do not contain such ozone depleting substances shall carry a label to that effect before its import is allowed after the date specified in Column 4 of Schedule VII.

- (2) No person or enterprise shall export or cause to export any product specified in column (2) of Schedule VII unless such product carries a label specifying whether or not the product has been made with or contains, as the case may be, ozone depleting substances specified in column (3) of that Schedule, after the date specified in column (5) of that Schedule.
- (3) No person shall either himself or by any other person or enterprise on his behalf sell, stock or exhibit for sale or distribute any product resulting out of activities, or provide services, specified in column (2) of Schedule IV using ozone depleting substances specified in column (3) after the date specified in column (4) of that Schedule.
- 11. Regulation on reclamation and destruction of ozone depleting substances.— (1) No person shall reciaim or cause to reclaim any ozone depleting substance after the date specified in column (5) of Schedule V unless he has registered with the authority specified in column (4) of that Schedule.

- (2) No person shall destroy or cause to destroy any ozone depleting substance after the date specified in column (5) of Schedule V unless he has registered with the authority specified in column (4) of that Schedule.
- 12. Regulation on manufacture, import and export of compressors.(1) No person shall manufacture, import or export compressors after the date specified in column (5) of Schedule V unless he is registered with the authority specified in column (4) of that Schedule.
- 13. Procedure for registration, cancellation of registration and appeal against such orders.- (1) The procedure for registration and conditions of registration under various provisions of these rules shall be as specified in Schedule IX.
- (2) The registering authority shall not register if he is not satisfied that the procedure for registration or conditions of registration are fulfilled.
- (3). The registering authority shall cancel the registration if he is satisfied that condition(s) of registration have been violated.
- (4) The registering authority shall give the concerned person an opportunity of being heard before passing orders under sub-rules (2) and (3) and the orders shall be made in writing.
- (5) An appeal against an order of the registering authority shall lie with the authority specified in column (6) of Schedule V within thirty days of communication of such order.
- (6) The registration shall be valid for the period specified in Schedule IX and its renewal shall be necessary.
- (7) The procedure for and conditions of renewal of registration shall be the same as applicable to registration.
- 14. Monitoring and reporting requirements.- (1) Every person who produces, imports, exports or sells any ozone depleting substance shall maintain records and file reports in the manner specified in Part 1 of Schedule X.

- (2) Every person stocking or purchasing any ozone depleting substance for use in activities specified in column (2) of Schedule IV shall maintain records and file reports in the manner specified in Part II of Schedule X.
- (3) Every person who has received technical or financial assistance from any international organisation or any financial assistance, which includes concession or exemption from payment of duties, from the Central Government, shall maintain records and file reports in the manner specified in Part III of Schedule X and the list of such persons shall be notified by the Central Government.
- (4). Every person who has facility to reclaim an ozone depleting substance shall maintain records and file reports in the manner specified in Part IV of Schedule X.
- (5) Every person who has facility to destroy any ozone depleting substance shall maintain records and file reports in the manner specified in Part V of Schedule X.
- (6) Every person who manufactures, imports, exports or sells compressors shall maintain records and file reports in the manner specified in Part VI of Schedule X.
- (7) The records maintained in accordance with the above sub-rules shall be made available for inspection as specified in Part VII of Schedule X.
- 15. Exemption.- (1) Nothing contained in these rules shall apply to applications or circumstances specified in Schedule VIII.

## SCHEDULE - I [See rule 2(e), (n), 3 (2) and (3), 5(3)]

### List of ozone depleting substances

S.No.	Name of Ozone Depleting Substance	Chemical Composition of Ozone Depleting Substance	Group	Ozone Depleting Potential
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CFC-11	Trichlorofluoromethane (CFCl <sub>3</sub> )	i	1.0
2	CFC-12	Dichlor odifluoromethane (CF <sub>2</sub> CI <sub>2</sub> )	I	1.0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	CFC-113	Trichlorotrifluoroethane (C <sub>2</sub> F <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub> )	I	0.8
4.	CFC-114	Dichlorotetrafluoroethane (C <sub>2</sub> F <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub> )	1	1.0
5.	CFC-115	Chloropentafluoroethane (C <sub>2</sub> F <sub>5</sub> Cl)	<b>1</b> · · ·	0.6
6.	Halon-121-1	Bromochlorodifluoromethane (CF <sub>2</sub> BrCl)	II	3.0
7.	Halon-1301	Bromotrifluoromethane (CF <sub>3</sub> Br)	II	10.0
8	Halon-2402	Dibromotetrafluoroethane $(C_2F_4Br_2)$	II	6.0
<b>9</b> .	CFC-13	Chlorotrifluoromethane (CF <sub>3</sub> CI)	111	1.0
10.	CFC-111	Pentachlorofluoroethane (C <sub>2</sub> FCl <sub>3</sub> )	Ш	1.0×
11.	CFC-112	Tetrachlordifluoroethane (C <sub>2</sub> F <sub>2</sub> Cl <sub>4</sub> )	111	1.0
12.	CFC-211	Heptachlorofluoropropane	111	1.0
13	CFC-212	(C <sub>3</sub> FCl <sub>7</sub> ) Hexachlorodifluo <del>ropr</del> opane (C <sub>3</sub> F <sub>2</sub> Cl <sub>6</sub> )	m · ·	1.0
14.	CFC-213	Pentachlorotrifluoropropane (C <sub>3</sub> F <sub>3</sub> C <sub>5</sub> )	111	
15.	CFC-214	Tetrachiorotetrafluoropropane (C <sub>3</sub> F <sub>4</sub> Cl <sub>4</sub> )	Ш	1.0
16	CFC-215	Trichloropentafluoropropane (C <sub>3</sub> F <sub>5</sub> Cl <sub>3</sub> )	111 .	1.0
17	CFC-216	Dichlorophexafluoropropane (C <sub>3</sub> F <sub>6</sub> Cl <sub>2</sub> )	111	1.0
187	CFC-217	Chloroheptafluoropropane (C <sub>1</sub> F <sub>7</sub> Cl)	111	1.0
	Carbon tetrachloride	Tetrachloromethane (CCl <sub>4</sub> )	IV	1.1

THE GAZETTE OF INDIA:	ENTRACKDINARY
-----------------------	---------------

S4		THE GAZETTE OF INDIA: ENTRADEDINARY	[P.ser41—Sec. 3(ii)]		
	(2)	(5)	3 40 3	(3.)	
<u>1 :</u> 20.	Methyl chloroform	1, 1, 1-Trichloroethane (C-H <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub> )	V	0.1	
21.	HCFC-21	Dichlorofluoromethane (CHFCl <sub>2</sub> )	VI	0.04	
22.	HCFC-22	Dichlorodifluoromethane (CHF <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> )	VI	0.055	
23.	HCFC-31	Chlorofluoromethane (CH <sub>2</sub> FCi)	VI	0.02	
24.	HCFC-121	Tetrachiorodifluorocthane (C2HF2Cl4)	VI	0.04	
25. ,	HCFC-122	Trichlorodifluoroethane (C <sub>2</sub> HF <sub>2</sub> Cl <sub>3</sub> )	VI	0.08	
26.	HCFC-123	2, 2-dichloro-1, 1, 1-trifluoroethane (C <sub>2</sub> HF <sub>3</sub> Cl <sub>2</sub> )	VI	0.06	
27.	HCFC-123a	1.2-dichloro-1, 1, 2-trifluoroethane (CHCl <sub>2</sub> CF <sub>3</sub> )	VI	0.02	
28.	HCFC-124	2-chloro-1, 1, 1, 2-trifluoroethane (C <sub>2</sub> HF <sub>4</sub> Cl)	VI	0.04	
9	HCFC-124a	2-chloro-1, 1, 2, 2-trifluoroethane (CHFCICF <sub>3</sub> )	VI	0 022	
80.	HCFC-131	Trichlorofluoroethane (C2H2FCh)	VI	0.05	
1.	HCFC-132	Dichlorodifluoroethane (C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> )	VI	0.05	
32.	HCFC-133	Chlorotrifluoroethane (C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> F <sub>3</sub> Cl)	VI	0.06	
83 <sub>:</sub>	HCFC-141	Dichlorofluoroethanc (C <sub>2</sub> l·l <sub>3</sub> FCl <sub>2</sub> )	VI	0.07	
34.	HCFC-141b	1, 1-dichloro-1-fluoroethane (CH <sub>3</sub> CFCl <sub>2</sub> )	VI	0.11	
35.	HCFC-142	Chlorodifluoroethane (C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> F <sub>2</sub> C!)	VI	0.07	

· ·				
(1)	(2)	(3)		
36.	HCFC-142b	I-chloro-1, I-difluorocthane (C'H <sub>3</sub> CF <sub>2</sub> CI)	VI	0.00
37	HCFC-151	Chlorofluoroethane (C:114FCI)	VI <sup>*</sup>	0 00
38.	HCFC-221	Hexachlorofluoropropane (CulffCla)	VI	0.0.
39.	HCFC-222	Pentachlorodifluoropropane (C1HF2Cl5)	VI	D 18.
40.	HCFC-223	Tetrachlorotrifluoropropane (C1HF1Cl4)	VI	0.68
41	HCFC-224	Trichlorotetrafluoropropane (C3HF4Cl1)	VI	O 119
<b>42</b> .	HCFC-225	Dichloropentafluoropropane (C <sub>1</sub> HF <sub>5</sub> Cl <sub>2</sub> )	VI	0 07
43.	HCFC-225ca	I, 3-dichloro-1,2, 2,3,3-pentafluoropropane (CF <sub>3</sub> CF <sub>2</sub> CHCl <sub>2</sub> )	VI	0.025
44.	HCFC-225cb	I-3-dichloro-1,2,2,3,3-pentafluoropropane (CF <sub>2</sub> CICF <sub>2</sub> CHCIF)	VI	0.033
45.	HCFC-226	Chlorohexafluoropropane (C3HF6CI)	VI	0.10
46.	HCFC-231	Pentachlorofluoropropane (C (H <sub>2</sub> I <sup>1</sup> Cl <sub>4</sub> )	VI	0.09
47,	HCFC-232	Tetrachlorodifluoropropane (C3H2F2Cl4)	VI	Q 10°
48.	HCFC-233	Trichlorotrifluoropropane (C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>3</sub> Cl <sub>4</sub> )	VI	0.23
49	HCFC-234	Dichlorotetrafluoropropane $(C_1H_2 F_4C_2)$	VI .	0.28
50.	HCFC-235	Chloropentafluoropropane (C <sub>1</sub> H <sub>2</sub> F <sub>4</sub> Cl)	VI	ę s
51,	HCFC-241	Tetrachlorofluoropropane $(C_1H_1F(1_4)$	VI ma amin miner - 1 - 1	(p.p.)

.%		THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART I	!Six:, 3(ii)]
(2)	(2)	(3)	(4)	
52.	HCFC-242	Trichlorodifluoropropane (C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> F <sub>2</sub> Cl <sub>3</sub> )	۷I	<i>(ح)</i> 9.13
53.	HCFC-243	Dichlorotrifluoropropane (C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> F <sub>3</sub> Cl <sub>2</sub> )	Vī	0.12
54.	HCFC-244	Chlorotetrafluoropropane (C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> F <sub>4</sub> Cl)	VI	0.14
55,	HCFC-251	Trichlorofluoropropane (C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> FCl <sub>3</sub> )	VI	0.01
56.	HCFC-252	Dichlorodifluoropropane (C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> F <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> )	VI	0.04
57.	HCFC-253	Chlorotrifluropropane (C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> F <sub>3</sub> Cl)	VI	0.03
58.	HCFC-261	Dichlorofluoropropane (C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> FCl <sub>2</sub> )	Vi	0.02
<b>59</b> .	HCFC-262	Chlorodifluoropropane (C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> F <sub>2</sub> CI)	VI	0.02
60.	HCFC-271	Chlorofluoropropane (C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> FCI)	VI	0.03
61	BFC-21B2	Dibromofluoromethane (CHFBr <sub>2</sub> )	VII	1.00
62	HBFC-22B1	Bromodifluoromethane (CHF <sub>2</sub> Br)	VII	0.74
63		Bromofluoromethane (CH <sub>2</sub> FBr)	VII	0 73
64		Tetrabromofluoroethane (C-HFBr4)	VII	0.8
65		Tribromodifluoroethane (C <sub>2</sub> HF <sub>2</sub> Br <sub>1</sub> )	VII	1.8
Oti	HBEC-123B2 HBEC-123aB2	Dibromotrifluoroethane (C <sub>2</sub> HF <sub>3</sub> Br <sub>2</sub> )	VII	1.6
57	HBFC-124B1	Bromoterfafluoroethane (C <sub>2</sub> HF <sub>4</sub> Br)	VII	1.2

<i>"</i>	(2)	(3)	(4)	(5)
68.		Tribromofluoroethane (C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> FBr <sub>3</sub> )	Vil	1.1
69.		Dibromodifluorocthane $(C_2H_2F_2Br_2)$	VII	1.5
70		Bromotrifluoroethane (C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>3</sub> Br)	VII	1.6
71.		Dibromofluoroethane (C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> FBr <sub>2</sub> )	VII	i.7°
72.	- HBFC-124B1	Bromodifluoroethane (C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> F <sub>2</sub> Br)	VII	1.1
<b>73</b> .	HBFC-124B1	Bromofluoroethanc (C₂H₄FBr)	VII	0.1
<b>7</b> 4.		Haxabromofluoropropane (C <sub>3</sub> HFB <sub>6</sub> )	VII	1.5
.75.		Pentabromodifluoropropane (C <sub>3</sub> HF <sub>2</sub> Br <sub>5</sub> )	VII	1.9
76.		Tetrabromofluoropropane (C <sub>3</sub> HF <sub>3</sub> Br <sub>4</sub> )	VII	1.8
77.		Tribromotetrafluoropropane (C3HF4Br3)	VII	2.2
78		Dibromopentafluoropropane (C <sub>3</sub> HF <sub>4</sub> Br <sub>2</sub> )	VII	2.0
<b>7</b> 9		Bromohaxafluoropropane (C <sub>3</sub> HF <sub>6</sub> Br)	VII	3.3
80		Pentabromofluoropropane (C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> FBr <sub>5</sub> )	VII	1.9
81		Tetrabromodifluoropropane (C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>2</sub> Br <sub>4</sub> )	VII	2 1
82		Tribromotrilluoropropane (C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>3</sub> Br <sub>1</sub> )	VII	5,6

.5%		THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 3(ii)]		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
83.		Dibromotetrafluoropropane (C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>4</sub> Br <sub>2</sub> )	VII	7.5	
84.		Bromopentafluoropropane (C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>5</sub> Br)	VII	1.4	
\$5.		Tetrabromofluoropropane (C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> FBr <sub>4</sub> )	VII	1.9	
86	•	Tribromodifluoropropane. (C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> F <sub>2</sub> Br <sub>3</sub> )	VIL	<b>3</b> 4	
87		Dibromotriflvoropropane (C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> F <sub>3</sub> Br <sub>2</sub> )	VII	2.5	
88		Bromotetrasluoropropane (C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> F <sub>4</sub> Br)	VII	4.4	
80		Tribromofluoropropane (C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> FBr <sub>3</sub> )	WII	0.3	
SQ		Dibromodifluoropropane (C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> F <sub>2</sub> Br <sub>2</sub> )	VII	1 0	
v) }		Bromotrifluoropropane (C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>3</sub> Br)	VII	0.8	
·:2		Dibromofluoropropane (C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> FBr <sub>2</sub> )	· VII	Ο 4	
43		Bromodifluoropropane (C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> F <sub>2</sub> Br)	VII	0.8	
9‡		Bromofluoropropane (C <sub>1</sub> H <sub>6</sub> FBr)	VII	07	
95	Methyl bromide	(CH <sub>1</sub> Br)	УШ	0,6	

## SCHEDULE - II [See rule 2(c), 3(1), 5(2), 9]

## Regulation on production and consumption of group of ozone depleting substances

S. No	Name of Group of Ozone Sub- stances	Year(s) relating to base level	Maximum allowable Production in a period of twelve months as percentage of calculated base level for Group as a whole	Maximum allowable consumption in a period of twelve months as percentage of calculated consumption of base years for Group as a whole	Date related to columns (4) and (5)	Ban on creating capacities for production of Ozone Depleting Substances	Ban of creating new capacities to manufacture products made with or containing Ozone Depleting Substances
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
l(a)	li	1995-1997	110	100	1-1-2002	Date on which these rules come into force	Date on which these rules come into force
(b)	11	1995-1997	60	50	1-1-2005		
(c)	, II	1995-1997	0	0	1-1-2010		<del></del>
2(a)	IV	1998-2000	25	15	1-1-2005	Date on which these rules come into force	Date on which these rules come into force
(b)	IV	1998-2000	0	()	1-1-2010		
3(a)	. <b>V</b>	1998-2000	115	100	1-1-2003	Date on which these rules come into force	Date on which these rules come into force
(b)	V	1998-2000	SO.	70	1-1-2005		
(c)	V	1998-2000	40	30	1-1-2010		
(d)	v	1998-2000	o	()	1-1-2015		
4(a)	VI	20151 2016*	115	100	1-1-2016	Date on which these rules come into force	

	^
- 62	v
	~

.00		THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY		RDINARY	(Part II—Sec. 3(ii))		
(1)	(1)	(3)	(4)	(ک)	(4)	(フ)	(8).
(b)	VI	2015	0	0	1-1-2040	Date on which these rules come into force	
5.	VII		0	0		•	
6(a)	VIII	1995-1998	110	100	1-1-2002	Date on which these rules come	
(b)	VIII	1995-1998	80	80	1-1-2005	into force -	
(c)	VIII	1995-1998	0	0	1-1-2015	_	1.1.2015

Freeze Year for production and consumption of Hydrochlorofluorocarbons (ozone depleting substance under Group VI) of Schedule I with possible essential use exemption.

<sup>1</sup> 2015 is the base level for all group VI substances.

## SCHEDULE III

[See rule 2(c), 3(2), (3), 5(3), 9(1) & (2)]

# Regulation on production and consumption of Group 1 & Group III ozone depleting substances Specified in column [4] of Schedule I.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
S.No.	Name of Group Of Ozone Depleting Substances	Year(s) relating to base- level*	Maximum allowable Production (MT)in a period of twelve month for Group as a whole	Maximum allowable consumption in a period of twelve month as percentage of calculated level of consumption in base years for Groups as whole	column (4) and (5)	Ban on creating capacities for production of Ozone Depleting Substances	Ifan on creating new capacitic to manufacture products made with containing Ozone Depleting Substances
1.	1	1995-97 1998-2000	20,706	90%	31.12.2000	Date on which these rules come into force	Date on which these rules come into force
2.	III I	1995-97 1998-2000	18,824	83%	31.12.2001	Date on which these rules come into force	Date on which these rules come into force
3.	III I	1995-97 1998-2000	16,941	75%,	31.12.2002	Date on which these rules come into force	Date which these rules rules come into force
4.	111	1995-97 1998-2000	15,058	66%	31.12.2003	Date on which these rules come into force	Date on which these rules come into force
5.	In	1995-97 1998 <b>-20</b> 00	13,176	58%	31.12.2004	Date on which these rules come into force	Date on which their rules come into force

==							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	1 111	1995-97 1998-2000	11,294	50%	31.12.2005	Date on which these rules come into force	Date on which these rules come into force
7.	PN I	1995-97 1998-2000	7,342	33%	31.12.2006	Date on which these rules come into force	Date on which these rules come into force
8.	I	1995-97 1998-2000	3,389	15%	31.12.2007	Date on which these rules come into force	Date on which these rules come into force
9.	III I	1995-97 1998-2000	2,259 -	10%	31.12.2008	Date on which these rules come into force	Date on which these rules come into force
10.	í III	199 <b>5</b> -97 1 <b>9</b> 98-2000	1,130	10%	31.12.2009	Date on which these rules come into force	Date on which these rules come into force
11.	III	1995-97 1998-2000			<b>a</b> fter 1.1.2010	Date on which these rules come into force	Date on which these rules come into force

save for any Chlorofluorocarbon production / consumption that may be agreed by the Parties to meet essential uses for India

## SCHEDULE-IV

## [See rule 6(1),7,8 (1),(2), (3), (4) and (5),9(3), 10(3)]

## Regulation on consumption of ozone depleting substances on end use basis

S.N	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Name of Group of Ozone Depleting Substances	Phaseout Date *	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Manufacture of Aerosol products or pressurised dispensers (excluding metered dose inhalers for medicinal purpose).	Group I	1-1-2003	
2.	Manufacture of Polyol for foam products	Group I	1-1-2003	
3	Manufacture of foam products including foam part of Domestic Refrigerator.	Group I	1-1-2003	
4.	Manufacture of Fire Extinguishers or Fire Extinguishing Systems.	Group II	1-1-2001**	
5.	Manufacture of Mobile Air-Conditioners and charging at Automobile industry	Group I	1-1-2003	
6.	Manufacture of other Refrigeration and Air- conditioning products (excluding com- pressors)	Group I	1-1-2003	
7.	Manufacture of different products	Group I, III, IV & V	1-1-2010	
8.	Servicing of fire extinguishers and fire extinguishing systems.	Group II	1-1-2010**	
<b>)</b> .	Manufacture of Metered Dose inhalers for medicinal purposes.	Group I	1-1-2010	
O.	Manufacture of different products	Group VI	1-1-2040	
i	Use of methyl bromide except preshipment & quarantine	Group VII	1-1-2015	

The phaseout date for person or enterprise who has received financial assistance for switching over to non ozone depleting substance technology or to establish or to expand new capacity with non ozone depleting substance technology is the date of completion of the conversion project or the date given in column (4) of Schedule IV which ever is earlier

Except for essential use certified by the essential use panel

## SCHEDULE - V (See rule 2(b), 3(1), 6(1), 7, 8(1), (2), (5) & (6), 11(1), (2), 12(1), 13(5)

## List of authorities, their functions and last date for registration

## Part - I for ozone depleting substances other than group VIII of Schedule-I

S. No	Rule No.	Function	Name of Authority	Last date for Registration	Name of Appellate Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	3(1)	Registration of producers of Ozone Depleting	An officer not below the rank of a Deputy Secretary in the Ministry of Environment and Forests	Three months after commencement of the rules	Secretary, Ministry of Environment and Forests
2.	3,4, 5,10(1) 10(2)	Substances Licence to import/export of products made with or containing Ozone Deplet- ing Substances and Ozone Depleting Substances	Director General of Foreign Trade		
3.	6(1)	Registration of traders / dealers/ wholesalers/ sellers of	An Officer of the particular Producer not below the rank of Manager, if the Ozone Depleting Substance has been produced in India.	One year after commencement of these rules	An officer not below the rank of a Deputy Secretary in the Ministry
		Ozone Depleting Substances	(ii) An officer of the particular Importer not below the rank of Manager, if the Ozone Depleting Substance has been imported.		of Environment and Forests

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	8(1)	Registration of persons / enterprises engaged in activities specified in column (2) of Schedule-IV (whose capital investment is less than Rs 1 erore.)	Officer-in-charge of the office Small Industries Services Institute in respective jurisdiction under Small Industries Development Organisation under the Ministry of Small Scale, Agro and Rural Industries.	One year after commencement of these rules	An officer not below the rank of a Deputy Secretary in the Ministry of Environment and Forests
		Registration of persons engaged in activities in column (2) of Schedule IV. (whose capital investment is more than Rs. I crore)	An officer not below the rank of a Deputy Secretary in the Ministry of Environment and Forests	One year after commencement of these rules	Secretary, Ministry of Environment and Forests
5.	11(1)	Registration of person having facilities to reclaim Ozone Depleting Substances	Officer-in-charge of the office of Small Industries Services Institute in respective jurisdiction under Small Industries Development Organisation under the Ministry of Small Scale, Agro and Rural Industries.	One year after commencement of these rules	An officer not below the rank of a Deputy Secretary in the Ministry of Environment and Forests
	11(2)	Registration of persons having facilities to destroy Ozone Depleting Substances	Officer-in-charge of the Office of Small Industries Services Institute in respective jurisdiction under Small Industries Development Organisation under the Ministry of Small Scale.  Agro and Rural Industries	One year after commencement of these rules	An officer not below the rank of a Deputy Secretary in the Ministry of Environment and Forests

(1)	(2)	(J)	(4)	S	(6)
7.	12	Registration of manufacturers, importers & exporters of compressors / (whose capital investment is less than Rs. 1 crore)	Officer-in-charge of the Office of Small Industries Services Institute in respective jurisdiction under Small Industries Development Organisation under the Ministry of Small Scale, Agro and Rural Industries.	One year after commencement of these rules	An officer not below the rank of a Deputy Secretary in the Ministry of Environment and Forests.
		Registration of manufacturers, importers & exporters of compressors (whose capital investment is more than Rs. 1 crore)	An officer not below the rank of Deputy Secretary in the Ministry of Environment and Forests	One year after commencement of these rules	Secretary, Ministry of Environment and Forests

## Part II - for Schedule 1, Group VIII ozone depleting substance

S. No	Rule No.	Function	Name of Authority	Last date of Registration	Name of Appeliate Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	3(1) 6(1) 8(1) 11(1)	Registration	As specified in the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968)	As specified in the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968)	

## SCHEDULE - VI [See rule 4,5 (1)]

## List of countries which are party to the 1987 Montreal Protocol

## Part - 1

List of Par	categorized as operating under Article 5 paragraph 1 of the Montreal Protocol					
(1)	(2)					
S.No.	Name of country					
1.	Algeria					
2.	Antigua and Barbuda					
3	Argentina		,			
4.	Bahamas					
5.	Bahrain					
6.	Bangladesh					
7.	Barbados					
8.	Belize					
9	Benin			•		
10	Bolivia					
11.	Bosnia and Herzegovina					
1-2.	Botswana					
13.	Brazil					
14.	Brunei Darussalam					
15.	Burkina Faso					
16.	Burundi					
17	Cameroon					
18.	Central African Republic					
19.	Chad					
20.	Chile					
21.	China					
22.	Colombia					
23.	Comoros					
24	Congo					
25	Congo, Democratic Republic of					
26	Costa Rica					
27	Cote Ivoire					
28	Croatia					
29	Cuba					
30	Cyprus					
31	Dominica					
32	Dominican Republic					
33	Feuador.					

1	
	Egypt
35.	El Salvador
36	Ethiopia
.30 37.	Fiji
37. 38.	Gabon
39.	Gambia
40.	Georgia
41.	Ghana
42.	Grenada
43	Guatemala
444	Quinea
45.	Guyana
46	Honduras
47	India
48.	Indonesia
49.	fran, Islamic Republic of
49. 50.	Jamaica
50. 51.	Jordan
51. 52.	Kenya
52. 53.	Kiribati
53. 54.	Kiribati Korea, Peoples Democratic Republic of
55.	Korea Republic of
,55. 56.	Kuwait
57.	Lao People's Democrtic Republic of
58.	Lebanon
59.	Lesotho
60.	Libyan Arab Jamahiriya
61.	Madagascar
62.	Malawi
63.	Malaysia
64.	Maldives '
65.	Mali
66.	Malta
67.	Mauritania
68.	Mauritius
69.	Mexico
70.	Moldova
71.	Mongolia
72.	Morocco
73.	Mozambique
74.	Myanmar
<b>7</b> 5.	Namibia
76.	Nepal
77.	Nicaragua
78.	Niger
79.	Oman
80.	Nigeria
81	Pakistan

(1.)	(2.)		
82.	Panama		
83	Papua New Guinca		
84	Paraguay		
85	Peru		
86	Philippines		
87	Qatai		
88	Romania		
89	Saint Kits & Nevis		
90	Saint Lucia		
91	Saint Vincent & the Grenadines		
92.	Samoa		
93.	Saudi Arabia		
94.	Senegal		
95	Seychelles		
96.	Singapore		
97	Slovenia		
98	Solomon Islands		
99	South Africa		
100.	Sri Lanka		
101.	Sudan		
102	Swaziland	•	
103.	Syrian Arab Republic		
104	Tanzania, United Republic of		
105.	l'hailand		
106.	The Former Yuguslav Republic of Mecedonia		
107	Togo		
108	Trinidad and Tobago		
109	Tunisia		
110	Turkey		
111	Uganda		
112	United Arab Emirates		
113	Uruguay		
114	Venezuela		
115	Yemen		
116	Viet Nam		
117	Yugoslavia		
i 18	Zambia		
119	Zimbabwe		

#### Part -- II

List of Parties temporarily categorized as operating under Article 5 paragraph 1 of the Montreal Protocol.

(1) (2)

- 1. Albania
- 2. Djibouti
- 3. Federated States of Micronesia
- 4. Liberia
- 5. Marshall Islands
- 6. Suriname
- 7. Tonga
- 8. Tuvalu
- 9. . Vanuatu

### Part - III

List of Parties categorized as operating under Article 2 of the Montreal Protocol.

(1)	(2)	e di series de la companya de la co
1.	Australia	The state of the s
2.	Austria	* :
3.	Azerbaijan	
4.	Belarus	
5.	Belgium	
6	Brunei Darussalam	
7.	Bulgaria	er e e
8.	Canada	
9.	Czech Republic	*
10.	Denmark	
11.	Equatorial Guinea	•
12.	Estonia	
13.	Finland	
14.	France	
15.	Georgia	
16.	Germany	
17.	Greece	
18.	Hungary	
19.	Iceland	
20	Ireland	

(1)	٠ (2)			 	
21.	Israel				
22.	Italy **** * *****				
23	Japan				
24.	Latvia				
25.	Liechtenstein				
26	Lithuania				
27.	Luxembourg				
28.	Monaco				
29.	Netherlands		•		
30.	New Zealand				
31.	Norway				
32.	Poland	•			
33.	Portugal				
34.	Russian Federation				
35.	Slovakia				
36.	Spain				
37,	Sweden				
38.	Switzerland				
39.	Tajikistan				
40.	Turkmenistan				
41.	Ukraine				
42.	United Kingdom				
43.	USA			•	
44.	Uzbekistan			•	
45.	European Community				

#### 72

## SCHEDULE - VII [See rule 10(1), (2)]

## Regulation on import and export products containing ozone depleting substances

S. No	Name of Product		Date Regulation on Imports becomes effective	Date Regulation on Exports be-comes effective
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Automobile and truck air-conditioning units. (whether incorporated in vehicle or not.)	Group I	Six months after these rules come into force	Six months after these rules come into force
2.	Domestic and commercial refrigeration and air-conditioning/heat pump equipment e.g.  - Refrigerators  - Freezers  - Dehumidifiers  - Water Coolers  - Ice machines  - Air conditioning and heat pump units  - Compressors	Group I, Group VI	-dc-	-do-
3	Aerosol products, expect medical aerosols	Group I	-do-	-do-
.:	Portable fire extinguishers / System Cylinder	Group II	-do-	-de-
5.	insulation boards, panels and pipe covers	Group I	-do-	-do-
()	Pre-polymers	Group I, Group VI	-do-	-do-

Note: 1. S No., 2, column (2) products include insulating material of the product.

<sup>2.</sup> All products mentioned above are excluded from the purview of this Schedule when transported in Consignments of personal or household effects or in similar non-commercial situations normally exempted from customs attention.

#### SCHEDULE - VIII

### [See rule 15]

#### Exemption

- (i) Use of Methyl Bromide, the ozone depleting substance covered in Group VIII of Schedule I, in quarantine and pre-shipment applications.
- (ii) Ozone depleting substance which are used in laboratory or for analytical purposes subject to following conditions:-
  - (a) laboratory uses include equipment calibration; use as extraction solvents, diluents, or carriers for chemical analysis; biochemical research; inert solvents for chemical reactions, as a carrier or laboratory chemical and other critical analytical and laboratory purposes.
  - (b) ozone depleting substances should have been manufactured to the following purities:

CTC (reagent grade)	99.5
1, 1, 1-trichloroethane	.99,0
CFC-11	99.5
CFC-13	99.5
CFC-12 · · ·	99.5
CFĆ-113	99.5
CFC-114	99.5
Other w Boiling P > 20°C	99.5
Other w Boiling P < 20°C	99.0

these pure ozone depleting substances can be subsequently mixed by manufacturers, agents, or distributors with other chemicals, as is customary for laboratory and analytical uses.

- these high purity ozone depleting substance and mixtures containing ozone depleting substances shall be supplied only in re-closable containers or high pressure cylinders smaller than three litres or in 10 millilitre or smaller glass ampoules, marked clearly as ozone depleting substances, restricted to laboratory use and analytical purposes and specifying that used or surplus ozone depleting substances should be collected and recycled, if practical. The ozone depleting substances should be destroyed if recycling is not practical.
- (iii) Import, export, and production of Group IV, Schedule I ozone depleting substances is excluded from the definition of consumption if such imports and production meant to be used in manufacture of ozone depleting substances specified in Group I of Schedule I.
- (iv) Import and export of any recovered or reclaimed ozone depleting substances is excluded from the definition of consumption.
- (v) Sub-rule (1) of rule 10 shall not apply to non-commercial sale of products which have been used for at least one year.
- (vi) Any rule in public interest with specific approval of the Central Government.
- (vii) Use of Group II substances of Schedule I for essential critical application shall as Defence Air Craft, Battle tank and Aviation Industries to be certified by an essential use panel.

#### SCHEDULE - IX

[See rule 13(1), 13(6)]

#### Part 1

#### Procedure for Registration

- 1. Application for registration of producers of ozone depleting substances under sub-rule (1) of rule 3 shall be made in Form 9 of Schedule XI.
- 2. Application for registration of sellers of ozone depleting substances under sub-rule (1) of rule 6 shall be made in Form 10 of Schedule XI
- Application for registration of persons under sub-rule (1) of rule 8 shall be make in Form 11 of Schedule XI.
- 4. Application for registration of persons reclaiming ozone depleting substances under sub-rule (1) of rule 11 shall be made in Form 14 of Schedule XI.

- 5. Application for registration of persons destroying ozone depleting substances under sub-rule (2) of rule 11 shall be made in Form 14 of Schedule XI.
- 6. Application for registration of persons manufacturing, importing or exporting compressors shall be made in Form 13 of Schedule XI.
- 7. A Certificate of Registration shall be issued by the registering authority to those persons who have been registered in accordance with these rules.
- 8. The Certificate of Registration shall contain the following information: -
  - (a) Name of registering authority.
  - (b) Registration number.
  - (c) Information contained in application for registration (excluding enclosures).
  - (d) Signature and seal of registering authority.

#### Part II

#### Conditions of Registration/Renewal

- 1. The 'Certificate of Registration' shall be kept at the 'Registered Office' and shall be produced at any reasonable time on reproduced at any reasonable time on request before an Officer of the concerned authority no below in rank to a Section Officer to the Government of India or, in respect of registration under sub-rule (1) of rule 6 an Assistant Manager in the concerned producing enterprise.
- 2. The registration shall not be done, and shall cease to be valid, if the person to be registered or registered is in violation of these rules.
- 3. Registration under sub-rule (1) of rule 6 shall also be subject to commercial decision of the authority mentioned in column (4) of Schedule V, excluding such registration in respect of ozone depleting substances specified in Group VIII of Schedule I.
- 4. Notwithstanding generality of provision of para 2 above, registration shall not be renewed unless the applicant has complied with all the reporting requirements under these rules.
- 5. Validity of registration under these rules shall be for a period of eighteen months from the date of registration. Its renewal can be done anytime after twelve months from the date of registration/renewal. The renewal will also be valid for eighteen months.

#### SCHEDULE X

# [See rule 14(1), (2), (3), (4), (5), (6) & (7)]

#### Part 1

#### A. Records to be maintained

Records regarding production of ozone depleting substances

- (1) Dated records and related documents in respect of each producing plant, of -
  - (a) The actual quantity of each ozone depleting substances produced;
  - (b) the actual quantity of each ozone depleting substance used as feed stock;
  - (c) Information specified in 2(b) and 2(c) below. Records regarding sale and offer for sale of ozone depleting substances
- (2) Dated records and related documents in respect of -
  - (a) the actual quantity of each ozone depleting Substances purchased
  - the actual quantity of each ozone depleting substances sold within India; the name and address of the recipient of the each shipment and the purpose for which ozone depleting substances was purchased by the recipient. These purpose to be maintained are:
  - (i) Manufacture of Aerosols
  - (ii) Manufacture of foam products
  - (iii) Manufacture of fire extinguishers and fire extinguishers and fire extinguishing systems.
  - (iv) Manufacture of Mobile Air-conditioners
  - (v) Manufacture of other Refrigeration and Air-conditioning products.
  - (vi) Solvents use
  - (vii) Exempted use
  - (viii) Selling
  - (ix) Others (please specify).

Records regarding exports of Ozone.

- (3) Dated records and related documents containing information in respect of each column of Form 3 or 4, as the case may be, of Schedule XI.
  - Records regarding imports of ozone depleting substances
- (4) Dated records and related documents containing information in respect of each column of Form 5 or 6, as the case may be, of Schedule XI.
  - Record and related document of regarding manufacture import and export of compressor.
- (5) Dated records and related document containing information in respect of each column of form 12 or 13, as the case may be, of Schedule XI

Declaration signed by the recipient in Form 12 of Schedule XI.

# B. Reports to be submitted

- (1) Report on production of ozone depleting substances as per Form 1 of Schedule XI.
- (2) Report on imports of ozone depleting substances as per Form 2 of Schedule XI.
- (3) Report on exports of ozone depleting substances as per Form 3 of Schedule XI.
- (4) Report on sales of ozone depleting substances as per Form 4 of Schedule XI.
- (5) Reports mentioned in Sr. No.1 to 3 above shall be submitted to the Ministry of Environment and Forests. Report mentioned in Sr. 4 above shall be submitted the registering authority specified in column (4) of Schedule V, who will submit complied version of the reports, duly countersigned will also be submitted by such authority to the Ministry of Environment & Forests in hard copy as well as in floppy on request.

#### Part II

#### A. Records to be maintained

Records regarding purchase of ozone depleting substances for use in activities specified in column (2) of Schedule IV

#### (1) Dated records of

- (a) the actual quantity of each ozone depleting substances purchased from an Indian supplier and the name and address of the Indian supplier;
- (b) the actual quantity of each ozone depleting substances used separately for each plant and each activity.

#### B. Records to be submitted

- (1) Report on purchase of ozone depleting substances as per Form 5 of Schedule XI.
- (2) These reports shall be submitted to the concerned registering authority specified in column (4) of Schedule V, who will submit compiled version of the report to the Ministry of Environment & Forests. Individual reports will also be submifted by such authority to the Ministry of Environment & Forests on request.

#### Part III

#### A. Records to be maintained

Records regarding purchase of non-ozone depleting substances by beneficiary companies for use in manufacture of products.

- (1) Dated records and related documents in respect of:-
  - (1) Actual quantity of each non-ozone depleting substances purchased and the name and address of supplier;
  - (2) Actual quantity of each non-ozone depleting substances used in manufacturing operations separately for each plant and each manufacturing.

#### B. Reports to be submitted

- (1) Report on use of non-ozone depleting substances by beneficiary companies as per Form 6 of Schedule XI.
- (2) These reports shall be submitted to the concerned authority specified in column (4) of Schedule V, who will submit compiled version of the report to the Ministry of Environment & Forests. Individual reports will also be submitted by such authority to the Ministry of Environment & Forests on request.

#### Part IV

#### A. Records to be maintained

Records regarding reclamation

- (1) Dated records and related documents in respect of -
  - (a) the actual quantity of each ozone depleting substances recovered, the name and address of the individual or company from which the ozone depleting substances is recovered and the name and address, if different of the site at which the ozone depleting substances is reclaimed,
  - (b) the actual quantity of each ozone depleting substances reclaimed.

#### B. Reports to be submitted

- (1) Report on reclamation of ozone depleting substances as per Form 7 of Schedule XI
- (2) These reports shall be submitted to the Ministry of Environment & Forests through the concerned registering authority specified in column (4) of Schedule V.

#### Part V

#### A. Records to be maintained

Records regarding destruction

- (1) Dated records of;
  - (a) the actual quantity of each ozone depleting substances destroyed on the basis of destruction efficiency of the faculity employed.

- B. Reparts to be submitted
- (1) Report on destruction of ozone depleting substances as per Form 8 of Schedule X!
- (2) These reports shall be submitted to the Ministry of Environment & Forests through the concerned registering authority specified in column (4) of Schedule

#### Part VI

# A. Records to be maintained

Records regarding manufacture, import and export of compressor:

(1) Dated records and related documents containing information in respect of each column of Form 12 of Schedule XI.

# B. Reports to be submitted

- (1) Report on manufacture, import, export and sale of compressor and use of refrigerants in compressors sold as per Form 12 of Schedule XI.
- These reports shall be submitted to the concerned registering authority specified in column (4) of Schedule V, who will submit complied version of the report to the Ministry of Environment & Forests. Individual reports will also be submitted by such authority to the Ministry of Environment & Forests on request.

#### Part VII

#### Production of records

Records being maintained pursuant to requirements of rule 13 shall be available for inspection at any reasonable time on request by an officer of the registering authority specified in column (4) of Schedule V, not below in rank to a Section Officer to the Government of India, However, persons who are engaged in selling any locally produced ozone depleting substances, except ozone depleting substances specified in Group VIII of Schedule I, shall make records available by inspection at any reasonable time on request by an officer of the concerned producing enterprise not below in rank to Assistant Manager or on request by an officer of the Ministry of Environment & Forests not below in rank to a Section Officer.

#### SCHEDULE XI

Form 1 page 1

# Report on production of ozone depleting substances

Frequency of report: Annually

# Last date for submission of report: Within 60 days of end of the year

Name of	Period of report: Januar	y – December 19	9		
Name of Group of Ozone Depleting Substances?	Name of Ozone Depleting Substances	Total Quantity produced for All uses *2	Quantities produc- uses within India *.	ed for exemped	Quantity produced for supply to countries listed in parts I and il of Schedule-VI
			Quantity pro- duced for feed stock within India	Quantity pro- duced for other exempted use within India	
Group I	CFC13 (CFC-11) CFC(12) (CFC-12) C2F4C12 (CFC-114) C2 F5C1 (CFC-115)				
	TOTAL.	F 1	2000		·
	8	i mor	- page 2		
Name of Group of Ozone Depleting Substances	Name of Ozone Depleting Substances	Total Quantity produced for All uses *2	Quantities produc uses within India	ed for exemped	Quantity produced for supply to countries listed in parts I and II of Schedule-VI
()			Quantity pro- duced for feed stock within India	Quantity pro- duced for other exempted use within India	
Group !i	CF2BrCl (Halon 1211) CF3 Br (Halon 1301) C2F4Br2 (Halon 2402)				
Group lil	CF3CI (CFC-13)				
	. Total				
Group IV	CC14 (Carbon tetra- Chloride)				
Group V	C2H3C13 (Methy) Chleroform i.e. 1.1.1-trichloroethane)	-			

# Form 1 - Page 3

Name of Group of Ozone Depleting Substances	Name of Ozone Total Quantity Depleting Substances produced for 1 All uses 2	Quantities produc uses within India	ed for exemped	Quantity produced for supply to countries listed in parts I and II of Schedule-VI
		Quantity pro- duced for feed stock within India	Quantity pro- duced for other exempted use within India	
Group II	CHFCI (HCFC-21) CHF2CI (HCFC-22)			
	CH2FCI (HCFC-22)			
	C2HF3CL2 (HCFC-123)			
	C4HF4CI (HCFC-124)			
	C2H2F3CI (HCFC-133)			
	CH3CF12 (HCFC-141 b)			
	CH3CF2CI (HCFC - 142b)			
	C3HF5C2 - (HCFC-225)			
	CF3CF-2CHCI2(HCFC-225ca)			
	CF2CICF2HCIF(HCFC-225cb)			
	TOTAL	•		

# Form 1 - Page 4

Name of Group of Ozone Depleting Substances	Name of Ozone Depleting Substances • 1	Total Quantity produced for All uses *2	Quantities produc uses within India *	Quantity produced for supply to countries listed in parts I and II of Schedule-VI	
			Quantity pro- duced for feed stock within India	Quantity produced for other exempted use within India	
1	2	3	4 -	5	 6
Group VII	IIBFCs			<del></del>	
Group VIII	(Methyl Bromide (CH3Br)		Bromic for Qua and Pre applica	umuity 'Methyl- le produced trantine ishipment tions within and for exports	
			Signatui with sari		

# Form 1 page 5

	•						
Verific	ation						
do here given a comple	S/o  by solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information above and the annexure and statements any accompanying it are correct and te						
my cap	I further declare that I am submitting and verifying the information given above in acity as and that I am competent to do so.						
ρ	Signature *4						
Date	with seal						
*1	Please see Schedule! for complete list of ozone depleting substances.						
	Total production should be given without any deductions. The Ministry of Environment & Forests would make the necessary deductions in accordance with the definition in rule 2.						
*3 .	Please see rule 2(k) and give the total quantity used within India as feedstock and quantity exempted under rule 16 from local production.						
i : :	The above Form including the verification portion must be signed in case of artindividual by the individual himself or a person duly authorized by him-in case of Hindu undivided family by the Karta: in case of a partnership firm, by the managing partner, in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors, and in any other case by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.						
	Form 2 page !						
	Data on imports of ozone depleting substances						
	Frequency of report: Quarterly						
	Last date for submission of report: Within 30 days of end of the quarter.						
Name o	of Company: Period of report.						
Name o	f azone depleting substances *1						

(in metric tonnes)

Sr. No.	Purchase order No. & date	Bill of Lading no. & date	Total Qua	untity imported			of new of imported to	zone depleting use as
		New	*2 Rec	overal	*3 Reclaim	ed	Feedstock	Exempted Uses
1	2	3	4	5	6		7	8
		·						
	JATOF							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Free Board value S	on Free on (FOB) Value (P Rs.	Board Import OB) No. &	date "	Country from which mported	Name address seller		ort of upment	Port of delivery
	9	10	11	12	1	13	- 14	15.
TOTAL							·	
							Signature with seal	*4
			Fo	ımı 2 page	2			
Veriñ	ication						-	
	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		S/o			
do he given comp	reby solemnly above and the letter.	y verify that the annexure	to the beand st	est of my atements a	knowled ny acco	dge and ompanyi	belief the	information correct and
and I	I further dec	ompetent to	make	this appli	cation	and ve	rify it by	virture of
				Signat with s				
Notes *1	x- ,	Use sepai	rate form		ozone (	depleting	g substanc	ng substance. e. Please see stance.

\*2 'Recovery'

The collection and storage of ozone depleting substance from machinery, equipment vessels etc. during servicing or prior to disposal.

\*3 'Reclamation'

The reprocessing and upgrading of a recovered ozone depleting substance through such mechanism as filtering, during, distillation and chemical treatment in order to restore the substance to specified standard of performance. If often involves processing 'ofi' side' at a central facility.

The above Form including the verification portion must be signed incase of an individual by the individual himself or a person duly authorized by him, in case of Hindu undivided family, by the Karta: in case of the partnership firm, by the managing partner, in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.

Form 3 - page 1

# Report on exports of ozone depleting substances

Frequency of report: Quarterly

Name	e of Company	y:				Pe	eriod of	f report:	
Name	e of ozone de	pleting s	ubstanc	es *1:(in me	etric tonn	es)			•
Sr. No.	Invoice No & date	Bill Lading & date		nuantity exported for Il uses		Quantity o substance in		ozone depletin to use as	æ
		_ <b></b>	New	*2 Recovered & Reclaimed	Quarantii Preshipm applicatio	ient .	edstock	Exempted uses	;
I	2	3		4 5	6		7	8	
	TOTAL			•					<u>.</u>

Free Board (FOB) value S	on	Free on Board (FOB)Value Rs	Export licence No. & date	Country to which exported	Name address buyer	Port slupment	of	Port delivery	oî
9		10 .	11	12	13	 14		15	
***			•			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- <u>-</u>	
						 	<u> </u>		
TOTAL						 			

Signature \*4 with seal

# Form 3 page 2

Verification	
do hereby solemnly v	S/o rerify that to the best of my knowledge and belief the information annexure and statements any accompanying it are correct and
l further declar	re that I am submitting and verifying the information given above in and that I am competent to do so.
Place	Signature *4
Date	with sea!
Notes:-	One form should be used for only one ozone depleting substances.  Use separate form for each ozone depleting substances. Please see Schedule 1 for complete list of all ozone depleting substances
*2 'Recovery'	The collection and storage of ozone depleting substances from machinery, equipment vessels etc. during servicing or prior to disposal.

#### 'Reclamation'

The reprocessing and upgrading of a recovered ozone depleting substances through such mechanism as filtering, during, distillation and chemical treatment in order to restore the substance to specified standard of performance. If often involves processing 'off side' at a central facility.

\*3

For Methyl Bromide only.

The above Form including the verification portion must be signed incase of an individual, by the individual himself or a person duly authorized by him, in case of Hindu undivided family, by the Karta. in case of the partnership firm, by the managing partner, in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any case, by a-person incharge of or responsible for the conduct of the business.

Form 4- page 1

#### Report on sale of ozone depleting substances

Frequency of report: Quarterly

Last date for submission of report: Within 30 days of end of the Quarter

Nam	ne of Comp	pany:		Period of	reprot:
		(in r	Part A metric tonnes)	)	
Sr. Name of No. Ozone Depleting Substance		•1 •2	*3	Quantity of Ozone Depleting Substances purchased locally	Name and address of Indian supplier from whom Ozone Depleting Substances was purchased locally
Oz.or	l for each ne Depleting tance	Produced imported Reclair	ned Exported		

# Form 4 - page 2

# Part B (in metric tonnes)

	Name of Ozor Depleting Substance	s Ozon Subst	ose for which *4 e Depleting ance was sold chuyer	Depleting Substance sold	Name & address of buyer
	·	<del></del>			,
TO					
	·				Signature *5 with seal
				6 agus 3	
			renn	4 – page 3	
Veri	fication				
give	n above and the	verify t	hat to the besture and stat	st of my knowledge a ements any accompa	and belief the information anying it are correct and
give com	ereby solemnly above and the olete	verify to annex	ture and stat I am submitti	ements any accompa	anying it are correct and
give comp my c	ereby solemnly above and the olete	verify to annex	ture and stat I am submitti	ements any accompang and verifying the interest to the same competent to Signary	anying it are correct and
give comp my c	ereby solemnly above and the olete  I further declar apacity as	verify to annex	ture and stat I am submitti	ements any accompang and verifying the interest to the same competent to Signary	it are correct and information given above in o do so.

- (v) Manufacture of other Refrigerations & Air conditioning products (excluding compressors).
- (vi) Solvent use.
- (vii) Exempted use.
- (viii) Selling.
- (ix) Servicing of fire extinguishers or fire extinguishing system.
- (x) Metered dose inhalers for medicinal purpose.
- (xi) Manufacture of Compressors.
- (xii) Others specify.

#### Form 4 - page 4

- \*5 The above Form including the verification portion must be signed incase of an individual, by the individual himself or a person duly authorized by him, in case of Hindu undivided family, by the Karta: in case of the partnership firm, by the managing partner, in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.
- \*6 Use separate form for separate ozone depleting substances.

Form -5 - page 1

# Report on purchase of ozone depleting substances on end use bases

Frequency of report: annually

Last date for submission: Within 3: Name of Company: Pe				30 days of end of caler Period of report: Janua	nder year. 1ry – December
			Part (in metric		
Sr. No.	Name of Ozone Depleting Substance	Quantity of Oz	cone Depleting Substance *2 Reclaimed	Quantity of Ozone Depleting Substances purchased locally	Name and address of Indian supplier from whom Ozone Depleting Substances was purchased locally
Tota	ļ				

\*2

# Form 5 – page 2

# Part B (in metric tonnes)

Sr. No.	Name of Ozone Depleting Substances	Name & address of enterprise/firm Ozone Depleting Substances was used	*3* Purpose3 for which Ozone Depleting Substance was used	Quantity of Ozone Depleting Substance used
TO	TAL			
				Signature *4 with seal
	•			
Verit	fication.			
	I		S/o	
giver comp	n above and the solete.  I further declare	annexure and state that I am submitted	ements any accompa	and belief the information anying it are correct and information given above in
my c	apacity as	and t	hat I am competent to	0 GO SO.
	<b>3</b>			nature *4 n seal
Note	S:			•
* 1	Full report to be	submitted as per F	Form 2.	

Full report to be submitted as per Form 7.

- Manufacture of aerosols (excluding metered dose inhalers **\***3 Purpose are: (i) . for medical purposes). Manufacture of Foam products. (iiix) Manufacture of Fire extingushers & fire extinguishing (xiv) systems. Manufacture of Mobile Air conditioners (xv) Manufacture of other Refrigerations & Air conditioning (xvi) products (excluding compressors). (xvii) Solvent use. (xviii) Exempted use. (xix) Selling. Servicing of fire extinguishers or fire extinguishing system. (xx)Metered dose inhalers for medicinal purpose. (ixxi)
  - (xxii) Manufacture of Compressors.
  - (xxiii) Others specify.
- The above Form including the verification portion must be signed incase of an individual, by the individual himself or a person duly authorized by him, in case of Hindu undivided family, by the Karta: in case of the partnership firm, by the managing partner, in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.

Form 6 - page 1

# Report on use of non ozone depleting substances by beneficiary companies\*1

Frequency of report: Annually

Last date for submission : Within 60 days of end of calendar year

Name of Com	ipany:	Period of report: Jan-Dec					
		(in metri	c tonnes)				
Sr. Address of No. Factories	Date of Commencement of manufacturing operations with non-Ozone Depleting Substances	Name of Depleting substances used prior to conversion (if applicable)		Purpose for which non- Ozone Depleting Substance is being used 2	Name of non-Ozone Depleting Substance being used	Quantity of non-Ozone Depleting Substance used during the period of report	
						· · ·	

Total

Signature 13. Wahisear

#### Form 6 – page 2

Verif	ication		
do he given	ereby solemnly above and the	verify	s/o
my ca	I further decl	are that	I am submitting and verifying the information given above in
			Signature *3with seal
Notes	5:		
* 1	This report is under sub rule	to be:	submitted by all companies whose names have been notified rule 6 or sub-rule (3) of rule 14
*2.	Purpose are:	(i) (ii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x)	Manufacture of aerosols (excluding metered dose inhalers for medical purposes).  Manufacture of Foam products.  Manufacture of Fire extinguishers & fire extinguishing systems.  Manufacture of Mobile Air conditioners  Manufacture of other Refrigerations & Air conditioning products (excluding compressors).  Solvent use.  Exempted use.  Servicing of fire extinguishers or fire extinguishing system.  Manufacture of Compressors.  Others – specify.

The above form including the verification portion must be signed in case of an individual, by the individual himself or a person duly authorized by him: in case of Hindu undivided family, by the Karta: in case of a partnership firm, by the managing partner, in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any other case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business

#### Form 7 - page 1

# Report on reclamation of ozone depleting substances

Frequency of report: Annually Last date for submission: Within 60 days of end of calendar year. Name of Company Period of report: January - December ...... (in metric tonnes) Quantity of Ozone Name & Address of Name & Address Quantity of \*2 Name of Ozone site at which Ozone Sr. of company/site Depleting Substances Ozone Depleting Depleting Depleting Substances from which Ozone was reclaimed3 Substances \*1 Substances was reclaimed Depicting recovered Substances recovered TOTAL Signature \*4 with Seal Form 7 - page 2 Verification do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information given above and the annexure and statements any accompanying it are correct and complete.

I further declare that I am submitting and verifying the information given above in

Signature \*3.....

with seal

my capacity as ...... and that I am competent to do so.

Place...

Date ......

Notes:

- \*1 Please see Schedule I for list of all ozone depleting substances.
- \*2 'Recovery' The collection and storage of ozone depleting substances from machinery, equipment, containment vessels during servicing or prior to disposal.
- \*3 Reclamation' The reprocessing and upgrading or recovered ozone depleting substances through such mechanism as filtering drying, distillation and chemical treatment in order to restore the substance to a specified standard of performance. If often involves processing "of-side" at a central facility.
- The above form including the verification portion must be signed in case of an individual, by the individual himself or a person duly authorized by him: in case of Hindu undivided family, by the Karta: in case of a partnership firm, by the managing partner, in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any other case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.

#### Form - 8

### Report on quantity of ozone depleting substances destroyed

Frequency of report: Annually

Last date for submission of report: Within 30 days of end of calendar year

Name of Company	of report: J cric tonnes)	•		T
Name of Group of Ozone Depleting Substances	Name of Substances	Ozone	Depleting	Quantities Destroyed •1

Signature \*2 with Seal

Verification	
Į	S/o
do hereby solemnly veri	fy that to the best of my knowledge and belief the information in the statements any accompanying it are correct and
I further declare t	hat I am submitting and verifying the information given above in and that I am competent to do so.
Place Date Notes:	Signature *2with seal
	ed should be calculated on the basis of destruction efficiency of
individual, by the of Hindu undivid managing partner behalf by the Boa	including the verification portion must be signed in case of an individual himself or a person duly authorized by him: in case ed family, by the Karta: in case of a partnership firm, by the in case of a company, by a person duly authorized in that rd of Directors and in any other case, by a person incharge of or e conduct of the business.  Form 9 page 1
Form for refrigers substances [sub-rule (1)	ntion of enterprises producing ozone depleting of rule 3
<ol> <li>Name of enterpris</li> <li>Address of Regist</li> </ol>	ses ered office (including Tehsil, District, State)
3. Particulars of factor	pries
Sr. Name *1 of Ozono No. Depleting Substances	Ozone Depleting Substances or registration  Date of commencement of commercial production  District, State)
2.	
3	
4	·

- 4. Name of business house/group to which the enterprise belongs
- 5. Please give name of Managing Director of Chief Executive.

#### Form 9 Page 2

6. Please enclose a copy each of the Annual Report, Audited Balance Sheet and Profit and Loss Account of the enterprise for the last three years.

Signature of the applicant 12 with Seal

ί.	ŧ	٠	:	٠.	į	i	c	3	î	:	0	iì	

do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information given above and the annexure and statements any accompanying it are correct and complete

 Signature \*2..... with scal

#### Notes

- Please see Schedule I for list of all ozone depleting substances.
- The above form including the verification portion must be signed in case of an individual, by the individual himself or a person duly authorized by him: in case of Hindu undivided family, by the Karta: in case of a partnership firm, by the managing partner, in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any other case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.

#### Form 10 - page 1

# Form for registration of enterpriese selling ozone depleting substances (sub-rule (!) of rule 6]

- 1. Name of firm
- 2. Address of Registered office (including Tehsil: District, State)
- 3. Date of Registration and the name of Act under: which registered (A copy of such registration to to be attached):
- 4 Particulars of sales outlet

4.	Particulars of	sales oullet		
Sr. No.	Name of Ozone Depleting Substance	Address of sale outlets	Date of start of sale of Ozone Depleting Substance	Name & address of producer/importer of Ozone Depleting Substance from whom Ozone Depleting Substance was purchased during the past twelve months

#### Form 10 Page 2

- 5. Name of Proprietor or Chief Executive:
- 6. Please attach a copy of latest Income Tax Assesment Order:

Signature of the applicant \*2 with seal

#### Verification

I declare that the enterprise/ firm mentioned in Sr. 1 above has not applied for registration under sub-rule (1) of rule 6 of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000 with any other registering authority.

do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information given above and the annexure and statements any accompanying it are correct and scomplete.

1 ...... S/o ......

my ca	I further declare that I am submitting and verifying pacity as		on given above in
Place.			
Notes			
*1 *2	Please see Schedule I for list of all ozone depleting The above form including the verification portion individual, by the individual himself or a person do of Hindu undivided family, by the Karta: in case managing partner, in case of a company, by a p behalf by the Board of Directors and in any other caresponsible for the conduct of the business.	must be signed ally authorized of a partners erson duly au	by him: in case hip firm, by the athorized in that
	· • • • • • • • • • • •		
	Form 11- page 1		
Fort	n for registration of enterprises using ozone deplet specified in column 2 of Schedu [sub-rule (1) of rule 8]		es in activities
	Part A		
Acti	ivities relating to manufacture of products using o	zone depletin	g substances
1.	Name of the enterprise:		
2	Address of Registered office (including Tehsil: District, State)		
3	Particulars of factories:		
No. t	Address of factory where products Name of products being using Ozone Depleting Substances manufactured *1 are produced (including Tehsil, District State)	Date of incorporation registration	Date of commencement of commercial production
			<u> </u>
÷.	·		
:		**:	

	•	
4.	Name of business house/group to which the enterprise belongs:	ScheduleXI Form
5.	Please give name of Managing or chief Executive.	Page2
6.	Please enclose a copy of the latest Annual: Report, Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the enterprise.	
		Signature of the applicant *2 with seal
Verif	ication	
and C	I declare that the enterprise/ firm mentioned in tration under sub-rule (1) of rule 6 of the Ozone Control) Rules, 2000 with any other registering aution	hority.
do he given comp	ereby solemnly verify that to the best of my known above and the annexure and statements any	Alegae and delict me unormanon
my ca	I further declare that I am submitting and verify apacity as	ing the information given above in petent to do so.
		Signature *2with seal
Note	s:	
*1	Products to include one of the following:  (i) Aerosols (excluding metered dose inhalers of Products; (iii) Fire Extinguishers or fire exting Conditioners; (v) Other Regrigeration & Air compressors); (vi) Products where ozone desolvents; (vii) Metered Dose Inhalers for medicing	conditioning products (excluding epleting substances are used as
*2	The above form including the verification por individual, by the individual himself or a perso of Hindu undivided family, by the Karta: in o	on duly authorized by thin. In case

managing partner, in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any other case, by a person incharge of or

responsible for the conduct of the business.

1.

2.

3.

Name of the enterprise/tirm

Tehsil, District, State)

Address of Registered office (including

Date of Registration and the name of Act under

#### Form 11 page 2

#### Part B

# Activities rekating to servicing of fire extinguishers or fire extinguishing systems

	which registered. (A copy of registration tattached)	o be
4.	Servicing fire extinguishers	: Yes/No
<b>5</b> .	Servicing fire extinguishing systems	: Yes/No
6.	Address of servicing outlet	163110
7.	Dare of commencement of servicing activi	ties :
8.	Name of Proprietor/ Chief Executive Com	mittee :
9.	Please enclose a copy of the latest Annu	
	Profit & Loss Account of the enterprise or	
		Signature of the applicant *1 with seal
Verifi	cation	
and Co	I declare that the enterprise/ firm mention ration under sub-rule (1) of rule 6 of the O ontrol) Rules, 2000 with any other registering I	zone Depleting Substances (Regulation ag authority.  S/o
my car	I further declare that I am submitting and voacity as and that I am	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Signature *2

Notes:

The above form including the verification portion must be signed in case of an individual, by the individual himself or a person duly authorized by him: in case of Hindu undivided family, by the Karta: in case of a partnership firm, by the managing partner, in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any other case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.

Form 12 - page 1

#### Report on manufacture, import, export and sale of compressors

Frequency of report: Quarterly

Last date for submission of report: Within 30 days of end of the quarter

Name of Company		Period o	of report
Sr. No. Size of Compresso	<u> </u>	No. of compressors	,
•	Produced	Imported	Exported
1 2	3	4	5
<u> </u>			
TOTAL			
No. of compressor sold in India	Name and address of Indian buyer	Name of refrigerant if compressor was charged at the premises of the company	Quantity of refrigerant
6	7	8	9

Signature \*1 with Seal

# Form 12 Page 2

reby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information above and the annexure and statements any accompanying it are correct and
I further declare that I am submitting and verifying the information given above in pacity as and that I am competent to do so.
Signature *2
The above form including the verification portion must be signed in case of an individual, by the individual himself or a person duly authorized by him in case of Hindu undivided family, by the Karta: in case of a partnership firm, by the managing partner, in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any other case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.
Form 13 – page 1
Form for registration of enterprises manufacturing, importing or exporting compressors
(rule 12)
Name of the eneterprise/firm  Address of Registered office (including Tehsil, District, State)
Particulars of factories manufacturing Compressors (for manufacturers)
Address of factory where compressors are Date of incorporation or Date of commercial production

4.	(fo: importers)		
	(10. mipor cors)		
	Address of companies from whom importing	Date	of start of imports
$\frac{No}{i}$	. 2		3
1.			
2.			
			•
		3 - Page 2	
5.	Particular of sales outlet		
	(for exporters and/or tranders)		
Sr.	Address of sales outlets	Date of start of sales	Date of start of exports
1	2	, ,	4
i			
2			
	and Profit & Loss Account or enterprises/firm.		
		Sign: with	ature of the applicant *1 Seal
Verifi	ication		
regist and C	I declare that the enterprise firm ration under sub-rule (1) of rule 6 of Control) Rules, 2000 with any other re	the Ozone Depleting gistering authority.	bove has not applied for Substances (Regulation
do he given comp	reby solemnly verify that to the best above and the annexure and state.	of my knowledge ar	nd belief the information trying it are correct and
my ca	I further declare that I am submitting apacity as	g and verifying the in at I am competent to	formation given above in do so.
		Sign with	ature *1seal

#### Form 13 Page 3

#### Notes.

1.

Name of the enterprise:

The above form including the verification portion must be signed in case of an individual, by the individual himself or a person duly authorized by him: in case of Hindu undivided family, by the Karta: in case of a partnership firm, by the managing partner, in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any other case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.

#### Form 14

# Form for registration \*2 of enterprises reclaiming/ destroying ozone depleting substances (rule 11)

3.	Tehsil, Dis	-				
Sr. No.	Name of Substance *3		Depleting	Address of factory where Ozone Depleting Substances is being reclaimed/destroyed (including Tehsil, District, State)	Date of incorporation or registration	Date of commencement of commercial reclamation destruction
1.			<u> </u>			
2						
3	:					
4.		-:				
4.	Name of b			oup which		
5.		e name		ing Director or	Form.	XI
6.				of the latest Annua		Balaince Sheet

Signature of the applicant \*1 with scal

Verification

registration under sub-rule (1) of rule 6 and Control) Rules, 2000 with any other	n mentioned in Sr. 1 above has not applied for of the Ozone Depleting Substances (Regulation
do hereby solemnly verify that to the be	est of my knowledge and belief the information atements any accompanying it are correct and
I further declare that I am submitt my capacity as	ting and verifying the information given above in that I am competent to do so.
Place Date	Signature *1with seal

#### Notes:

- \*1 The above form including the verification portion must be signed in case of an individual, by the individual himself or a person duly authorized by him: in case of Hindu undivided family, by the Karta: in case of a partnership firm, by the managing partner, in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any other case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.
- \*2 Please use separate form for reclamation and destruction.
- \*3 Please see Schedule I for list of all ozone depleting substances.

#### SCHEDULE - XII

[See rule 6(1), 7]

#### Part – I End-use declaration

Address:			
•			
Information re	egarding purchaser of ozo	one depleting substances	
Name of recip	ient:		
Address:			
redicss.			
	<u> </u>		
	•		
Fax:			
elephone No		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Registration N	٠		
Name and add	ress of Registering Author	ority:	
Name and add	iess of Kegistering Muthe	лиу. 	•
Name of Ozo	ne Depleting Substance	Purpose* I for which Ozone Depleting Substance is purchased	Quantity of Ozone Depleting Substan purchased
Name of Ozo	ne Depleting Substance	Ozone Depleting	Depleting Substan
Name of Ozo	ne Depleting Substance	Ozone Depleting	Depleting Substan- purchased
Name of Ozo	ne Depleting Substance	Ozone Depleting	Depleting Substan purchased
Name of Ozo	ne Depleting Substance	Ozone Depleting	Depleting Substan
Name of Ozo	ne Depleting Substance	Ozone Depleting	Depleting Substan

6.		spect of ozone depleting subs	ted of an offence under Indian law applicable nces?		
:		Yes	No		
		<b>~6</b>	Signature of the Purchaser of the Ozone Depleting Substances With seal*2		
Varia	leation		Competition of the competition o		
	į.		∴ S/o.		
			do hereby solemnly verify that to the best of my		
		and belief the information giving it are correct and complete	en above and the annexure and statements		
	1 7				
		_	and verifying this declaration in my capacity as		
	<b>a</b> nd	that I am competent to do so			
Piace			Signature*3		
		*************************			
75					
Date			with Seal		
Note					
*i.	Purpo	oses are:			
	. (i)	Manufacture of aerosols (e.	xcluding metered dose inhalers for medicinal		
		purposes)	•		
	(ii) Manufacture of Foam products.				
	(iii) Manufacture of Fire extinguishers & Fire extinguishing systems.				
	-	(iv) Manufacture of Mobile Air Conditioners.			
	(v) Manufacture of other Refrigerations & Air Conditioning products				
	(excluding compressors).  (vi) Solvents use.				
	(vii)	Exempted use:			
	(viii)	Selling			
	(ix)	_	ers of fire extinguishing systems (applicable		
		for Group II ODS)	vio or the extinguishing systems (applicable		
	(x)	•	se inhalers for medicinal purposes.		
	(xi)	Manufacture of compressor			
	(xii)	Others - specify (excluding			

- \*2 Use a separate form for quantities of ozone depleting substances for which the Central Government has granted exemption from these rules.
- The above Form including the verification portion must be signed in case of an individual, by himself or a person duly authorised by him, in case of Hindu undivided family, by the Karta, in case of a partiership firm, by the managing partner, in case of a company, by a person duly authorised in that behalf by the Board of Directors, and in any other case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.

#### PART - II

A person purchasing ozone depleting substances will produce a copy of certificate of registration issued under sub-rule (1) of rule 8 before the person selling such ozone depleting substances along with the declaration specified in part I above. The copy of such certificate of registration should have been duly attested in case of a company by the Company Secretary or a full time Director of the company, in case of a partnership firm by the Managing partner and in any other case by Public Notary or a Gazetted Government Officer. The person selling ozone depleting substances shall verify particulars given in serial numbers 2, 3 and 4 of declaration specified in part I above with the corresponding particulars mentioned in the certificate of registration.

TE. No. 16/1/96-OCT A K KUNDRA Spi. Socy

# HRA AN VISIUA The Gazette of India

असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II —खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 950 ] No. 950] नर्ड दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर ३१, २००१/याँष १०, १९२३

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2001/PAUSA 10, 1923

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिमुचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2001

का.आ. 1283( अ ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधितियम, 1986 (1986 का 29) को धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और तियंत्रण) नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अधात :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिण नाम ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2001 है:
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।
- 2. ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 की अनुसूची 5 में :—
- (i) स्तंभ (1) में, क्रम संख्यांक 7 को उसके क्रम संख्यांक 6 के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा:
- (ii) स्तंभ (5) में, इस प्रकार पुन: संख्यांकित क्रम संख्यांक 1. 3, 4, 5 और 6 के सामने, विद्यमान प्रविश्यों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

''इन नियमों के प्रारंभ के परचात् दो वर्ष ''।

[फा.सं. १५(१)/१६-अंत्वी]

सी. विश्वनाथ, संयुक्त सन्ति

पाद टिप्पण:—ओजोन अनक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 भारत के राजभत्र असाधारण में का.आ. 670(अ) तारीख 19 जुलाई, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

#### MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2001

- S.O. 1283(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6, 8, and 25 of Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2001.
- 1. (1) These rules may be called the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules. 2001.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In schedule V to the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000.—
- (i) in column (1) serial number 7 shall be renumbered as serial number 6 thereof:
- (ii) in column (5), against serial numbers 1, 3, 4, 5 and 6 as so renumbered, for the existing entries, the following shall respectively be substituted, namely:—

"Two years after commencement of these miles".

[F.No. 16/1/96-OC]

C. VISWANATH, Jt. Secy.

Foot-note: — The Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules. 2000 were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 670(E) dated the 19th July, 2000.

1031 G1:2001

# HRA Sazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 790] No. 790]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2003/भाद्र 7, 1925 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2003/BHADRA 7, 1925

# पर्यावरण और वन मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2003

का.आ. 996(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1936 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं0 का0आ0 670(अ), तारीख 19 जुलाई, 2000 द्वारा ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 बनाए थे ;

और उक्त नियमों में अधिसूचना सं0का0आ0 1283(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2001 द्वारा संशोधन किया गया है ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह आवश्यक और समीचीन है कि अधीनस्थ विधायन संबंधी राज्य सभा समिति की कतिपय सिफारिशों के अनुपालन में उक्त नियमों का संशोधन किया जाए;

और पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) में यह उपबंध है कि उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब कभी केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है तो यह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी;

और केन्द्रीय सरकार यह राय है कि ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा को अभिमुक्त करना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है. अर्थात :--

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2003 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में,-
  - (क) नियम 2 के खंड (ज) के उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखें-
    - (i) विक्रय, वितरण या उपयोग करने की दृष्टि से किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के बनाने, उसमें परिवर्तन करने, परिसाधित करने, पैक करने, लेबल लगाने, सम्मिश्रित करने या अन्यथा उपचारित करने की कोई प्रक्रिया या प्रक्रिया का भाग आता है किन्तु इसके अंतर्गत फुटकर कारबार के सामान्य अनुक्रम में किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ को पुनः पैक करना या खंडित करना नहीं आता है; और
  - (ख) नियम 13 में, उपनियम (७) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात :--
    - "(8) इन नियमों के अधीन रिजस्ट्रीकरण या रिजस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन का अनुसूची 5 के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट प्राधिकरी द्वारा ऐसे सम्पूरिन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटान किया जाएगा।
    - (9) अनुसूर्वी 5 के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट संबद्ध रिजस्ट्रीकरण प्राधिकारी रिजस्ट्री धारक को उसके द्वारा दी गई कारण बताओ सूचना की तामील की तारीख से साठ दिन के भीतर इन नियमों के अधीन अनुदत्त किसी रिजस्ट्रीकरण के रद्दकरण के मुद्दे का चिनिरचय करेगा।''।

[फा. सं. 16/1/96-ओसी] आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव टिप्पण:-

ओज़ोन अवसयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 मारत के राजपत्र असाधारण, भाग-(II), खंड-3, उपखंड-(ii) मैं अधिसूचना संख्या - का. आ. 670 (अ) तारीख 19 जुलाई, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थें और तत्पश्चात में अधिसूचना संख्या - का. आ. 1283 (अ) तारीख 31 दिसम्बर, 2001 द्वारा संशोधन किए गए I

# MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2003

S.O. 996(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sections 6,8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), made the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000 vide notification number S.O. 670(E) dated the 19<sup>th</sup> July, 2000;

And whereas the said rules have been amended vide notification number S.O.1283 (E), dated the 31st December, 2001;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said rules in compliance with certain recommendations of the Rajya Sabha Committee on Subordinate Legislation;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of Environment Protection Rules, 1986 provides that, notwithstanding anything contained in sub-rule (3), whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of Environment (Protection) Rules, 1986;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of Environment (Protection) Rules, 1986 for smending the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000, namely:-

- 1. (1) These rules may be falled the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2003.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000,-
- (a) in rule 2, in clause (h), in sub-clause (i), for the words "treating or any ozone depleting substance", the words "treating of any ozone depleting substance" shall be substituted;

- 4
- (b) in rule13, after sub-rule (7), the following sub-rules shall be inserted, namely:-
- "(8) Every application for registration or renewal of registration under these rules shall be disposed of within sixty days from the date of receipt of such complete application by the authority specified in column (4) of Schedule V.
- (9) The concerned registering authority specified in column (4) of Schedule V shall decide the issue of cancellation of any registration granted under these rules within sixty days from the date of service of the show cause notice given by him to the registration holder."

[F. No. 16/1/96-OC]

R. CHANDRAMOHAN, Jt. Secy.

Note: The Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000 were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O.670(E) dated the 19<sup>th</sup> July, 2000 and subsequently amended vide notification number S.O.1283 (E), dated the 31<sup>st</sup> December, 2001.

# Une Gazette of India

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 719]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 17, 2004/श्रावण 26, 1926

No. 719]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 17, 2004/SRAVANA 26, 1926

## पर्यावरण और वन मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2004

का.आ. 929(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. का.आ. 670(अ) तारीख 19 जुलाई, 2000 द्वारा ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 बनाए थे;

और आधार स्तर के कार्बन टैट्राक्लोराइड (सीटीसी) का 85 प्रतिशत उत्पादन और उपभोग (उदाहरणार्थ वर्ष 1998-2000 में इसके उत्पादन और उपभोग का औसत) गैर आहार स्टाक प्रयोजन के लिए मान्ट्रीयल प्रोटोकाल के अधीन लागू नियंत्रण उपायों के रूप में 1-1-2005 तक क्रमिक रूप से किया जाना है, और बहुपक्षीय निधि ने, भारत के लिए उक्त कार्बन टैट्राक्लोराइड परियोजना के लिए 52 मिलियन अमरीकी डालर उत्पादन और उपभोग करने वाली इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में मंजूर किए हैं;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रोटोकाल के निबन्धनों के अनुसार कार्बन टैट्राक्लोराइड के उपयोक्ताओं को, उक्त तारीख से पूर्व स्वयं को रिजस्ट्रीकृत कराने और ओजोन परत के संरक्षण के लिए बनाई गई निधियों का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात करना आवश्यक समझती है;

और हाइड्रो-क्लोरो-कार्बन (एचसीएफसी) उक्त प्रोटोकाल के निबन्धनों के अनुसार केवल वर्ष 2040 तक उपयोग किया जाना अपेक्षित है और भारत में प्रशीतन और विद्युतरोधी क्षेत्र में उनके उपयोग में तब तक वृद्धि की संभावना है, जब तक ऐसा हाइड्रो-क्लोरो-कार्बन के रजिस्ट्रीकरण की अवधि के विस्तार की आवश्यकता तक उनके समुचित अनुकल्प विकसित नहीं हो जाते हैं;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की अपक्षा से अभिमुक्ति देना लोक हित में हैं

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियनन और नियंत्रण) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2004 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 की अनुसूची 5 में, क्रम सं. 4 के सामने, स्तंभ 5 में विद्यनान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नत्तिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''परन्तु यह कि दोनों मामलों में, अनुसूची 1 के समूह 4 में, **सूचीबद्ध पदार्थ के संबंध में रजिट्रीकरण** की अन्तिम तारीख 31 दिसम्बर, 2004 या उससे पूर्व की होगी; और अनुसूची 1 के समूह 6 में सूची**बद्ध पदार्थ के** लिए 19 जुलाई, 2007 या उससे पूर्व की होगी।''

[फा. सं. 16/1/96-ओसी]

🔠 आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 670(अ) तारीख 19 जुलाई, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सं. का.आ. 1283(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 2001 और सं. का.आ. 996(अ) तारीख 27 अगस्त, 2003 द्वारा संशोधित किया गया।

# MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2004

S.O. 929(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by Sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), made the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000 vide notification number S.O. 670(E) dated the 19th July, 2000;

And whereas, 85 per cent production and consumption of carbon tetrachloride (CTC) of the base level (i.e. average of its production and consumption in the years 1998 to 2000) for non-feedstock purpose is to be phased out by 1-1-2005 as control measures applicable udner the Montreal Protocol and the Multilateral Fund has sanctioned US \$ 52 million for the said CTC project for India as financial assistance to the producing and consuming units;

And wheras, the Central Government considers it necessary to allow the CTC users to get themselves registered before the said date in terms of the above said Protocol and utilize the funds meant for protection of the ozone layer;

And whereas, hydro-chloro-fluoro carbons (HCFCs) are required to be phased out only by the year 2040 in terms of the said Protocol, and their use are likely to be increased in the area of refrigeration and insulation in India till suitable substitutes are developed, necessitating the extension of the period of registration for such HCFCs users;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) or rule 5 of Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Amendment Rules, 2004.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000, in Schedule-V, against serial number 4, in column (5), after the existing entries, the following shall be inserted, namely:—

"Provided that in both the cases, the last date for registration with regard to the substances listed in Group-IV of Schedule-I shall be on or before 31st December, 2004; and for the substances listed in Group-VI of Schedule-I shall be on or before 19th July, 2007."

[F. No. 16/1/96-OC]

R. K. VAISH, Jt. Secv.

Note:— The Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000 were published in the Gazette of India, vide number S.O. 670(E) dated the 19th July, 2000 and, subsequently amended vide number S.O. 1283(E) dated the 31st December, 2001 and S.O. 996(E) dated the 27th August, 2003.



असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ੰ. 1024] No. 1024] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 26, 2005/आश्विन 4, 1927 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 26, 2005/ASVINA 4, 1927

## पर्यावरण और वन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2005

का.आ. 1391(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 बनाए थे:

और आधार स्तर के कार्बन टैट्राक्लोराइड (सीटीसी) का 85 प्रतिशत उत्पादन और उपभोग (जिसके उत्पादन और उपभोग का औसत वर्ष 1998 से 2000 के दौरान क्रमश: 11553 ओडीपी टन और 11505 ओडीपी टन होता है) गैर-आहार स्टाक के प्रयोजन के लिए मान्ट्रीयल प्रोटोकोल के अधीन लागू नियंत्रण उपायों के रूप में 1-1-2005 तक क्रमिक रूप से किया जाना अपेक्षित है और इसका शत-प्रतिशत उत्पादन और उपभोग 1-1-2010 तक क्रमिक रूप से किया जाना है तथा इस प्रयोजन के लिए मान्ट्रीयल निधि ने भारत में उक्त कार्बन टैट्राक्लोराइड परियोजना के लिए 52 मिलियन अमरीकी डालर उत्पादन और उपभोग करने वाली इकाइयों के लिए वित्तीय महायता के रूप में मंजूर किए हैं;

और उक्त नियमों में, अनुसूची 1 के समूह 4 में सूचीबड़ पदार्थी (सीटीसी) के संबंध में 31 दिसम्बर, 2004 से पूर्व अभिहित प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकरण की अपक्षा की गई थी;

और यह देखा गया है कि 31 दिसम्बर, 2004 से पूर्व ऐसे रिजस्ट्रीकृत कार्बन टैट्राक्लोराइड उपयोकताओं की, जिनका कार्बन टैट्राक्लोराइड का वार्षिक उपयोग देश में कार्बन टैट्राक्लोराइड के आधार स्तर के उपभोग के संबंध में क्रमिक रूप से किए जाने के लिए अपेक्षित मात्रा से काफी कम था, संख्या कम है। इसको ध्यान

में रखते हुए, कार्बन टैट्राक्लोराइड का उपयोग करने वाले ऐसे उद्यमों का पता लगाने के लिए, जो उपरोक्त नियमों के अधीन अभिहित प्राधिकारी के पास रिजस्ट्रीकृत नहीं थे, पारस्परिक रूप से जांच-पड़ताल की गई थी। केन्द्रीय सरकार, 31 जुलाई, 2005 तक बड़ी संख्या में अरिजस्ट्रीकृत कार्बन टैट्राक्लोराइड उपयोक्ताओं की सूची अभिप्राप्त करने पर, यह आवश्यक समझती है कि इन शेप कार्बन टैट्राक्लोराइड उपयोक्ताओं को पूर्वोंक्त प्रोटोकोल के निबंधनानुसार अपने को रिजस्ट्रीकृत करने और ओजोन परत के संरक्षण के लिए आशियत निधियों का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात किया जाए और उस प्रयोजन के लिए, इन कार्बन टैट्राक्लोराइड उपयोक्ताओं के रिजस्ट्रीकरण के लिए समयाविध का विस्तार करना आवश्यक है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (ख) के अधीन सूचना की अपेक्षा को अभिमुक्त करना लोकहित में है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2005 है।
  - (2) ये गजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण)
   नियम, 2000 की अनुसूची 5 में, क्रम संख्या 4 के सामने स्तंभ (5)

में, ''31 दिसम्बर, 2004 या उससे पूर्व'' अंकों और शब्दों के स्थान पर ''31 दिसंबर, 2005 या उससे पूर्व'' अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

> [फा. सं. 16/1/96-ओं.सी.] एस. के. जोशी, संयुक्त सचिव

टिप्पण:— ओजोंन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000, भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 670(अ), तारीख 19 जुलाई, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सं. का.आ. 1283(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2001, सं. का.आ. 996(अ), तारीख 27 अगस्त, 2003 और का. आ. 929(अ), तारीख 16 अगस्त, 2004 द्वारा उन्हें संशोधित किया गया।

# MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2005

S.O. 1391(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by Sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), made the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000,

And whereas, 85 per cent production and consumption of carbon tetrachloride (CTC) of the base level (having an average of its production and consumption during the years 1998 to 2000 that comes to 11553 ODP tons and 11505 ODP tons respectively) for non-feedstock purpose which is required to be phased out by 1-1-2005 and 100 per cent of its production and consumption to be phased out by 1-1-2010, as centrel measures applicable under the Montreal Protocol and for this purpose the Multilateral Fund has sanctioned US \$52 million for the said CTC project in India as financial assistance to the producing and consuming units:

And whereas, the said rules required registration with the designated authority with regard to the substances (CTC) listed in Group IV of Schedule I before 31st December, 2004;

And whereas, it was noticed that the number of CTC users registered before 31st December, 2004, whose annual use of CTC was far below the quantity required to be phased out with respect to the base-level consumption of CTC in the country. In view of this, an interactive search was made to identify enterprises using

CTC which have not registered with the designated authority under the above said rules. On obtaining a list of significant number of unregistered CTC users by 31st July, 2005, the Central Government considered it necessary to allow these remaining CTC users to get themselves registered in terms of the above said Protocol and utilize the funds meant for protection of the ozone layer, and for that purpose it is necessary to extend the time period for registration of these CTC users;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sections 6,8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Amendment Rules, 2005
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000, in Schedule-V, against serial number 4, in column (5), for the words, figures and letters "on or before 31st December, 2004", the words, figures and letters "on or before 31st December, 2005" shall be substituted.

[F. No. 16/1/96-OC]

S. K. JOSHI, Jt. Secy.

Note:— The Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000 were published in the Gazette of India, vide number S.O. 670(E) dated the 19th July, 2000 and, subsequently amended vide numbers S.O. 1283(E) dated the 31st December, 2001, S.O. 996(E) dated the 27th August, 2003 and S.O. 929(E) dated 16th August, 2004.



#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1109] No. 1109]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2006/भाद्र 31, 1928 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2006/BHADRA 31, 1928

# पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2006

का.आ. 1585(अ).—निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिन्हें केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करना का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों की, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, साठ दिन के अवसान के पश्चात विचार किया जाएगा ;

आक्षेपों या सुझावों को, सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन सीजीओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003 को भेजा जा सकेगा ;

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो उक्त अविध के अवसान के पूर्व उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

# प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण संशोधन नियम, 2006 है।

- (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. ओजोन अवक्ष्यकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में,-
  - (i) खंड (ध) भें, "निर्यात की गई मात्रा" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्धात् :--

"और फीड स्टॉक पदार्थ के रूप में उपयोग की गई मात्रा, जिनका नगण्य उत्सर्जन सिहत, यदि कोई हो, अन्य रसायनों के विनिर्माण में समस्त रूप से उपयोग किया जाता है !;

(ii) खंड (ञ) में, "प्रोटोकाल" शब्द के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"और उसके संशोधन के पक्षकार"।

- 3. मूल नियम के नियम 3 में,-
  - (क) उपनियम (1) में, पहले परन्तुक में, "उस अनुसूची के स्तंभ (4)" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :--

"उन पदार्थों को अपवर्जित करते हुए, जिनका नगण्य उत्सर्जन सहित, यदि कोई हो, अन्य रसायनों के विनिर्माण में समस्त रूप से उपयोग किया जाता है";

- (ख) उपनियम (3) और उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :--
- "(3) कोई व्यक्ति, जिसने प्रोटोकाल के, जिसकी केन्द्रीय सरकार-
- (i) अनुसूची (4) में, समूह IV के रूप में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपभोग में आनुक्रमिक कमी करने के लिए पक्षकार है, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 10क के अनुसार बहुपक्षीय निधि से वित्तीय सहायता ली है, अनुसूची 1 के स्तंभ (4) के समूह I'और समूह III में विनिर्दिष्ट;
- (ii) अनुसूची 1 के स्तंभ (4) में, समूह IV के रूप में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपभोग में आनुक्रमिक कमी करने के लिए पक्षकार है, अनुसूची 2 के स्तंभ (4) के समूह IV में विनिर्दिष्ट;

(iii) अनुसूची 1 के स्तंभ (4) में, समूह I और समूह II के रूप में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपभोग में आनुक्रमिक कमी करने के लिए पक्षकार है, अनुसूची 3 के स्तंभ (4) के समूह I और समूह II में विनिर्दिष्ट,

आजोन अवक्षयकारी पदार्थ के उत्पादन और उपभोग को 1 अगस्त, 2000 से 1 जनवरी, 2010 तक प्रत्येक वर्ष में बहुपक्षीय नीति की कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित करार के अनुसार अनुसूची 3 के स्तंभ (6) में दिए गए प्रत्येक वर्ष के लिए स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट मात्राओं तक सीमित करेंगे, ।

- (4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट करार के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार गैर फीड स्टॉक उपयोग के लिए क्लोरोफ्लूरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा फीडस्टॉक उपयोजन के लिए सत्यापन प्रणाली के उत्पादन और उपभोग के लिए और अननुपालन के लिए कोटा प्रणाली जैसे ऐसे तरीकों सहित जो उक्त करारों में अधिकथित पारिणामिक शास्तियों के परिणामस्वरूप होंगे, कार्यान्वयन तरीके पुर स्थापित करेगी ।"
- 4. मूल नियम के नियम 5 में,-
  - (क) उपनियम (2) में. "अनुसूची 1 के स्तंभ (4) में दिए गए समूह 1 ओर समूह 3 के सिवाय" शब्दों, अक्षरों और संख्याओं का लोप किया जाएगा ;
  - (ख) उपनियम (3) का लोप किया जाएगा ।
- 5. मूल नियम के नियम 9 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
  - "(2क) इस नियम के नियम 1 और उपनियम (2) के उपबंध किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ को लागू होंगे जिनका नगण्य उत्सर्जन सिहत, यदि कोई हो, अन्य रसायनों के विनिर्माण में फीडस्टॉक के रूप में उपयोग करने के लिए विनिर्माण किया जाता है।"
- 6. मूल नियम के नियम 10 के उपनियम (10) में, "परन्तु ऐसे उत्पादों" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु कोई व्यक्ति अनुसूची 7 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट किसी उत्पाद का, जो केन्स्नी 1 के समूह । समूह ॥ और समूह ॥ में सूचीबद्ध ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों से बना है या उसमें अंतर्विष्ट है, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2006 के प्रारंभ की तारीख से आयात नहीं करेगा या आयात नहीं कराएगा :

परन्तु यह और कि ऐसे उत्पाद"।

- 7. मूल नियम के नियम 13 के उपनियम (6) और उपनियम (7) का लोप किया जाएगा।
- 8. मूल नियम की अनुसूची 1 में,-
  - (क) क्रम सं0 22 से संबंधित प्रविष्टियों के स्तंभ (3) में, "डाईक्लोरोडाईफ्लूरोमीथेन" शब्द के स्थान पर "क्लोरोडाईफ्लूरोमीथेन" शब्द रखा जाएगा ;
  - (ख) क्रम सं0 95 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित सं0 और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

क्र0सं0	ओजोन	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ	समृह	ओजोन
	अवक्षयकारी पदार्थ	का रासायनिक नाम		अवक्षयकारी
	का नाम			विभव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"96.	ब्रोमोक्लोरोमीथेन	सीएच2 बीआरसीएल	· IX	0.12"

- 9. मूल नियम की अनुसूची 2 में,-
  - (1) स्तंभ (4) में,-
    - (i) क्रम सं0 1(क) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "100" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
    - (ii) क्रम सं0 1(ख) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "50" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
    - (iii) क्रम सं0 2(क) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "15" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
    - (iv) क्रम सं0 3(क) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "100" प्रविष्टि रखी जाएगी :
    - (v) क्रम सं0 3(ख) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "70" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

- (vi) क्रम सं0 3(ग) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "30" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (vii) क्रम सं0 6(क) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "100" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (2) क्रम सं0 4(क) के सामने स्तंभ (7) में विद्यामन प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ;
- (3) क्रम सं0 5 के सामने स्तंभ (7) में विद्यामन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वह तारीख जब ये नियम प्रवृत्त होंगे ।";

(4) क्रम सं0 6 और उससे सबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

<b>화</b> 0	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के समूह का नाम	आधारिक स्तर से संबंधित वर्ष	संपूर्ण समृह के लिए परिकलित आधारिक स्तर की प्रतिशतता के रूप में बारह मास की किसी अवधि में अधिकतम अनुज्ञेय उत्पादन	संपूर्ण समृह के लिए आधारिक वर्षों के परिकलित उपभोग की प्रतिशतता के रूप में बारह मास की किसी अवधि में अधिकतम अनुझेय उपभोग	स्तंभ (4) और स्तंभ (5) से संबंधित तारीख	आजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादन की क्षमताओं के सृजन पर पाबंदी	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों से युक्त या उनसे बनाए गए उत्पादों के विनिर्माण की नई क्षमताओं के सृजन पर पाबंदी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"7.	IX	-	-	o**		वह तारीख जब ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2006 प्रवृत्त होंगे	वह तारीख जब ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2006 प्रवृत्त होंगे"

- 10. मूल नियम की अनुसूची 4 में, पहले पैरा की प्रविष्टियों के पश्चात्, "या अनुसूची 4 के स्तंभ
- (4) में दी गई है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो" शब्द, कोष्ठक और संख्यांक का लोप किया जाएगा ।

- 11. मूल नियम की अनुसूची 5 में,-
- (क) क्रम सं0 1 के सामने स्तंभ (5) में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

" फीडस्टॉक उपयोग के लिए अनुसूची 1 के समूह IV में सूचीबद्ध ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का उत्पादन करने वाले उद्यमों के तिवाय:

परन्तु अनुसूची 1 के स्तंभ (4) में समूह VI में सूचीबद्ध ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का उत्पादन करने वाले उद्यमों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2030 या उससे पूर्व होगी;

- (ख) क्रम सं0 2 के सामने स्तंभ (2) में, "10(2)" अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;
- (ग) क्रम सं**0 3 के सामने स्तंभ (5) में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत** स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"समूह I, समूह II, समूह III और समूह IV के अधीन सूचीबद्ध पदार्थ की दशा में, 31 दिसंबर, 2009 तक, समूह VI की दशा में, 31 दिसंबर, 2039 तक और समूह VIII की दशा में 31 दिसंबर, 2014 तक ;";

(घ) क्रम सं0 4 के सामने स्तंभ (5) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :--

"समूह I, समूह II और समूह III के अधीन सूचीबद्ध पदार्थों की दशा में, 31 दिसंबर, 2006 तक, समूह IV की दशा में, 31 दिसंबर, 2009 तक और समूह VI की दशा में 31 दिसंबर, 2030 तक";

- (ड) क्रम सं0 5 के सामने स्तंभ (5) में, विद्यमान प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ;
- (च) क्रम सं0 6 के सामने स्तंभ (5) में, विद्यमान प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ;
- 12. मूल नियम की अनुसूची VI में,-
- (1) भाग। में,-

(क) क्रम सं**0 1 और उससे संबंधित प्र**विष्टियों **के पश्चात् निम्नलिखि**त क्रम सं**0 और प्रविष्टि** अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"1क. अफगानिस्तान

1ख अलबेनिया

1ग. अंगोलां";

(ख) क्रम सं0 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"3क. अल्मीनिया";

(ग) क्रम सं0 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

**"**9क. भूटान";

(घ) क्रम सं0 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"16क. कंबोडिया";

(ङ) क्रम सं0 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"17क. केप वेर्डे";

(च) क्रम सं0 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"21क. कुक आइसलैंड";

- (छ) क्रम सं0 27 और उससे संबंधित प्रविष्ट के स्तंभ (2) के स्थान पर "कोट डी' आईवोर'' प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (ज) क्रम सं0 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"30क. डिजीबाउटी";

(झ) क्रम सं0 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"35क. एरिट्रिया";

(ञ) क्रम सं0 44 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"44क. गिनिया बिसाउ";

(ट) क्रम सं0 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"45क. हैती";

(ठ) क्रम सं0 53 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम् सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"53क. किरगिस्तान";

(ड) क्रम सं0 59 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"59क. लाइबेरिया्";

(ढ) क्रम सं0 65 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"65क. मारशल आइसलैंड";

- (ण) क्रम सं0 66 और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ;
- (त) क्रम सं0 69 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"69क. माइक्रोनेशिया (के परिसंघीय राज्य)";

- (थ) क्रम सं0 75 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--
- "75क. नोरू";
- (द) क्रम सं0 80 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात :--
- "80क. नीयू";
- (ध) क्रम सं0 81 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--
- "81क. पला**ऊं**";
- (न) क्रम सं0 88 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--
- **"88**क. खांडा ";
- (प) क्रम सं0 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
- "92क. साओ टोम एंड प्रिंसिपे";
- (फ) क्रम सं0 94 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--
- "94क. सर्बिया और मोटेनेग्रो";
- (ब) क्रम सं0 95 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--
- "95क. सियेरा लियोन";
- (भ) क्रम सं0 97 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(म) क्रम सं0 98 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"98क. सोमालिया";

(य) क्रम सं0 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"101क. सूरीनाम";

(यक) क्रम सं0 107 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"107क. टोंगा";

(यख) क्रम सं0 110 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"110क. तुर्कमेनिस्तान

110ख. तुवालू";

(यग) क्रम सं0 113 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"113क. वानुआदू";

(यघ) क्रम सं0 114 और विद्यमान प्रविष्ट के स्तंभ (2) के स्थान पर "वेनेजुएला (का बोलीवेरियन गणतंत्र)" रखा जाएगा ;

(यड) क्रम सं0 117 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

- (2) भाग ।। का लोप किया जाएगा ;
- (3) भाग ।।। में,-

- (क) क्रम सं0 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (ख) क्रम सं0 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (ग) क्रम सं0 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"27क. माल्टा";

(घ) क्रम सं0 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात :--

"36ग. स्लोवेनिया"; ।

- 13. मूल नियम की अनुसूची 9 के भाग 2 में,-
- (क) शीर्षक में, "नवीकरण" शब्द का लोप किया जाएगा ;
- (ख) पैरा 4 और पैरा 5 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 16/1/96-ओसी] आर. चन्द्र मोहन, संयुक्त सचिव

िष्पण —ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 भारत के असाधारण, राजपत्र में, का0आ0 सं0 670(अ), तारीख 19 जुलाई, 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् का0आ0 सं0 1283(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2001, का0आ0 सं0 996(अ), तारीख 27 अगस्त, 2003, का0आ0 सं0 929(अ), तारीख 16 अगस्त, 2004 और का0आ0 सं0 1391(अ), तारीख 26 सितंबर, 2005 द्वारा संशोधित किया गया ।

# MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2006

s.o. 1585(E).—The following draft rules which the Central Government proposes to notify in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of the sixty days from the date on which the Official Gazette in which the notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions may be forwarded to the Secretary to the Government of India, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi – 110003;

Objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the said period, will be taken into consideration by the Central Government.

#### **Draft Rules**

- 1. (1) These rules may be called the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Amendment Rules, 2006.
  - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In rule 2 of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules 2000, (hereinafter referred to as the principal rules),-
  - (i) in clause (d), after the words "the amount exported", the following shall be inserted, namely:-
    - "and the amount used as feedstock substance which is used entirely in the manufacture of other chamicals, with negligible emissions, if any";
  - (ii) in clause (j), after the words "the protocol", the following shall be inserted, namely:-
    - "and parties to the amendments thereof".
- 3. In rule 3 of the principal rules, -
  - (a) in sub-rule (1), in the first proviso, after the words "column (4) of that Schedule", the following shall be inserted, namely: -
    - "excluding the substances which is for the use of as feedstock in the manufacture of other chemicals, with negligible emissions, if any";
  - (b) for sub-rules (3) and (4), the following rules shall be substituted, namely : -
    - "(3) A person having received financial assistance from the Multilateral Fund in accordance with articles 10 and 10A of the Protocol to which the Central Government is a Party for gradual reduction of production and consumption of ozone depleting substances-
      - (i) specified as Group IV in column (4) of Schedule I shall limit the production of ozone depleting substance as specified in Group I and Group III in column (4) of Schedule I;
      - (ii) specified as Group IV in column (4) of Schedule I shall limit the production and consumption of ozone depleting substance specified in Group IV in column (4) of Schedule II;
      - (iii) specified as Group I and Group II in column (4) of Schedule I shall

limit the consumption of ozone depleting substance as specified as Group I and Group II in column (4) of Schedule III,

in each year from 1<sup>st</sup> August, 2000 to 1<sup>st</sup> January, 2010 to quantities specified in column (4) for each year given in column (6) of Schedule III as per the agreement approved by the Executive Committee of the Multilateral Fund.

- (4) In order to implement the agreement, referred to in sub-rule (3), the Central Government shall introduce implementation modalities, such as quota system for production and consumption of chlorofluorocarbons and carbon tetra chloride for non-feedstock use and verification system for feedstock application, and non-compliance with such modalities shall result in consequential penalties laid down in the said agreements."
- 4. In rule 5 of the principal rules, -
  - (a) in sub-rule (2), the words, letters and numbers "except Group I and Group III given in column (4) of Schedule I" shall be omitted;
  - (b) sub-rule (3) shall be omitted.
- 5. After sub-rule (2) of rule 9 of the principal rules, the following sub-rule shall be inserted, namely: -
  - "(2A) The provisions of sub-rules (1) and (2) of this rule shall not apply to any ozone depleting substance which is produced for the use of as feedstock in the manufacturing of other chemicals, with negligible emissions, if any."
- 6. In sub-rule (1) of rule 10 of the principal rules, for the words "Provided that such products", the following shall be substituted, namely :-

"Provided that no person shall import or cause to import any product specified in column (2) of Schedule VII which are made with or contain ozone depleting substances as listed in Group I, Group II and Group III in Schedule I from the date of commencement of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2006:

Provided further that such products".

- 7. In rule 13 of the principal rules, sub-rules (6) and (7) shall be omitted.
  - 8. In Schedule-I to the principal rules, -
    - (a) in column (3) of the entries relating to serial number 22, for the word "Dichlorodifluoromethane", the word "Chlorodifluoromethane" shall be substituted,

(b) after serial number 95 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

SI. No.	Name of Ozone Depleting Substance	Chemical Composition of Ozone Depleting Substance	Group	Ozone Depleting Potential
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"96.	Bromochloromethane	CH <sub>2</sub> BrCl	ΙX	0.12"

- 9. In Schedule-II to the principal rules, -
  - (1) in column (4),
    - (i) for the entry against serial number 1(a), the entry "100" shall be substituted;
    - (ii) for the entry against serial number 1(b), the entry "50" shall be substituted:
    - (iii) for the entry against serial number 2(a), the entry "15" shall be substituted:
    - (iv) for the entry against serial number 3(a), the entry "100" shall be substituted;
    - (v) for the entry against serial number 3(b), the entry "70" shall be substituted;
    - (vi) for the entry against serial number 3(c), the entry "30" shall be substituted;
    - (vii) for the entry against serial number 6(a), the entry "100" shall be substituted;
  - (2) in column number (7) against serial number 4(a), the existing entries shall be omitted;
  - (3) in column number (7) against serial number 5, for the existing entry, the following entries shall be inserted, namely:-

### "Date on which these rules come into force.";

(4) after serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

S. No.	Name of Group of Ozone Subs- tances	Year(s) relating to base level	Maximum allowable production in a period of twelve months as percentage of calculated base level for Group as a whole	period of twelve months as percentage of calculated consumption of	Date related to columns (4) and (5)	Ban on creating capacities for production of Ozone Depleting Substances	Ban of creating new capacities to manufacture products made with or containing Ozone Depleting Substances
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>"7.</b>	IX	-	_	0**	_	Date on which the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2006 shall come into force	which the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control)

- on schedule IV of the principal rules, after the entries in the first paragraph, the words, brackets, number and letters "or the date given in column (4) of Schedule IV whichever is earlier" shall be omitted.
- 11. In Schedule–V to the principal rules, -
  - (a) against serial number 1, in column (5), after the existing entries, the following shall be inserted, namely: -

"except for the enterprises producing ozone depleting substances listed in Group IV of Schedule I for feedstock use:

provided that the last date for registration of the enterprises producing ozone depleting substances listed in Group VI in column (4) of Schedule I shall be on or before the 31<sup>st</sup> December, 2030";

- (b) against serial number 2, in column (2), the figures and brackets "10 (2)" shall be omitted;
- (c) against serial number 3, in column (5), after the existing entries, the following shall be inserted, namely:-

"In case of substance listed under Group I, Group II, Group III and Group IV up to 31<sup>st</sup> December 2009, Group VI up to 31<sup>st</sup> December, 2039 and Group VIII up to 31<sup>st</sup> December 2014,";

(d) against serial number 4, in column (5), for the existing entries, the following shall be substituted, namely:-

"In case of substance listed under Group I, Group II and Group III up to 31<sup>st</sup> December 2006, Group IV up to 31<sup>st</sup> December 2009 and Group VI up to 31<sup>st</sup> December. 2030":

- (e) against serial number 5, in column (5), the existing entries shall be omitted;
- (f) against serial number 6, in column (5), the existing entries shall be omitted.
- 12. In Schedule VI of the principal rules, -
  - (1) in Part I. -
    - (a) after serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -
      - "1A. Afghanistan
        - 1B. Albania
        - 1C. Angola";
    - (b) after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

#### "3A. Armenia";

(c) after serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

# "9A. Bhutan";

(d) after serial number 16 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

### "16A. Cambodia";

(e) after serial number 17 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

# "17A. Cape Verde";

(f) after serial number 21 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

## "21A. Cook Islands";

- (g) against serial number 27, for the existing entry in column (2), the entry "Cote d'Ivoire" shall be substituted.
- (h) after serial number 30 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

# "30A. Djibouti";

(i) after serial number 35 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

#### "35A. Eritrea";

(i) after serial number 44 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

# "44A. Guinea Bissau";

(k) after serial number 45 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely : -

#### "45A. Haiti" :

(I) after serial number 53 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely : -

# "53A. Kyrgyzstan";

(m) after serial number 59 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

# "59A. Liberia";

(n) after serial number 65 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

# "65A. Marshall Islands";

- (o) serial number 66 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (p) after serial number 69 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

# "69A. Micronesia (Federated States of)";

(q) after serial number 75 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely : -

# "75A. Nauru":

(r) after serial number 80 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

#### "80A. Niue";

(s) after serial number 81 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely : -

#### "81A. Palau":

(t) after senial number 88 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely : -

# "88A. Rwanda";

(u) after serial number 92 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

#### "92A. Sao Tome and Principe";

(v) after serial number 94 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

## "94A. Serbia and Montenegro";

(w) after serial number 95 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

#### "95A. Sierra Leone";

- (x) serial number 97 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (y) after serial number 98 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

#### "98A. Somalia";

(z) after serial number 101 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

#### "101A, Suriname";

(za) after serial number 107 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

### "107A. Tonga";

(zb) after serial number 110 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

# "110A. Turkmenistan 110B. Tuvalu";

(zc) after serial number 113 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

# "113A. Vanuatu";

- (zd) against serial number 114, in column (2), for the existing entry, the entry "Venezuela (Bolivarian Republic of)" shall be substituted.
- (ze) serial number 117 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (2) Part II shall be omitted;

			. 15
(1)	(2)	(1) (2)	
ÇĞ.	<b>मा</b> ल्ला	uo. हर्वी	
67.	- <b>गरिशानिया</b>	· ·	
68.	्मारिशस	,	
69.	मैंक्सिको .	•	
70.	मोलडोंबा		
71.	मोनोलिया	114. बेनेजुएला	•
72.	भोरक्को	115. यमन 116. वियतनाम	
73.	मोज <u>ा</u> म्बिक		
74.	म्यामार	117. युगोस्लाविना	
<b>7</b> 5.	नामोविया <sup>.</sup>	118. जाम्बयः	
76.	नेपाल ,	119. जिम्बाबवे	
77.	<u> </u>	<u>भाग—2</u>	•
78.	ताइजर	भार्ताट्रयल प्रोटोकाल के अनुच्छेद 5 के पैरा 1 के अधीन अस	
79.	ओदन	रूप से कार्य करने वाले के रूप में वर्गीकृत पक्षकारों की सू	वा
se.	नाइजीरिया	(1) (2)	
81.	पाकिस्तान	1. अल्बानिया	
82.	पनामा	2. डजीयौटी	
83.	पसुआ न्यू गुआनिया 🙏	3. मिक्रोनेशिया परिसंघीय राज्य	
\$4.	प्रसम	4. लोब्रोया .	
85.	पेरू	s. मार्राल द्वीप समृह	
86.	फिलीपोन्स	6. सुर्रातम	
\$7.	क्तर .	7. टॉगा	
88.	रूपानिया	8. दुवालु	
8 <del>9</del> .	सेंट किट्स तथा नेविस	॰ डन्स् १. बानुआटु	
90.	सेंट लूसिया	<sup>3.</sup> चाुनाडु <b>भाग—</b> 3	
91.	सेंट विन्सेर एण्ड दी ग्रेनाडाइन्स	मानट्रियल प्रोटोकाल के अनुच्छेद 2 के अधीन वर्गीकृत पक्षक	जरों -
92.	सामोआ	की सूची	
93.	साउदी अरब		
94. V	- सेनेपल - राज्यान	(1) (2)	
95. 21	संरात्त्वस जिल्हाम	1 आस्ट्रेलिया	
96. 97.	सिनापुर सलोवनिया	2. आस्ट्रिया	
98.	सालागा सोलोमन दोप	3. अजरबाईजान 4. वेलारूस	
90	दक्षिण अफ्रीका	4. वतारूस 5. वेल्जियम	
100.	श्री लंका	6. बहनो दारू सालम	
101.	मुडान	7. बुल्गारिया	
102.	ऱ्वाजिलैण्ड	8. क्वाडा	
103.	सोरियन अरब गणराज्य	9. वैंक गणराज्य	
	तंजानिया संयुक्त गणराज्य	10. डेनपार्क	
104. 105.	तजाः नया संयुक्तः नगराज्यः भाइलॅण्ड	11. इक्विटोरियल गुजानिया	
		12. एस्टोनिया	
106.	भूतपूर्व मेसेडोनिया यूगोस्लाक गणराज्य टोगो	13. फिनलेण्ड	
107.		14. फ्रांस	
108.	तिनीदाद और टोबागो	15. जोर्जिया	
109. ·	ट्यृतोशिया	16. जर्मनी	

(1)	(2)		(1)	(2)
17.	ग्रीस		32.	पोलैंग्ड
18.	<b>हं</b> गरी		33.	<u> पुर्तगाल</u>
19.	आइसलैण्ड		34. •	रूसी परिसंघ
20.	आयरलेण्ड		35.	सलोव्यकिया
21.	इत्ररायल		36.	स्पेन
22.	<sub>र</sub> टली	·	37.	स्वीडन
23.	नापान	• .	38.	स्वोटजरतेण्ड
24.	लातवियः	•	39.	तजाकिस्तान
25.	लीचटेन्स्टीन		40.	तुकंमानिस्तान
26.	लिथुआनिया	•	41.	युक्तेन युक्तेन
27.	लक्जमवर्ग	•	•	
28.	भोनाको	•	42.	यूनाइटिड किंगडम
29.	नीदरलेण्डस		43.	यू. एस. ए. (संयुक्त राज्य अनरीका)
30.	न्यूजीलैण्ड	•	44.	उन्त्रेक्स्तान
31.	नार्चे		45.	यूरोपियन समुदाय

अनुसूची—7 [नियम 10 (1), (2) देखें]

आजोन अवक्षयकारी पदार्थों से युक्त उत्पादों के आयात और निर्यात का विनियमन

क्रम. सं. -		शोजोत अवक्षयकारी दार्यों के समृह का नाम	यह तारीख जिसको आयात का विनियमन प्रभावी होता है	षह वांग्रेख जिसको निर्यात का विनियमन प्रभावी होता है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1,	मोटर गाड़ी और ट्रक वातानुकूलन	समूह-।	इन नियमों के प्रवृत्त होने	इन नियमों के प्रवृत्त होने
	इकाइयां (चाहे वह यान में		के छह मास पश्चात्	के छह मास पश्चात्.
	सम्मिलित की गई हैं या नहीं)			
2.	घरेलू और वाणिष्यिक प्रशीतन औ	र समूह-।	— उपरोक्त—	उपरोक्त
÷	वातानुकूलन/ताप पंप उपस्कर	समूह-VI		•
	<b>उटाह्र</b> ण			
	— प्रशीतित			
	- हिर्मोकरण यंत्र			
	— निराद्रीकारक			
	-जल शोदल यंत्र			
	−हिम यंत्र			
	—वातानुकूलन और ताप पंप इका	इया		•
	— संपीडित्र			
١.	एअरोसाल उत्पाद सिवाए औपधीर	य समूह-।	— उपराक्त—	—उपग्रेक्त—
	एयरोपोल			
	मुवाह्य अग्निशमक यत्र/सिस्टम	समूह-॥	—उपराक्त—	—उपराक्त—
	सिलिण्डर			
	विद्युत रोधी पट्ट, प्रपट्ट और नलिब	न समूह-1	—उपराक्त—	—उपरोक्त
	आवरण			
	पृर्व-बहुलक	समूह-1	—उपरोक्त—	— उपरोक्तं—
		समूह-VI		

टिप्पण :-1. अनुक्रम 2, स्तम्भ 2 के डत्पादों में जिसमें उन उत्पादों के विद्युत रोधी पदार्थ भी अंतर्विष्ट हैं।

<sup>2.</sup> ऊपर उत्त्लिखित सभी उत्पाद यदि व्यक्तिगत या गृहस्थी के चीजवस्तु के लिए या ऐसी अवाणिण्यिक परिस्थितियों में, जिन्हें, सामान्यत: सीमा शुल्क से छूट प्राप्त हैं, परेषण में परिवहन किए जाते हैं। इस अनुसूची के कार्यक्षंत्र से प्रदर्शित है।

# The Gazette of India

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1132] No. 1132]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 18, 2007/भाद 27, 1929

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 18, 2007/BHADRA 27, 1929

# पर्यावरण और वन मंत्रालय अधिसुचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2007

का.आ. 1561(अ),-केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या का.आ. 670(अ), तारीख 19 जुलाई, 2000 द्वारा ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 बनाए थे:

प्रारूप ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2006, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिस्चना संख्या का.आ. 1585(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2006 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में उसी तारीखं को प्रकाशित किए गए थे जिसमें, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि के अवसान के पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 24 सितम्बर, 2006 को उपलब्ध करा दी गई थीं और उक्त संशोधन नियम उसी तारीख को ओजोनं सेल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दिए गए थे;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986, के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :---

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2007 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त
- 2. ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में.-
- (i) खंड (घ) में, "निर्यात की गई मात्रा" शब्दों के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थपित किया जाएगा, अर्थात् :---
  - "और फीड स्टॉक पदार्थ के रूप में उपयोग की गई मात्रा. जिनका नगण्य उत्सर्जन सहित, यदि कोई हो, अन्य रसायनों के विनिर्माण में समस्त रूप से उपयोग किया जाता है;
- (ii) खंड (अ) में, "प्रोटोकाल" शब्द के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :---
  - "और उसके संशोधन के पक्षकार"।
- 3. मूल नियम के नियम 3 में,---
- (क) उप-नियम (1) में, पहले परन्तुक में, ''उस अनुसूची के स्तंभ (4)'' शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :---
  - ''उन पदार्थों को अपवर्जित करते हुए, जिनका नगण्य उत्सर्जन सहित, यदि कोई हो, अन्य रसायनों के विनिर्माण में समस्त रूप से उपयोग किया जाता है'':
  - (ख) डपनियम (३) और उप-नियम (४) को स्थान पर

निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :---

- "(3) कोई व्यक्ति, जिसने प्रोटोकाल के, जिसकी केन्द्रीय सरकार—
- (i) अनुसूची 1 के स्तंभ (4) में, समूह IV के रूप में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपभोग में आनुक्रमिक कमी करने के लिए पक्षकार है, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 10क के अनुसार बहुपक्षीय निधि से विशीय सहायता ली है, अनुसूची III के स्तंभ (4) के रूप में विनिर्दिष्ट;
- (ii) अनुसूची 1 को स्तंभ (4) में, समूह IV को रूप में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों को उत्पादन और उपभोग में आनुक्रमिक कमी करने को लिए पक्षकार है, अनुसूची II को स्तंभ (4) में स्तंभ (5) को समृह IV में विनिर्दिष्ट ;
- (iii). अनुसूची 1 के स्तंभ (4) में, समूह I और समूह II के रूप में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपभोग में आनुक्रमिक कमी करने के लिए पक्षकार है, अनुसूची 3 के स्तंभ (5) के रूप में विनिर्दिष्ट,

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के उत्पादन और उपभोग को 1 अगस्त, 2000 से 1 जनवरी, 2010 तक प्रत्येक वर्ष में बहुपक्षीय नीति की कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित करार के अनुसार अनुसूची 3 के स्तंभ (6) में दिए गए प्रत्येक वर्ष के लिए स्तंभ (4) में विनिर्दिख मात्राओं तक सीमित करेंगे।

- (4) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट करार के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार गैर-फीडस्टॉक उपयोग के लिए क्लोरोफ्लूरोकार्बन और कार्बन टेझक्लोराइड तथा फीडस्टॉक उपयोजन के लिए सत्यापन प्रणाली के उत्पादन और उपयोग के लिए और अगनुपालन के लिए कोटा प्रणाली जैसे ऐसे तरीकों सहित जो उक्त करारों में अधिकथित पारिणामिक शास्तियों के परिणामस्वरूप होंगे, कार्यान्वयन तरीके पुरःस्थापित करेगी।"
  - 4. मूल नियम के नियम 5 में
- (का) उप-नियम (2) में,''अनुसूची 1 को स्तंभ (4) में दिए गढ़ अमूह 1 और समूह 3 को सिवाय'' शब्दों, अक्षरों और संख्याओं का लोग किया जाएगा;
  - (ख) डप-नियम (3) का लोप किया जाएया।
- 5. मूल नियम के नियम 9 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्निलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :---
- "(2क) इस नियम के उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के उपबंध किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ को लागू होंगे जिनका नगण्य उत्सर्जन सहित, यदि कोई हो, अन्य रसायनों के विनिर्माण में फीडस्टॉक के रूप में उपयोग करने के लिए जिनिर्माण किया जाता है;"
- 6. मूल नियम के नियम 10 को उप-नियम (1) में, "परन्तु पैके करपादों" शब्दों को स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

"परन्तु कोई व्यक्ति अनुसूची 7 के स्तंभ (2) में विनिर्दिख किसी उत्पाद का, जो अनुसूची 1 के समूह I, समृह II और समूह III में सूचीबद्ध ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों से बना है या उसमें अंतर्जिष्ट है, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2007 के प्रारंभ की तारीख से आयात नहीं करेगा या आयात नहीं कराएगा:

परन्तु यह और कि ऐसे उत्पाद''।

- गूल नियम के नियम 13 के उप-नियम (6) और उप-नियम
   का लोप किया जाएगा ।
  - 8. मूल नियम की अनुसूची 1 में,-
- (क) क्रम सं. 22 से संबंधित प्रविष्टियों के स्तंभ (3) में, ''डाईक्लोरोडाईफ्लूरोमीथेन (सीएच, सीएल,)'' शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर ''क्लोरोडाईफ्लूरोमीथेन (सीएचएफ, सीएल) शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (ख) क्रम सं. 95 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्निसिखत क्रम सं. और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्र. सं.	ओजीन अवक्षयकारी पदार्थ का नाम	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का रासायनिक नाम	समूह	ओजोन अवक्षयकारी विभव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"96	. ब्रोमोक्लोरोमीथेन	सीएव <sub>,</sub> बीआरसीएल	IX	0.12''

- 9. मूल नियम की अनुसूची 2 में ---
- (1) साम्भ 4 में ....
- (i) क्रम सं. 1(क) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "100" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (ii) क्रम रां. 1(ख) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "50" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (III) काग सं. 2(का) को सामने की प्रक्रिक्ट को स्थान पर "15" प्रक्रिक्ट रखी जाएगी:
- (iv) क्रम र्स. 3(क) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "100" प्रविष्टि रखी जाएगी:
- (v) इस्मानं एक्टिंग को सामने की प्रक्रिक्ट को स्थान पर
- (रहे) अल्च प्र ३८५० व स्वतने भी प्रविष्टि को स्थान पर "30" सुवार उत्तर राष्ट्रा;
- (vii) यात्र सं. 6(फ) को भामने की प्रविध्य के स्थान पर '':00'' प्रविध्य रखी चाएगी;
- (2) क्रम सं. 5 के सामने स्तंभ (7) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर कि रिक्रित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"'यह सारीख जब ये निवम प्रवृत्त होंगे ।";

(4) क्रम सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्निस्तित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :---

क्र. सं.	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के समूह का नाम	आधारिक स्तर से संबंधित वर्ष	संपूर्ण समृष्ठ के लिए परिकलित आपारिक स्तर की प्रतिशतता के रूप में बारङ मास की किसी अवधि में अधिकतम अनुदोय उत्पादन	संपूर्ण समूह के लिए आधारिक वर्षों के परिकलित उपभोग की प्रतिशतता के रूप में बारह मास की किसी अवधि में अधिकतम अनुज्ञेय उपभोग	स्तंभ (4) और स्तंभ (5) से संबंधित तारीख	ओजोन अवश्वयकारी पदार्थों के उत्पादन की क्षमताओं के सुजन पर पाबंदी	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों से युक्त या उनसे बनाए गए उत्पादों के विनिर्माण की नई क्षमताओं के सृजन पर पाबंदी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"7.	IX		en e	O**	_	वह तारीख जब ओजोन अवश्वयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2007 प्रवृत्त होंगे	वह तारीखा जब ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2007 प्रवृत्त होंगे!'

- 10. मूल नियम की अनुसूची 4 में, पहले पैरा की प्रविष्टियों के पश्चात्, ''या अनुसूची 4 के स्तंभ (4) में दी गई है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो'' शब्द, कोष्ठक और संख्यांक का लोग किया जाएगा।
  - 11. मूल नियम की अनुसूची 5 में,---
- (क) क्रम सं. 1 के सामने स्तंभ (5) में, विद्यान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :---
- "फीडस्टॉक उपयोग के लिए अनुसूची 1 के समूह IV में सूचीबद्ध ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का उत्पादन करने वाले उद्यमों के सिवाय:

परन्तु अनुसूची 1 के स्तंभ (4) में समूह VI में सूचीबद्ध ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का उत्पादन करने वाले उद्धमों के रिजस्ट्रीकरण के लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2030 या उससे पूर्व जोगी।";

- (ख) क्रम सं. 2 के सामने स्तंभ (2) में, ''10(2)'' अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;
- (ग) क्रम सं. 3 के सामने स्तंभ (5) में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
- "समूह I, समूह II, समूह III और समूह IV के अधीन सूचीबद्ध पदार्थ की दशा में, 31 दिसंबर, 2009 तक, समूह VI की दशा में, 31 दिसंबर, 2039 तक और समूह VIII की दशा में 31 दिसंबर, 2014 तक;";
- (घ) क्रम सं. 4 के सामने स्तंभ (5) में, विध्यान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

''समूह I, समूह II और समूह III के अधीन सूचीबद्ध पदाथों की दशा में, 31 दिसंबर, 2006 तक, समूह IV में पदार्थों की दशा में, 31 दिसंबर, 2009 तक और समूह VI की दशा में 31 दिसंबर, 2030 तक';

- (ङ) क्रम सं. 5 के सामने स्तंभ (5) में, विद्यमान प्रविष्टियों का लीप किया जाएगा ;
- (च) क्रम सं 6 के सामने स्तंभ (5) में, विद्यमान प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
  - 12. मूल नियम की अनुसूची VI में,---
  - (1) भाग I में,---
- (क) क्रम सं 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
  - ''।क. अफगानिस्तान
  - 1ख. अलबेनिया
  - 1ग. अंगोला'':
- (ख) क्रम सं 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—
  - ''3क. अमीनिया'';
- (ग) क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—
  - "9क. भूटान";
- (घ) क्रम सं. 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :---
  - ''16क. कंबोडिया'';
- (ङ) क्रम सं. 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
  - ''17क. क्रेप वेर्डें'':

(च) क्रम सं. 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्निलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :---

''21क. कुक आइसलैंड'';

- (छ) क्रम सं. 27 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्तंभ (2) को स्थान पर ''कोट डी' आईवोर'' प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (ज) क्रम सं. 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के प्रश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"**30क. डिजीबा**उटी";.

(इ) क्रम सं. 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

**''35क. एरिट्रिया''**;

(अ) क्रम सं. 44 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"44क. गिनिया विसाउ":

(ट) क्रम सं. 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः—

"45क. हैती'':

(ठ) क्रम सं. 53 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''53क. किरगिस्तान'';

(ड) क्रम सं. 59 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''59क. लाइबेरिया'';

(ढ) क्रम सं. 65 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्निलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

''65क. मारशल आइसलैंड'';

- (ण) क्रम सं. 66 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (त) क्रम सं. 69 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"69क. माइक्रोनेशिया (के परिसंघीय राज्य)";

(थ) क्रम सं. 75 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"75क. नोरू";

(द) क्रम सं. 80 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:- "80क. नीयू";

(ध) क्रम सं. 81 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''81क. पलाऊ'';

(न) क्रम सं. 88 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्निलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''88क. रवांद्या'';

 (प) क्रम सं. 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्निलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

"92क. साओ टोम और प्रिंसिपे";

(फ) क्रम सं. 94 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''94क. सर्बिया और मोटेनेग्रो'';

(ब) क्रम सं. 95 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नितिखत क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''95क. सियेरा लियोन'';

- (भ) क्रम सं. 97 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (म) क्रम सं. 98 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''98क. सोमालिया'';

(य) क्रम सं. 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्निलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

''101क. सूरीनाम'';

(यक) क्रम सं. 107 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्निलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''107क. टोंगा'';

(यख) क्रम सं. 110 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चांत् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

. ''110**क**. तुर्कमेनिस्तान'';

110ख. तुवालु'';

(यग) क्रम सं. 113 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''113क. वानुआटू'';

(यघ) क्रम सं. 114 और विद्यमान प्रविष्ट के स्तंभ (2) के स्थान पर ''वेनेजुएला (का बोलीवेरियन गणतंत्र)'' रखा जाएगा ;

(यड.) क्रम सं. 117 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप

किया जाएगा;

- (2) भाग II का लोप किया जाएगा ;
- (3) भाग III में,---
- (क) क्रम सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा :
- (ख) क्रम सं. 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (ग) क्रम सं. 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"27क. माल्या";

(घ) क्रम सं. 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—-

''36ग. स्लोवेनिया'';

- 13. मूल नियम की अनुसूची 9 के भाग 2 में,---
- (क) शीर्षक में, "नवीकरण" शब्द का लोप किया जाएगा ;
- (ख) पैरा 4 और पैरा 5 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 16/1/96-ओसी]

डा. बी. पी. नीलरत्न, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 भारत के असाधारण राजपत्र में, का. आ. सं. 670(अ), तारीख 19 जुलाई, 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् का. आ. सं. 1283(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2001, का. आ. सं. 996(अ), तारीख 27 अगस्त, 2003, का. आ. सं. 929(अ), तारीख 16 अगस्त, 2004 और का. आ. सं. 1391(अ), तारीख 26 सितंबर, 2005 द्वारा संशोधित किया गया।

# MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2007

S.O. 1561 (E).—whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by Sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), made the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000 vide Notification Number S.O. 670(E) dated the 19th July, 2000;

Whereas the draft Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2006 were published, under the Notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1585(E), dated the 22nd September, 2006, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the same date, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette Notification were made available to the public on the 24th September, 2006 and the said amendment rules were also placed in the website of Ozone Cell on the same day;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sections 6. 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with Sub-rule (4) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following Rules further to amend the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Amendment Rules, 2007.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In Rule 2 of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules 2000, (hereinafter referred to as the principal Rules),—
  - (i) in clause (d), after the words "the amount exported", the following shall be inserted, namely:—
     "and the amount used as feedstock substance which is used entirely in the manufacture of other chemicals, with negligible emissions, if any";
  - (ii) in clause (j), after the words "the protocol", the following shall be inserted, namely:—
    - "and parties to the amendments thereof".

with negligible emissions, if any";

- 3. In rule 3 of the principal rules,---
  - (a) in sub-rule (1), in the first proviso, after the words "column (4) of that Schedule", the following shall be inserted, namely:—
    "excluding the substances which is for the use of as feedstock in the manufacture of other chemicals,
  - (b) for sub-rules (3) and (4), the following rules shall be substituted, namely:—
    - "(3) A person having received financial assistance from the Multilateral Fund in accordance with articles 10 and 10A of the Protocol to which the Central Government is a party for gradual reduction of production and consumption of ozone depleting substances—
  - (i) specified as Group I and Group III in column (4) of Schedule 1 shall, limit the production of ozone depleting substance as specified in column (4) of Schedule III;
  - (ii) specified as Group IV in column (4) of Schedule I shall limit the production and consumption of ozone depleting substance specified in columns (4) and (5) of Schedule II;
  - (iii) specified as Group I and Group II in column (4) of Schedule I shall limit the consumption of ozone depleting substance as specified in column (5) of Schedule III, in each year from 1st August, 2000 to 1st January, 2010 to quantities specified in column (4) for each year given in column (6) of Schedule III as per the agreement approved by the Executive

Committee of the Multilateral Fund.

- (4) In order to implement the agreement, referred to in sub-rule (3), the Central Government shall introduce implementation modalities, such as quota system for production and consumption of chlorofluorocarbons and carbon tetrachloride for non-feedstock use and verification system for feedstock application, and non-compliance with such modalities shall result in consequential penalties laid down in the said agreements."
  - 4. In rule 5 of the principal rules,—
  - (a) in sub-rule (2), the words, letters and numbers "except Group I and Group III given in column (4) of Schedule I" shall be omitted;
  - (b) Sub-rule (3) shall be omitted.
- 5. After Sub-rule (2) of rule 9 of the principal rules, the following Sub-rule shall be inserted, namely:—
  - "(2A) The provisions of sub-rules (1) and (2) of this rule shall not apply to any ozone depleting substance which is produced for the use of as feedstock in the manufacturing of other chemicals, with negligible emissions, if any.",
- 6. In Sub-rule (1) of rule 10 of the principal rules, for the words "Provided that such products", the following shall be substituted, namely:—

"Provided that no person shall import or cause to import any product specified in column (2) of Schedule VII which are made with or contain ozone depleting substances as listed in Group I, Group II and Group III in Schedule I from the date of commencement of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2007:

Provided further that such products".

- 7. In rule 13 of the principal rules, Sub-rules (6) and (7) shall be omitted.
  - 8. In Schedule-I to the principal rules,—
  - (a) in column (3) of the entries relating to serial number 22, for the word, letters and figures "Dichlorodifluoromethane(CHF<sub>2</sub>CI<sub>2</sub>)", the word,

- letters and figures "Chlorodifluoromethane (CHF,CI)" shall be substituted;
- (b) after serial number 95 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

SL No.	Name of Ozone Depleting Substance	Chemical Composition of Ozone Depleting Substance	Group	Ozone Depleting Potential
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"96.	Bromochloro- methane	CH <sub>2</sub> BrCl	IX.	0.12".

- 9. In Schedule-II to the principal rules, -
- (1) in column (4),—
- (i) for the entry against serial number 1(a), the entry "100" shall be substituted;
- (ii) for the entry against serial number 1 (b), the entry "50" shall be substituted;
- (iii) for the entry against serial number 2(a), the entry "15" shall be substituted;
- (iv) for the entry against serial number 3(a), the entry . "100" shall be substituted;
- (v) for the entry against serial number 3(b), the entry "70" shall be substituted;
- (vi) for the entry against serial number 3(c), the entry "30" shall be substituted;
- (vii) for the entry against serial number 6(a), the entry "100" shall be substituted;
- (2) in column number (7) against serial number 5, for the existing entry, the following entries shall be inserted, namely:—
  - "Date on which these rules come into force.";
- (3) after serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

Sl. No.	Name of Group of Ozone Subs- tances	Year(s) relating to base level	Maximum allowable production in a period of twelve months as percentage of calculated base level for Group as a whole	Maximum allowable consumption in a period of twelve months as percentage of calculated consumption of base years for Group as a whole	Date related to columns (4) and (5)	Ban on creating capacities for production of Ozone Depleting Substances	Ban of creating new capacities to manufacture products made with or containing Ozone Depleting Substances
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"7.	IX			0**		Date on which the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2007 came into force.	Date on which the Ozone Depleting S u b s t a n c e s (Regulation and Control) Amendment Rules, 2007 came into force."

- 10. In Schedule IV of the principal Rules, after the entries in the first paragraph, the words, brackets, number and letters "or the date given in column (4) of Schedule IV whichever is earlier" shall be omitted.
  - 11. In Schedule-V to the principal rules,—
  - (a) against serial number 1, in column (5), after the existing entries, the following shall be inserted, namely:—
    - "except for the enterprises producing ozone depleting substances listed in Group IV of Schedule I for feedstock use:
    - provided that the last date for registration of the enterprises producing ozone depleting substances listed in Group VI in column (4) of Schedule I shall be on or before the 31st December, 2030.";
  - (b) against serial number 2, in column (2), the figures and brackets "10 (2)" shall be omitted;
  - (c) against serial number 3, in column (5), after the existing entries, the following shall be inserted, namely:—
    - "In case of substance listed under Group I, Group II, Group III and Group IV up to 31st December 2009, in case of substances in Group VI up to 31st December, 2039 and in case of substances in Group VIII up to 31st December 2014,";
  - (d) against serial number 4, in column (5), for the existing entries, the following shall be substituted, namely:— "In case of substance listed under Group I, Group II and Group III up to 31st December 2006, in cass of substances in Group IV up to 31st December 2009 and Group VI up to 31st December, 2030";
  - (e) against serial number 5, in column (5), the existing entries shall be omitted;
  - (f) against serial number 6, in column (5), the existing entries shall be omitted.
    - 12. In Schedule VI of the principal rules, -
  - (1) in Part I.—
  - (a) after serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—
    - "1A. Afghanistan
    - 1 B. Albania
    - 1 C. Angola";
  - (b) after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
    - "3A. Armenia";
  - (c) after serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
    - "9A. Bhutan";

(d) after serial number 16 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

"16A. Cambodia":

- (e) after serial number 17 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
  - "17A. Cape Verde";
- (f) after serial number 21 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely —
  - "21A. Cook Islands";
- (g) against serial number 27, for the existing entry in column (2), the entry "Cote d'ivoire" shall be substituted.
- (h) after serial number 30 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
  - "30A. Djibouti";
- (i) after serial number 35 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
  - "35A. Eritrea";
- (j) after serial number 44 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
  - "44A. Guinea Bissau";
- (k) after serial number 45 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
  - "45A. Haiti";
- (1) after serial number 53 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
  - "53A. Kyrgyzstan";
- (m) after serial number 59 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
  - "59A. Liberia";
- (n) after serial number 65 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
  - "65A. Marshall Islands";
- (o) serial number 66 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (p) after serial number 69 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
  - "69A. Micronesia (Federated States of)";

- (q) after serial number 75 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:— "75A. Nauru":
- (r) after serial number 80 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:— "80A. Niue":
- (s) after serial number 81 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
  "81A. Palau":
- (t) after serial number 88 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:— "88A. Rwanda";
- (u) after serial number 92 and the entries relating, thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
  - "92A. Sao Tome and Principe";
- (v) after serial number 94 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
  - "94A. Serbia and Montenegro";
- (w) after serial number 95 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
  - "95A. Sierra Leone";
- (x) serial number 97 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (y) after serial number 98 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:— "98A. Somalia":
- (z) after serial number 101 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
  - "101A. Suriname";
- (za) after serial number 107 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:— "107A. Tonga";

- (zb) after serial number 110 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—
  - "110A. Turkmenistan 110B. Tuvalu";
- (zc) after serial number 113 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
  - "113A. Vanuatu";
- (zd) against serial number 114, in column (2), for the existing entry, the entry "Venezuela (Bolivarian Republic of)" shall be substituted.
- (ze) serial number 117 and the entries relating thereto shall be omitted;
  - (2) Part II shall be omitted;
  - (3) in Part III, -
- (a) serial number 6 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (b) serial number 15 and the entries relating thereto shall be omitted:
- (c) after serial number 27 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
  - "27 A. Malta";
- (d) after serial number 36 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
  - "36C. Slovenia".
  - 13. In Schedule IX of the principal rules, in Part II,—
- (a) in the heading, the word "renewal" shall be omitted;
- (b) paragraphs 4 and 5 shall be omitted.

[F. No. 16/1/96-OC]

Dr. B. P. NILARATNA, Jt. Secy.

Note: The Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000 were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 670(E), dated the 19th July, 2000 and, subsequently amended vide numbers S.O. 1283(E), dated the 31st December, 2001; S.O. 996(E), dated the 27th August, 2003; S.O. 929(E), dated 16th August, 2004 and S.O. 1391 (E), dated the 26th September, 2005.

# The Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014



#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 847] No. 847] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 4, 2014/चैत्र 14, 1936 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 4, 2014/CHAITRA 14, 1936

#### पर्यावरण और वन मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2014

का.आ.1033(अ)-- केंद्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 670(अ), तारीख 19 जुलाई, 2000 द्वारा ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 बनाए हैं ;

और, प्रारूप ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2013, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1353(अ), तारीख 23 मई, 2013 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किए गए थे ;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी तथा उक्त संशोधन नियम को ओजोन सेल की वेबसाइट पर भी रखा गया था ;

और, केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार किया गया है :

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 है।
- (2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) नियम, 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में खंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :--

(1)

1541 GI/2014

- '(ड) ''प्रोटोकॉल'' से ऐसे पदार्थों पर, जो ओजोन परत का अवक्षयण करते हैं, उन पर 16 सितम्बर, 1987 को अंगीकृत, समय-समय पर यथासंशोधित, मॉन्ट्रीयल प्रोटोकाल अभिप्रेत है ।'।
- 3. उक्त नियमों के नियम 3 में,--
  - (क) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात :--
  - "(2) अनुसूची 1 के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपभोग को, सिवाय समूह VI के, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 के लागू होने की तारीख से, सभी अनुप्रयोगों के लिए, जिसके अंतर्गत वे पदार्थ नहीं हैं जिनका उपयोग अन्य रसायनों के निर्माण में फीडस्टॉक के रूप में होता है जिनका उत्सर्जन नगण्य है, यदि कोई है, प्रतिषिद्ध कर दिया गया है ।
  - (2क) अनुसूची 1 के स्तंभ (4) में समूह VIII में विनिर्दिष्ट पदार्थों के उत्पादन और उपभोग को, सिवाय करंतीन और लदाई पूर्व अनुप्रयोगों के ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 के लागू होने की तारीख से प्रतिषिद्ध कर दिया गया है ;
  - (2ख) कोई भी व्यक्ति ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 के लागू होने की तारीख से 1 जनवरी, 2040 तक अनुसूची 2 के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट आधार रेखा की तत्स्थानी प्रतिशतता से अधिक अनुसूची 1 के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट समूह VI में ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का उत्पादन या उनका उत्पादन करना कारित नहीं करेगा और भारत में ऐसे पदार्थों का उपभोग आधार वर्ष में संगणित उपभोग का स्तर उस अनुसूची के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगा ;
  - (२ग) समूह VI पदार्थों के उत्पादक गैरफीडबैक अनुप्रयोगों के लिए एचसीएफसी 22 की संपूर्ण घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए घरेलू बाजार में ओजोन कक्ष, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी कोटा आदेशों से अधिक आपूर्ति नहीं करेंगे । केन्द्रीय सरकार, एचसीएफसी 22 के घरेलू उत्पादन में कमी की दशा में, एचसीएफसी 22 का बाजार अपेक्षाओं के अनुसार और वास्तविक उपयोगकर्ता शर्तों के अधीन रहते हुए, उपभोग नियंत्रण मात्रा के भीतर आयात अनुज्ञात करेगी ।''।
- (ख) उपनियम (3) के खंड (iii) में, ''समूह I और समूह II के रूप में विनिर्दिष्ट'' शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अक्षर रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"समूह I और समूह III के रूप में विनिर्दिष्ट ";

- (ग) उपनियम (3) में खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
- "(iv) अनुसूची 1 के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट समूह VI ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख से बहुपक्षीय निधि की कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित करार के अनुसार अनुसूची 2 के स्तंभ (6) में दिए गए वर्षों के लिए स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट आधार रेखा की तत्स्थानी प्रतिशतता तक अनुसूची 2 के क्रमशः स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादन को सीमित रखेगी।"।
- (घ) उपनियम (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--
- "(4) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (2) और उपनियम (3) में निर्दिष्ट मॉन्ट्रीयल प्रोटोकाल अनुसूची के अनुसार ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के उत्पादन और उपभोग के फेज आउट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, गैर फीड स्टॉक अनुप्रयोगों के लिए समूह VI पदार्थों के उत्पादन और उपभोग के लिए कोटा प्रणाली और कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग सिहत सभी फीड स्टॉक अनुप्रयोगों के लिए मानीटरी और रिपोर्टिंग प्रणाली जैसी पद्धतियों को लागू करेगी ।"।
- 4. उक्त नियमों के नियम 5 में,--
  - (क) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--
  - "(1) कोई व्यक्ति किसी देश को, जो अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट नहीं है, किन्हीं ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों, जिसके अंतर्गत ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का संमिश्र और संमिश्रण का आयात नहीं करेगा या आयात करना कारित नहीं करेगा या निर्यात नहीं करेगा या निर्यात करना कारित नहीं करेगा, जब तक वह अनुसूची 5 के स्तंभ (4) में निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं है और उस प्राधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त नहीं कर लेता है।";

(ख) उपनियम (2) में "अनुसूची 2 के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :--

"अनुसूची 2 और अनुसूची 3 के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगा । ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख से अनुसूची 1 के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट समूह VI पदार्थों सहित समूह I, समूह II, समूह III, समूह IV और ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों को अंतर्विष्ट करने वाले संमिश्रों के निर्यात और आयात के लिए सिवाय पुनः प्राप्त किए गए, रिसाइकिल किए गए और उद्धृत ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों या अनिवार्य उपयोग नामनिर्देशन (ईयूएन), यदि कोई है, या विनाश या फीडस्टॉक अनुप्रयोगों के ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना प्रतिषद्ध है ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख से 1 जनवरी, 2040 तक समूह VI में एचसीएफसी - 22 के निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति उत्पादन और घरेलू आपूर्ति के परिमाण के बीच अंतर तक अनुज्ञात की जाएगी ।";

(ग) उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(2क) अनुसूची 1 के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट समूह VI पदार्थों को अंतर्विष्ट करने वाले पूर्व संमिश्र पोलियोलों के आयात के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने का ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख से प्रतिषेध है ।"।

5. उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (5) में, "अनुसूची 2 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"और अनुसूची 3";

6. उक्त नियमों के नियम 9 के उपनियम (3) में "अनुसूची 2 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"और अनुसूची 3";

- 7. उक्त नियमों के नियम 10 के उपनियम (1) के पश्चात्, निम्निलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "(1क) वातानुकूलन और रेफ्रीजरेशन उपस्करों और समूह VI पदार्थों को अंतर्विष्ट करने वाले अन्य उत्पादों का आयात 1 जुलाई, 2015 से प्रतिषिद्ध कर दिया गया है।"।
- 8. उक्त नियमों के नियम 14 के उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
- "(1क) प्रत्येक व्यक्ति, जो अन्य रसायनों के उत्पादन में नगण्य उत्सर्जन, यदि कोई है, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का फीडस्टॉक के साथ उपयोग करता है, अनुसूची 10 के भाग 1 में विनिर्दिष्ट रीति में अभिलेखों को रखेगा और रिपोर्टों को फाइल करेगा।"।
- 9. उक्त नियमों के नियम 15 के उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:--
- "(1) इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई बात, अनुसूची 8 में विनिर्दिष्ट अनुप्रयोगों या परिस्थितियों को, रिपोर्ट करने और मानीटर करने के सिवाय, लागू नहीं होगी ।"।
- 10. उक्त नियमों की अनुसूची 2 में क्रम सं. 4(क) और 4(ख) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

क्रम सं.	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के समूह का नाम	आधारी स्तर* से संबद्ध वर्ष	संपूर्ण रूप में समूह के लिए आधारी स्तर के रूप में संगणित प्रतिशतता के रूप में बारह मास की अवधि में अधिकतम अनुज्ञेय उत्पादन	संपूर्ण रूप में समूह के लिए आधारी स्तर के रूप में संगणित प्रतिशतता के रूप में बारह मास की अवधि में अधिकतम अनुज्ञेय उपभोग	स्तंभ (4) और स्तंभ (5) से संबद्ध तारीख	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादन के लिए सक्षमताओं के सृजन पर रोक	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के साथ या उसको अंतर्विष्ट करते हुए उत्पादों के विनिर्माण के लिए नई सक्षमताओं के सृजन पर रोक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"4(ক)	VI	2009-2010	100	100	1.1.2013	19.07.2000	वह तारीख, जिसको ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 प्रवृत्त हुए

(ख)	VI	2009-2010	90	90	1.1.2015	19.07.2000	वह तारीख, जिसको ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 प्रवृत्त हुए
(ग)	VI	2009-2010	65	65	1.1.2020	19.07.2000	वह तारीख, जिसको ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 प्रवृत्त हुए
(ਬ)	VI	2009-2010	32.5	32.5	1.1.2025	19.07.2000	वह तारीख, जिसको ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 प्रवृत्त हुए
(ঙ্)	VI	2009-2010	2.5	2.5	1.1.2030	19.07.2000	वह तारीख, जिसको ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 प्रवृत्त हुए
(च)	VI	2009-2010	0	0	1.1.2040	19.07.2000	वह तारीख, जिसको ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 प्रवृत्त हुए ।''।

11. उक्त नियमों की अनुसूची 4 में,--

(क) स्तंभ (4) में विद्यमान शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्रावस्थाबद्ध रीति से हटाने की तारीख ";

(ख) क्रम सं. 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

क्रम सं.	क्रियाकलापों का नाम	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के समूह का नाम	प्रावस्थाबद्ध रीति से हटाने की तारीख
···		ויין יוין יוין יוין יוין יוין יוין	6011 471 WING
(1)	(2)	(3)	(4)
"10.	(क) घरेलू रेफ्रिजरेटरों का विनिर्माण	समूह VI	1.1.2015
	(ख) सतत् सैंडविच पैनलों का विनिर्माण	समूह VI	1.1.2015
	(ग) पूर्व ब्लैंडिकृत पोलिओलों का विनिर्माण	समूह VI	1.1.2022
	(घ) जारी न रखे गए सैंडविच पैनलों सहित सभी अन्य फेन उत्पादों का विनिर्माण	समूह VI	1.1.2020
	(ङ) वातानुकूलकों का विनिर्माण	समूह VI	1.1.2025
	(च) अन्य रेफ्रिजरेटरों वातानुकूलक उत्पादों (जिसके अंतर्गत संपीड़क नहीं हैं) का विनिर्माण	समूह VI	1.1.2025
	(छ) अग्निशमक और अग्निशमक प्रणालियों का विनिर्माण	समूह VI	1.1.2025
	(ज) सभी अन्य उपस्करों या उत्पादों का विनिर्माण	समूह VI	1.1.2025
	(झ) रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलक उपस्कर या उत्पादों की मरम्मत	समूह VI	1.1.2040
	(ञ) अग्निशमक और अग्निशमक प्रणालियों की मरम्मत	समूह VI	1.1.2040  ''

<sup>(</sup>ग) तारांकित (\*) से चिह्नांकित टिप्पण का लोप किया जाएगा ।

#### 12. उक्त नियमों की अनुसूची 5 में,--

(क) क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

क्रम	नियम	कार्य	प्राधिकारी का	रजिस्ट्रीकरण की अंतिम तारीख	अपीलीय
सं.	सं.		नाम		प्राधिकारी का
					नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3.	6(1)	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के व्यापारियों/ डीलरों/थोक विक्रेताओं/ विक्रेताओं का रजिस्ट्रीकरण	में उप सचिव	2009 तक, समूह VI में पदार्थी	सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय ।"।

(ख) क्रम सं. 6 के पश्चात, अंत में निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात :--

क्रम सं.	नियम सं.	कार्य	प्राधिकारी का नाम	रजिस्ट्रीकरण की अंतिम तारीख	अपीलीय प्राधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"7.	5. (1)	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के निर्यातकों या आयातकों का रजिस्ट्रीकरण	पर्यावरण और वन मंत्रालय में उप सचिव की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी	31 दिसम्बर, 2029	सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय ।''।

#### 13. उक्त नियमों की अनुसूची 6 में,--

- (1) भाग 1 में,--
- (क) क्रम सं. 10 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--
  - "10. बोल्विया बहुराष्ट्रीय राज्य";
- (ख) क्रम सं. 25 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--
  - "25. कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य";
  - (ग) क्रम सं. 30 और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ;
- (घ) क्रम सं. 35क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--
  - "35ख. भूमध्यीय गुआना";
- (ङ) क्रम सं. 49 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--
  - "49क. इराक";
- (च) क्रम सं. 54 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--
  - "54. लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य कोरिया";

(छ) क्रम सं. 55 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :--

"55. कोरिया गणराज्य";

(ज) क्रम सं. 60 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :--

"60. लीबिया";

(झ) क्रम सं. 70 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :--

"70. मोलडोवा गणराज्य";

(ञ) क्रम सं. 71 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:—

"71क. मोन्टेनिग्रो":

- (ट) क्रम सं. 88 और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ;
- (ठ) क्रम सं. 94क और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :--

"94क. सर्बिया";

(ड) क्रम सं. 99 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्निलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"99क. दक्षिणी सूडान";

(ढ) क्रम सं. 104 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :--

"104. संयुक्त गणराज्य तंजानिया";

(ण) क्रम सं. 106 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"106क. तिमोर - लेस्ते";

- (2) भाग 3 में,--
- (क) क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात :--

"१क. अंडोरा";

(ख) क्रम सं. 8 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"८क. साइप्रस";

- (ग) क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ;
- (घ) क्रम सं. 17 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"17क. होली सी";

(ङ) क्रम सं. 23 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"23क. कज़ाखस्तान";

(च) क्रम सं. 33 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:—

"33क. रोमानिया";

(छ) क्रम सं. 34 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"34क. सान मारिनो";

- (ज) क्रम सं. 40 और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ;
- (झ) क्रम सं. 42 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--
  - "42. यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड";
- (ञ) क्रम सं. 43 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--
  - "43. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका";
- (ट) क्रम सं. 45 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थातु :--

"45. यूरोपियन यूनियन";

- 14. उक्त नियमों की अनुसूची 7 में,--
  - (क) विद्यमान शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात :--

"ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों को अंतर्विष्ट करने वाले उत्पादों के आयात और निर्यात का विनियमन";

(ख) क्रम सं. 1 से क्रम सं. 6 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :--

क्रम	उत्पाद का नाम	ओजोन अवक्षयकारी	वह तारीख जिसको	वह तारीख जिसको
सं.		पदार्थों के समूह का	निर्यात का विनियमन	आयात का विनियमन
		नाम	प्रभावी होता है	प्रभावी होता है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1.	वायुयान, मोबाइल या ऑटोमोबाइल, नाव, ट्रेन	समूह VI	इन नियमों के प्रवृत्त	इन नियमों के प्रवृत्त
	और ट्रक वातानुकूलन इकाइयां (चाहे यान में		होने के पश्चात् छह	होने के पश्चात् छह
	लगी हुई हों या नहीं)		मास	मास
2.	घरेलू और वाणिज्यिक रेफ्रिजरेशन और	समूह I,	यथोपरि	यथोपरि
	वातानुकूलन या ताप पम्प उपस्कर अर्थात्, :	समूह VI		
	- रेफ्रिजरेटर			
	- प्रशीतक			
	- निराद्रीकारक			
	- जल शीतक यंत्र			
	- हिम यंत्र			
	- वातानुकूलन और ताप पम्प इकाइयां			
	- संपीडित्र			

3.	एअरोसोल उत्पाद सिवाए औषधीय एयरोसोल	समूह I,	यथोपरि	यथोपरि
		समूह VI		
4.	सुबाह्य अग्निशमक/प्रणाली सिलेंडर	समूह II,	यथोपरि	यथोपरि
		समूह VI		
5.	इंसुलेशन बोर्ड, पैनल और पाइप कवर	समूह I,	यथोपरि	यथोपरि
		समूह VI		
6.	प्री पोलिमर्स	समूह I,	यथोपरि	यथोपरि ।''।
		समूह VI		

- 15. उक्त नियमों की अनुसूची 8 में, मद सं. (vii) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात् :--
  - "(viii) प्रोटोकोल द्वारा अनुमोदित अन्य रसायनों के विनिर्माण में अनुसूची 1 के स्तंभ (4) में समूह VI के रूप में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का उत्पादन, नगण्य उत्सर्जन, यदि कोई हो, के साथ ।"।
- 16. उक्त नियमों की अनुसूची 9 में, क्रम सं. (2) के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--
  - "(2क) नियम 5 के उपनियम (1) के अधीन व्यक्तियों के रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप 10क में किया जाएगा ।"।
- 17. उक्त नियमों की अनुसूची 10 में, भाग 7 के स्थान पर, निम्नलिखित भाग रखा जाएगा, अर्थात् :--

#### "भाग 7

#### अभिलेखों का प्रस्तृत किया जाना

- (1) नियम 13 की अपेक्षाओं के अनुसरण में रखे गए अभिलेख अनुसूची 5 के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट रिजस्ट्रीकरण प्राधिकरण के भारत सरकार के अनुभाग अधिकारी की पंक्ति से अन्यून किसी अधिकारी के अनुरोध पर किसी युक्तियुक्त समय पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे । तथापि, वे व्यक्ति जो स्थानीय रूप से उत्पादित ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के विक्रय में लगे हुए हैं, वे संबंधित उत्पादन उपक्रम के सहायक प्रबंधक की पंक्ति से अन्यून किसी अधिकारी या पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी की पंक्ति से अन्यून किसी अधिकारी के अनुरोध पर किसी युक्तियुक्त समय पर निरीक्षण के लिए अभिलेखों को उपलब्ध कराएंगे। ।''।
- 18. उक्त नियमों की अनुसूची 11 में,--
  - (क) प्ररूप 1 के पृष्ठ 3 के स्तंभ (1) में ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के समूह का नाम शीर्ष के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :--

"समूह VI ।";

(ख) प्ररूप 10 के पृष्ठ 2 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

#### "प्ररूप 10क - पृष्ट 1

#### ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का निर्यात/आयात कर रहे उपक्रमों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप [नियम 5 का उपनियम (1)]

- 1. फर्म का नाम
- 2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता (तहसील, जिला, राज्य सहित)
- 3. रजिस्ट्रीकरण की तारीख और अधिनियम का नाम जिसके अधीन रजिस्ट्रीकरण किया गया है (ऐसे रजिस्ट्रीकरण की एक प्रति उपाबद्ध की जानी है)
- 4. आयातकों या निर्यातकों की विशिष्टियां

क्रम सं.	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का नाम *1	पदार्थों का आयात	उसका नाम और पता, जिससे या जिसको पिछले बारह मास के दौरान ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का आयात या निर्यात किया गया था

प्ररूप 10क -- पृष्ट 2

5. स्वत्वधारी या मुख्य कार्यपालक का नाम:

तारीख .....

6. कृपया नवीनतम आय-कर निर्धारण आदेश की प्रति संलग्न करें :

मुहर सहित आवेदक के हस्ताक्षर \*2

#### सत्यापन

e1 e1	कर्म ने ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) नियम, ास्ट्रीकरण प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन नहीं
में सुपुत्रजानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई सूचना और उपाबं	सत्यनिष्ठा से यह सत्यापित करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम 'ध तथा उसके साथ के सभी विवरण सही और पूर्ण हैं ।
मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं की क्षमता कर रहा हूं और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम हूं ।	। में ऊपर दी गई सूचना प्रस्तुत कर रहा हूं और उसका सत्यापन
स्थान	मृहर सहित हस्ताक्षर *2

#### टिप्पण:

\*1. कृपया सभी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों की सूची के लिए अनुसूची 1 देखें ।

\*2. सत्यापन भाग सिहत पूर्वोक्त प्ररूप पर व्यष्टि की दशा में स्वयं व्यष्टि द्वारा या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, हिन्दू अविभक्त कुटूंब की दशा में कर्ता द्वारा : भागीदारी फर्म की दशा में प्रबंधकर्ता भागीदार द्वारा, किसी कंपनी की दशा में इस निमित्त निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, और कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी प्रभारी व्यक्ति द्वारा अवश्य हस्ताक्षर किए जाएं।"।

[फा.सं. 16/1/96-ओसी]

मनिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 670(अ), तारीख 19 जुलाई, 2000 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए:--

- 1. का.आ. 1283 (अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2001
- 2. का.आ. 966 (अ), तारीख 27 अगस्त, 2003
- 3. का.आ. 929 (अ), तारीख 16 अगस्त, 2004
- 4. का.आ. 1391 (अ), तारीख 26 सितम्बर, 2005 और
- 5. का.आ. 1561 (अ), तारीख 18 सितम्बर, 2007 I

### MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 13 March, 2014

**S.O. 1033** (E). – Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), made the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000 *vide* notification number S.O. 670(E), dated the 19<sup>th</sup> July, 2000;

And whereas the draft Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Amendment Rules, 2013 were published, under the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1353(E), dated the 23<sup>rd</sup> May, 2013, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public and the said amendment rules were also placed on the website of Ozone Cell;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000, namely:

- (1) These rules may be called the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014.
  - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000 (hereinafter referred to as the said rules) in rule 2, for clause (m), the following clause shall be substituted, namely:-
  - "(m) "protocol" means the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, adopted on the 16<sup>th</sup> September, 1987 as amended from time to time."
- 3. In the said rules, in rule 3, -
  - (a) for sub-rule (2), the following sub-rules shall be substituted, namely: -
    - "(2) Production and consumption of ozone depleting substances specified in column (4) of Schedule I except Group VI have been prohibited from the date of commencement of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014 for all applications excluding the substances which are for use as feedstock in the manufacture of other chemicals, with negligible emissions, if any;
    - (2A) Production and consumption of Group VIII substances specified in column (4) of Schedule I have been prohibited except for use in quarantine and pre-shipment applications from the date of commencement of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014;
    - (2B) No person shall produce or cause to produce ozone depleting substances specified as Group VI in column (4) of Schedule I during the period from the date of commencement of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014 to the 1<sup>st</sup> January, 2040 in excess of the corresponding percentages of the baseline specified in column (4) of Schedule II and the consumption of such substances in India as a percentage of calculated level of consumption in base year does not exceed the number specified in column (5) of that Schedule.
    - (2C) The producers of Group VI substances shall not supply to the domestic market quantities in excess of the quota orders issued by the Ozone Cell, Ministry of Environment and Forests to cover the entire domestic requirement of HCFC-22 for non-feedstock application and in the event of shortfall in domestic production of HCFC-22, the Central Government shall allow import of HCFC-22 within the consumption control quantity as per the market requirements and subject to actual user conditions."
  - (b) in sub-rule (3), in clause (iii), for the words and letters "specified as Group I and Group II", the following words and letters shall be substituted, namely: "specified as Group I and Group III";
  - (c) in sub-rule (3), after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:"(iv) specified as Group VI in column (4) of Schedule I shall limit the production and consumption of ozone
    depleting substances as specified in column (4) and (5) respectively of Schedule II, from the date of
    commencement of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014 to 1st
    January, 2040 to the corresponding percentages of the baseline specified in column (4) for the years given in
    column (6) of Schedule II as per the agreement approved by the Executive Committee of the Multilateral
    Fund"
  - (d) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:"(4) In order to comply with the phase out targets of production and consumption of ozone depleting substances as per the Montreal Protocol Schedule referred in sub-rules (2) and (3), the Central Government shall introduce implementation modalities, such as quota system for production and

consumption of Group VI substances for non-feedstock applications and monitoring and reporting system for all feedstock applications including use of Carbon tetrachloride.".

- 4. In the said rules, in rule 5, -
  - (a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
    - "(1) No person shall import or cause to import from or export or cause to export to any country not specified in Schedule VI, any ozone depleting substances including blends or mixtures of ozone depleting substances unless he is registered with the authority specified in column (4) of Schedule V and obtains a licence issued by the authority.";
  - (b) in sub-rule (2), after the words, brackets, figure and letters "specified in column (5) of Schedule II", the following shall be added at the end, namely:-
    - "and Schedule III. Issuance of licence for import and export is prohibited for Group I, Group II, Group III, Group IV and blends containing ozone depleting substances including Group VI substances specified in column (4) of Schedule I from the date of commencement of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014 except recovered, recycled and reclaimed ozone depleting substances or for Essential Use Nominations (EUN) if any or ozone depleting substances for destruction or for feedstock applications. From the date of commencement of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014 until the 1<sup>st</sup> January, 2040, licence for export of HCFC-22 in Group VI shall be permitted to the extent of the difference between the production and domestic supply volumes.";
  - (c) after the sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:"(2A) Issuance of licence for import of pre-blended polyols containing Group VI substances specified in column (4) of Schedule I is prohibited from the date of commencement of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014.".
- 5. In the said rules, in rule 8, in sub-rule (5), after the words, brackets, figure and letters "specified in column (2) of Schedule II", the following words and letters shall be inserted, namely:

"and Schedule III";

6. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (3), after the words, brackets, figure and letters "specified in column (2) of Schedule II", the following words and letters shall be inserted, namely:

"and Schedule III";

- 7. In the said rules, in rule 10, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:
  - "(1A) Import of air-conditioning and refrigeration equipments and other products containing Group VI substances is prohibited from the 1<sup>st</sup> July, 2015.".
- 8. In the said rules, in rule 14, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:
  - "(1A) Every person who uses ozone depleting substances as feedstock in the manufacture of other chemicals, with negligible emissions, if any shall maintain records and file reports in the manner specified in Part I of the Schedule X.".
- 9. In the said rules, in rule 15, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:
  - "(1) Nothing contained in these rules except reporting and monitoring shall apply to applications or circumstances specified in Schedule VIII.".
- 10. In the said rules, in Schedule II, for serial number 4(a) and (b) and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S.	Name of	Year(s)	Maximum	Maximum	Date	Ban on	Ban of creating new capacities to
No.	Group of	relating	allowable	allowable	related	creating	manufacture products made with
	ozone	to base	production in	consumption in a	to	capacities	or containing ozone depleting
	depleting	level*	period of twelve	period of twelve	column	for	substances
	substance		months as	month as	(4) and	productio	
	S		percentage of	percentage of	(5)	n of ozone	
			calcu-lated base	calculated		depleting	
			level for Group as	consumption of		substance	
			a whole	base years for		S	
				Group as a whole			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"4(a)	VI	2009-	100	100	1-1-	19-07-2000	Date on which the Ozone Depleting
		2010			2013		Substances (Regulation and Control)
							Amendment Rules, 2014 come into
							force
(b)	VI	2009-	90	90	1-1-	19-07-2000	Date on which the Ozone Depleting
		2010			2015		Substances (Regulation and Control)
							Amendment Rules, 2014 come into
							force

(c)	VI	2009- 2010	65	65	1-1- 2020	19-07-2000	Date on which the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014 come into force
(d)	VI	2009- 2010	32.5	32.5	1-1- 2025	19-07-2000	Date on which the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014 come into force
(e)	VI	2009- 2010	2.5	2.5	1-1- 2030	19-07-2000	Date on which the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014 come into force
(f)	VI	2009- 2010	0	0	1-1- 2040	19-07-2000	Date on which the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014 come into force.".

- 11. In the said rules, in Schedule IV, -
  - (a) In column (4), for the existing heading, the following shall be substituted, namely : "Phase-out Date";
  - (b) for serial no 10, and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

Date (4)
\ /
1-1 -2015
1-1-2015
1-1-2022
1-1-2020
1-1-2025
1-1-2025
1-1-2025
1-1-2025
1-1-2040
1-1-2040.".

- (c) The note marked asterisk (\*) shall be omitted;
- 12. In the said rules, in Schedule-V, -

(a) for serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S.	Rule	Function	Name of Authority.	Last date for	Name of Appellate		
No.	No.			registration.	Authority.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
"3.	6(1)	Registration of	An officer not below	In case of substance	Secretary, Ministry		
		traders/dealers/	the rank of Deputy	listed under Group	of Environment and		
		wholesaler/sellers of	Secretary in the	I, Group II, Group	Forests.".		
		ozone depleting	Ministry of	III and Group IV up			
		substances.	Environment and	to the 31 <sup>st</sup>			
			Forests.	December 2009, in			
				case of substances			
				in Group VI up to			
				31 <sup>st</sup> December,			
				2039 and in case of			
				substances in Group			

	VIII up to 31 <sup>st</sup>
	December 2014.

(b) after serial number 6, the following serial number and entries shall be added at the end, namely:-

S.	Rule	Function	Name of Authority	Last date for	Name of Appellate		
No.	No.			registration	Authority		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
7.	5(1)	Registration of	An officer not below the	31 <sup>st</sup>	Secretary,		
		importers or	rank of Deputy Secretary in	December,	Ministry of		
		exporters of ozone	the Ministry of Environment	2029.	Environment and		
		depleting substances.	and Forests.		Forests.		

- 13. In the said rules, in Schedule VI, -
  - (1) in Part I, -
    - (a) for serial number 10 and the entry relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-
      - "10. Plurinational State of Bolivia";
    - (b) for serial number 25 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-
      - "25. Democratic Republic of the Congo";
    - (c) serial number 30 and the entry relating thereto shall be omitted;
    - (d) after serial number 35A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:
      - "35B. Equatorial Guinea";
    - (e) after serial number 49 and the entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely: -
      - "49A. Iraq"
    - (f) for serial number 54 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-
      - "54. Democratic People's Republic of Korea";
    - (g) for serial number 55 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-
      - "55. Republic of Korea":
    - (h) for serial number 60 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-
      - "60. Libya";
    - (i) for serial number 70 and the entry relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-
      - "70. Republic of Moldova";
    - (j) after serial number 71 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely: -
      - "71A. Montenegro";
    - (k) serial number 88 and the entry relating thereto shall be omitted;
    - (l) for serial number 94A and the entries relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-
      - "94A. Serbia";
    - (m) after serial number 99 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -
      - "99A. South Sudan";
    - (n) for serial number 104 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-
      - "104. United Republic of Tanzania";
    - (o) after serial number 106 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -
      - "106A. Timor-Leste";
  - (2) in Part III, -
    - (a) after serial number 1 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely: -
      - "1A. Andora";

- (b) after serial number 8 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely: -
  - "8A. Cyprus";
- (c) serial number 11 and the entry relating thereto shall be omitted;
- (d) after serial number 17 and the entry relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -
  - "17A. Holy See";
- (e) after serial number 23 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely: -
  - "23A. Kazakhstan";
- (f) after serial number 33 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely: -
  - "33A. Romania";
- (g) after serial number 34 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -"34A. San Marino";
- (h) serial number 40 and the entry relating thereto shall be omitted;
- (i) for serial number 42 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-
  - "42. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland";
- (j) for serial number 43 and the entry relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-
  - "43. United States of America";
- (k) for serial number 45 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-
  - "45. European Union"
- 14. In the said rules, in Schedule VII, -
  - (a) for the existing heading, the following shall be substituted, namely: -
    - "Regulation on import and export of products containing ozone depleting substances";
  - (b) for serial number 1 to 6 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely: -

Sl.	Name of Product	Name of group	Date regulation	Date regulation
No.		of ozone	on imports	on exports
		depleting	becomes	becomes
		substances.	effective.	effective.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1.	Aircraft, mobile or automobile,	Group VI	Six months after	Six months after
	boat, train and truck air-		these rules come	these rules come
	conditioning units. (whether		into force.	into force.
	incorporated in vehicle or not).			
2.	Domestic and commercial	Group I,	-do-	-do-
	refrigeration and air-conditioning	Group VI		
	or heat pump equipment e.g.			
	- Refrigerators			
	- Freezers			
	- Dehumidifiers			
	<ul> <li>Water coolers</li> </ul>			
	<ul> <li>Ice machines</li> </ul>			
	<ul> <li>Air conditioning and</li> </ul>			
	heat pump units			
	<ul> <li>Compressors</li> </ul>			
3.	Aerosol products, except medical	Group I,	-do-	-do-
	aerosols	Group VI		
4.	Portable fire extinguishers/	Group II,	-do-	-do-
	System cylinder	Group VI		
5.	Insulation boards, panels and	Group I,	-do-	-do-
	pipe covers	Group VI		
6.	Pre-polymers	Group I,	-do-	-do".
		Group VI		

15. In the said rules, in Schedule VIII, -

after item number (vii), the following item shall be added, namely:-

- "(viii) Production of ozone depleting substances specified as Group VI in column (4) of Schedule I for the Protocol approved feedstock uses in manufacture of other chemicals, with negligible emissions, if any."
- 16. In the said rules, in Schedule IX,
  - after serial number (2), the following serial number shall be inserted, namely:-
  - "(2A) Application for registration of persons under sub-rule (1) of rule 5 shall be made in Form 10A of Schedule XI.".
- 17. In the said rules, in Schedule X, for Part VII, the following Part shall be substituted, namely:-

#### "Part VII,

#### **Production of records**

- (1) Records being maintained pursuant to requirements of rule 13 shall be available for inspection at any reasonable time on request by an officer of the registering authority specified in column (4) of Schedule V, not below in rank to a Section Officer to the Government of India. However, persons who are engaged in selling any locally produced ozone depleting substances, they shall make records available for inspection at any reasonable time on request by an officer of the concerned producing enterprise not below in rank to Assistant Manager or on request by an officer of the Ministry of Environment and Forests not below in rank to a Section Officer."
- 18. In the said rules, in Schedule XI, -
  - (a) in Form 1, in Page 3, in column 1, for the existing entry under the heading, Name of Group of Ozone Depleting Substances, the following entry shall be substituted, namely: "Group VI.";
  - (b) after Form 10- Page 2, the following Form shall be inserted, namely:-

## "FORM 10A - Page 1 FORM FOR REGISTRATION OF ENTERPRISES IMPORTING/EXPORTING OZONE DEPLETING SUBSTANCES [SUB-RULE (1) OF RULE 5]

- 1. Name of firm
- 2. Address of registered office (including Tehsil, District, State)
- 3. Date of registration and the name of Act under which registered (A copy of such registration to be attached)
- 4. Particulars of importers or exporters

S.	Name*1 of ozone	Address of	Date of start of import	Name and address from or to		
No.	depleting	importers or	or export of ozone	whom ozone depleting substance		
	substances.	exporters.	depleting substances.	was imported or exported during		
				the past twelve months.		

#### Form 10A - Page 2

- 5. Name of Proprietor or Chief Executive:
- 6. Please attach a copy of latest Income Tax Assessment Order:

Signature of the applicant \*2 with Seal

#### Verification

I declare that the enterprise/ firm mentioned in Sr. 1 above has not applied for registration under sub-rule (1) of rule 5 of	of
the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000 with any other registering authority.	

		Ι						 S	S/o	 	 	do he	reby	solemnly v	verify
that 1									information				•	•	
accor	np	anyi	ng it	are	corr	ect and com	plete								

I	further	declare	that	Ι :	am	submitting	and	verifying	the	information	given	above	in	my	capacity	as
 		and th	at I ar	n c	omp	petent to do	so.									

Place	Signature *2
Date	with seal

Notes:

<sup>\*1</sup> Please see Schedule I for list of all ozone depleting substances.

\*2 The above Form including the verification portion must be signed in case of an individual by the individual himself or a person duly authorized by him, in case of Hindu undivided family, by the Karta: in case of the partnership firm, by the managing partner, in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any case, by a person in-charge of or responsible for the conduct of the business.".

[F. No. 16/1/96-OC] MANINDER SINGH, Jt. Secy.

**Note :-** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 670 (E), dated the 19<sup>th</sup> July, 2000 and subsequently amended *vide* :-

- 1. S.O. 1283 (E), dated the 31<sup>st</sup> December, 2001;
- 2. S.O. 966 (E), dated the 27<sup>th</sup> August, 2003;
- 3. S.O. 929 (E), dated the 16<sup>th</sup> August, 2004;
- 4. S.O. 1391 (E), dated the 26<sup>th</sup> September, 2005; and
- 5. S.O. 1561 (E), dated the 18<sup>th</sup> September, 2007.

# The Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2019



#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4222] No. 4222] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2019/पौष 10, 1941

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2019/PAUSHA 10, 1941

#### पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4724(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 19 जुलाई, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ. 670(अ) द्वारा ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 बनाए थे:

और, वर्ष, 2016 में आयोजित मॉन्टरीयल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन हेतु बहु-पक्षीय कोष की कार्यकारी समिति (का.स.) की 77वीं बैठक में यथाविनिश्चित मॉन्टरीयल प्रोटोकॉल के समायोजन के अनुसार ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों को चरण-बद्ध ढंग से समाप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु यथा-संशोधित उक्त नियमों को और संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

अत:, अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से जनहित में अभिमुक्त होने के उपरांत, असतत सैंडविच पैनलों सहित सभी अन्य फोम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त समूह-6 पदार्थों की चरणबद्ध समाप्ति को प्रवर्तित करने हेतु ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2019 है।
  - (2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. उक्त नियमों के, नियम 5 में, उप-नियम 2क के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-
  - ''(2ख) तारीख 01 जनवरी, 2020 से एचसीएफसी-141ख के आयात के लिए अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना प्रतिषिद्ध किया जाएगा ।''

6753 GI/2019 (1)

3.	उक्त नियम की अनूसूची-4 में, क्र	<mark>क्तम सं. 10 के साम</mark>	ने मद (ग) और	उससे संबंधित	प्रविष्टियों के स्थान	पर निम्नलिखित
रख	ा जाएगा, अर्थात्:					

क्र.सं.	कार्यकलापों के नाम	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के समूह का नाम	चरणबद्ध समाप्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
(ग)	पूर्व-मिश्रित पोलियोल का विनिर्माण	समूह-VI	1-1-2020

4. उक्त नियम की अनुसूची-7 के अधीन टिप्पण में खंड 2 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-"प्री-पॉलीमरों जिनमें समूह-6 पदार्थों को अंतर्विष्ट करने वाले पूर्व मिश्रित पोलियोल भी हैं।"

[फा. सं. 16/1/96-ओसी-पार्ट-III]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना तारीख 19 जुलाई, 2000 की अधिसूचना सं. का.आ. 670 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गई थी:-

- 1. का.आ. 1283 (अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2001;
- 2. का.आ. 966 (अ), तारीख 27 अगस्त, 2003;
- 3. का.आ. 929 (अ), तारीख 16 अगस्त, 2004;
- 4. का.आ. 1391 (अ), तारीख 26 सितम्बर, 2005;
- 5. का.आ. 1561 (अ), तारीख 18 सितम्बर, 2007; और
- का.आ. 1033 (अ), तारीख 13 मार्च, 2014 ।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2019

**S.O. 4724**(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), made the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000 (hereinafter referred to as the said rules) vide notification number S.O. 670(E), dated the 19th July, 2000;

And whereas, the said rules as amended need to be further amended to align with the accelerated phase-out of Ozone Depleting Substances (ODSs) as per the adjustment of the Montreal Protocol as decided at the 77th meeting of the Executive-Committee (Ex-Com) of the Multilateral Fund for implementation of the Montreal Protocol held in 2016;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the rule 5 of the said rules in public interest, to enforce the phase out of Group VI substances used in manufacture of all other foam products including discontinuous sandwich panels, as stated in the said rules as amended by the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2019.
  - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the said rules, in rule 5, after sub-rule 2A, the following sub-rule shall be inserted namely:-
  - "(2B) Issuance of license for import of HCFC-141b shall be prohibited from 1st January 2020.".
- 3. In the said rules, in Schedule-IV, against serial number 10 for item (c) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:

Sl.No.	Name of Activities	Name of Group of ozone depleting substance	Phase-out date		
(1)	(2)	(3)	(4)		
	"(c) Manufacture of pre-blended polyols	Group VI	1-1-2020".		

- 4. In the said rules, in the Note under Schedule-VII, after clause 2, the following clause shall be inserted, namely:-
  - "3. Pre-polymers include pre-blended polyols containing Group VI substances.".

[F. No. 16/1/96-OC-Pt-III]

GEETA MENON, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 670(E), dated the 19th July, 2000 and subsequently amended vide:-

- 1. S.O. 1283(E), dated the 31st December, 2001;
- 2. S.O. 996(E), dated the 27th August, 2003;
- 3. S.O. 929(E), dated the 16th August, 2004;
- 4. S.O. 1391(E), dated the 26th September, 2005;
- 5. S.O. 1561(E), dated the 18th September, 2007; and
- 6. S.O. 1033(E), dated the 13th March, 2014.